लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Third Session

6th Lok Sabha

Preservation ... Dt. 18-9-92 Parliament Library

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

षष्ठम् माला, खंड 8, अंक 19, सोमवार, 12 दिसम्बर, 1977/21 अग्रहायण, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. VIII, No. 19, Monday, December 12, 1977/Agrahayana 21, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मौखिक प्रश्नों के उत्तर :	*Oral Answers to Questions :*	
तारांकित प्रश्न संख्या 366 से 368, 371 373, 374 और 380	Starred Question Nos. 366 to 368, 371, 373, 374 and 380	1—15
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 5	*Short Notice Question No.* 5	15—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	*Written Answers to Questions :*	17—24
तारांकित प्रश्न संख्या 369, 370, 372, 375 से 379 और 381 से 385	Starred Questions Nos. 369, 370, 372, 375 to 379 and 381 to 385	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3406 से 3424, 3426 से 3450, 3452 से 3454, 3456 से 3495, 3497 से 3509, 3511 से 3547 और 3549 से 3596	Unstarred Question Nos. 3406 to 3424, 3426 to 3450, 3452 to 3454, 3456 3495, 3497 to 3509, 3511 to 3547 and 3549 to 3596	24—131
अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 दिनांक 21-11-1977 के उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण	Statement correcting answer to USQ No. 1083 dated 21-11-1977.	131
प्रधान मंत्री का नेपाल यात्रा के बारे वक्तव्य	Statement Re. P. M's Visit to Nepal	131
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	131—133
पंचायती राज संस्थाओं के बारे संबंधी समितियों के बारे में वक्तव्य	Statement re. Appointment of Committee on Panchayati Raj institutions	133
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	133—134
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	135—136
रजय सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	137
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	137
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	137

किसी नाम पर आंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सीमाओं के बारे में पीकिंग रेडियो का कथित प्रसारण	Reported Peking Radio Broadcast about Borders . .	138—139
श्री बृज भूषण तिवारी	Shri Brij Bhushan Tiwari .	139—140
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee .	140
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik	140
श्री विजय कुमार मलहोत्रा	Shri Vijay Kumar Malhotra	140—141
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	141
तीसरा प्रतिवेदन	Third Report	141
समितियों के लिए निर्वाचन	Elections to Committees	142
1. भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद्	1. Council of Indian Institute of Science Bangalore . .	142
2. चाय बोर्ड	2. Tea Board . .	142—143
नियम 377 के अधीन मामले	Matter Under Rule 377 . .	143
1. सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व मार्क्सवादी और मार्क्सवादी लेनिन वादी अभ्यार्थियों के चरित्र की जांच के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया कथित परिपत्र	1. Reported circular of Maharashtra Government about character verification of candidates belonging to CPI (M) and Marxist Leninist before appointment in Government service.	143
2. रेलवे के स्कूल अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन	2. Demonstration by Railway School Teachers . . .	143
3. गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का बंद होन	3. Closure of Gurukul Kangri University . . .	143
4. लक्ष्मी काटन मिल्स अहमदाबाद का बंद होना	4. Closure of Laxmi Cotton Mills, Ahmedabad . .	143—144
बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक	Payment of Bonus (Amendment) Bill . .	144—145
खण्ड 17 से 21 और 1	Clauses 17 to 21 and 1 .	145—146
पारित करने का प्रस्ताव संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended .	146
श्री रवीन्द्र वर्मा	Shri Ravindra Varma .	146
श्री एस० आर० दामानी	Shri S. R. Damani . . .	146
श्री पूर्ण सिन्हा	Shri Purna Sinha . .	146—147
कम्पनी (संशोधन) विधेयक	Companies (Amendment) Bill.	147
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider . . .	147
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan . .	147—149
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad .	149
श्री गंगा सिंह	Shri Ganga Singh . . .	149
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman .	149—151
जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गये जन सुरक्षा अध्यादेश के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Public Safety Ordinance issued by Jammu & Kashmir Government . .	151—164
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	151—154

विषय		पृष्ठ	SUBJECT	PAGES
श्री मोहम्मद शफी कुरेशी			Shri Mohd. Shafi Qureshi	154—155
श्री कंवर लाल गुप्त			Shr Kanwar Lal Gupta .	155—156
श्री बी० सी० कांबले			Shri B. C. Kamble .	156
श्री कचरुलाल हेमराज जैन			Shri Kacharulal Hemraj Jain .	157
श्री वयालार रवि			Shri Vyalar Ravi .	157—158
श्रीमती अकबर जहां बेगम			Shrimati Akbar Johan Begum	158—159
श्री राम जेठमलानी			Shri Ram Jethmalani	159—160
श्री चित्त बसु			Shri Chitta Bosu	160—161
श्री डा० कर्ण सिंह			Dr. Karan Singh	161—162
श्री पी० के कोडियन			Shri P. K. Kodiyan .	162
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया			Shri Baldev Singh Jasrotia	162—163
श्री चरण सिंह			Shri Charan Singh .	163—164
आधे घंटे की चर्चा			Half an Hour Discussion . .	164
सोवियत गेहूं ऋण की वापसी			Negotiations for return of soviet Wheat Loan . . .	164
	श्री यादवेन्द्र दत्त		Shri Yadbendra Dutt	165
	श्री भानु प्रताप सिंह		Shri Bhanu Pratap Singh .	165

लोक सभा
LOK SABHA

सोमवार, 12 दिसम्बर, 1977/21 अग्रहायन, 1899 (शक)
Monday, December 12, 1977/Agrahayana 21, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समावेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

भूमि के रिकार्ड को अद्यतन बनाने और भूमि की चकबन्दी के लिए वित्तीय सहायता

*366. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने भूमि के रिकार्ड को अद्यतन बनाने और भूमि की चकबन्दी के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है।

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हां। उड़ीसा सरकार से चकबन्दी का कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु औपचारिक अनुरोध प्राप्त हुआ है। आंध्र प्रदेश ने सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त के कार्यों और अधिकारों के रिकार्ड को अद्यतन करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है।

(ख) भारत सरकार सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में चकबन्दी के कार्यों में राज्यों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना

शुरू करने के बारे में विचार कर रही है। भारत सरकार की सहायता 120 रु० प्रति हैक्टार के हिसाब से उपलब्ध होगी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से औपचारिक प्रस्ताव मांगे गए हैं। जब राज्य सरकारों को नियतन करते समय उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा। भूमि के रिकार्डों को अद्यतन करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता देने की "पद्धतियों" के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

श्री पी० के० कोडयन : विवरण में दी गई जानकारी बहुत निराशाजनक है। केन्द्रीय सैक्टर में योजना चालू वर्ष में शुरू की जानी थी और अब दिसम्बर आ गया है। और अभी केवल प्रस्ताव मांगे गए हैं। इससे पता चलता है कि किस प्रकार महत्वपूर्ण योजनाओं को और उनके लिए नियत धन को व्ययगत होने दिया जाता है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या "चकबन्दी कार्यों के लिए सहायता की योजनायें, जो चालू वर्ष की योजनाओं में शामिल की गई हैं, इस वर्ष कार्यान्वित की जायेंगी या नियत की गई राशि व्ययगत होने दी जायेगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह योजना इस वर्ष प्रारम्भ की गई है और काम शुरू होना है। राशि को व्ययगत नहीं होने दिया जायेगा। हम इसी वर्ष के दौरान इस वर्ष के लिए नियत धन का उपयोग करने का प्रयास करेंगे।

श्री पी० के० कोडयन : भूमि रिकार्डों को अद्यतन करना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आप भूमि सुधार करना चाहते हैं और सार्थक रूप में कृषि विकास के लिए आयोजन करना चाहते हैं तथा कृषि उत्पादन और उत्पादिता बढ़ाना चाहते हैं तो काश्तकारों और बटाईदारों के अधिकार दर्शाने वाले औसत भूमि रिकार्ड अत्यन्त आवश्यक हैं। किसी भूमि सुधार कार्यक्रम और कृषि विकास कार्यक्रम की सफलता इस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या पर निर्भर करती है। लगता है सरकार ने इस महत्वपूर्ण समस्या की कोई प्राथमिकता नियत नहीं की है। भूतपूर्व सरकार ने वर्ष 1976 को भूमि सुधार वर्ष घोषित किया था। क्या सरकार भूमि रिकार्डों को अद्यतन बनाने के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी। और इस कार्य के लिए राज्य सरकारों को शीघ्रता से सहायता देगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : भूमि रिकार्डों को अद्यतन करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह न केवल मालिकों के लिए बल्कि बटाईदारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले इसे उचित महत्व नहीं दिया गया। जनता पार्टी के आर्थिक नीति संकल्प में कहा गया है कि जिन राज्यों में भूमि रिकार्ड उपलब्ध नहीं हैं या अद्यतन नहीं हैं, वहां राजस्व कर्मचारियों को मौके पर जाकर जांच करनी चाहिए और दो वर्ष में सारा काम पूरा किया जायेगा। हम इसे गम्भीरता से ले रहे हैं।

SHRI JAGADISH PRASAD MATHUR : In Rajasthan a revenue drive has been taken up for the last one month under which revenue officers, right from *Patwari* to S.D.M. have made on the spot visits and solved all the cases of transfer of title. May I know whether Government have examined how far this drive has been a success and is there any propose to launch such a drive throughout the country ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : It can be done if all the States allow the State Government of Rajasthan as pointed out by the hon. Member. Top priority should be accorded to it. It has been done in Punjab, Haryana and U.P. and in the States where progress is slow, it will have to be taken up on priority basis.

श्री चित्त बसु : क्या मन्त्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि इस वर्ष भूमि सुधार के कार्य में हमें असफलता का मुंह देखना पड़ा है और भूमि सुधारों की क्रियान्विति में भूमि के रिकार्डों को अद्यतन बनाना एक मुख्य भूमिका है ? क्या भूमि के रिकार्डों को तैयार करने और अद्यतन बनाने के लिए राज्य सरकारों ने भारत सरकार से सहायता मांगी थी ? इसके अतिरिक्त कोई और तरीका है, यदि हां, तो क्या ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : भूमि रिकार्ड रखना और उन्हें अद्यतन बनाना मुख्यत: राज्यों का उत्तरदायित्व है। कुछ राज्यों ने इस गम्भीरता से नहीं लिया है। उदाहरण के लिए बंगाल में, मेरी जानकारी के अनुसार तहसीलदार सरकारी कर्मचारी नहीं है और उसे केवल 53 रुपए प्रति माह मिलते हैं। राज्य सरकारों को अधिक धन मात्र तरीका नहीं है बल्कि हम यह देख रहे हैं कि क्या हम उन्हें अधिक धन देने की स्थिति में हैं और यदि हां, तो कितना क्योंकि सभी राज्य धन की मांग कर रहे हैं।

CHOWDHRY BALBIR SINGH : Will the hon. Minister enlighten us if the consolidation of land holdings can be said to have been completed, particularly when the land is further distributed amongst the various claimants. sons, brothers etc. ? Will Government consider grant of exemption from stamp duty to transfer of agricultural land ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : There is no such proposal and the stamp duty is the responsibility of the State Government. Our succession laws are such that the land goes to different sons and now even daughters. For that probably a law of primogeniture has to be introduced. That we cannot do for the time being.

श्री के० लकप्पा : जनता पार्टी ने अपने संकल्प में और उसकी सरकार भूमि सुधारों में और उनकी क्रियान्विति में कहां तक विश्वास करती है और विभिन्न राज्यों, विशेष रूप से कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को, जहां भूमि इकट्ठा करना अधिक महत्वपूर्ण है, कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ? यदि उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई है, तो क्या मैं समझूं कि वर्तमान सरकार की भूमि सुधारों में कोई आस्था नहीं है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : विवाद में न पड़कर मैं अपने प्रिय मित्र को यह बताना चाहता हूं कि पांचवी योजना अवधि के लिए 14.5 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया था लेकिन भूतपूर्व सरकार इसको भूल गई और 14.5 मिलियन के लक्ष्य में से 0.5 मिलियन हेक्टेयर भूमि का एकीकरण हो सका। हमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, जो विचाराधीन हैं। हमने इस निमित्त इस वर्ष एक करोड़ रुपए नियत किए हैं।

GROUNDNUT SOLVENT EXTRACTION FOR CATTLE FEED

*367. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the stock of groundnut solvent extractions reserved for cattle feeders, etc. for the year, 1977-78;

(b) the market price thereof per tonne, when a decision for maintaining a stock was taken as also the sale price decided at that time; and

(c) the stock purchased by the cattle feeders from this reserved stock and in case no stock has been purchased, the reasons why their export to States is not permitted ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

STATEMENT

(a), (b) and (c) An offer to reserve 2 lakh tonnes of groundnut extractions for live-stock and poultry farmers at the rate of Rs. 1200/- per tonne received in March, 1977 from Groundnut Extractions Exports Development Association (GEEDA) through the Ministry of Commerce was examined and information regarding quality, composition as to protein/oil content, etc. as also the modalities of distribution was sought from the Association. By the time information was received in August, 1977, the market prices had fallen below Rs. 1200/- per tonne and the offer was, therefore, not pursued further. On 23rd November, 1977, while permitting export of 2.5 lakh tonnes of groundnut extractions on ad-hoc basis, the Ministry of Commerce has required the Association to supply 15,000 tonnes of groundnut extractions per month to domestic consumers at the rate of Rs. 1000/- per tonne. Arrangements for distribution, etc. are under finalisation.

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Mr. Speaker, Sir, the production of groundnut during the year 1977-78 in the country is estimated to be 55 lakh tons which will give 22 lakh tons of oil cakes, i.e. 12 lakh tons of deoiled cakes and 10 lakh tons of ordinary cakes from expellers. May I know the quantity of oil cakes of groundnut solvent extraction proposed to be reserved or supplied for cattle, poultry etc. during the year 1977-78 by Government ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : कुल आवश्यकता लगभग 18 लाख मीटरी टन होगी ।

SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : The prevailing market price of groundnut cake is Rs. 1200/- to 1300/- per tonne. Will the hon. Minister kindly state the quantity proposed to be recommended to the Ministry of Commerce for export after reserving an adequate quantity for cattle, poultry etc. ?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : According to the rates available with me for to-day, the market price for 45 per cent groundnut cake extraction is Rs. 1150/- per tonne and Rs. 1400/- for groundnut cake expeller. The monthly need is 15,000 tonnes.

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : गत वर्ष अर्थात् 1976–77 के रिजर्व स्टाक में से कितने टन स्टाक बचा। क्या इसके आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमारे पास पिछले वर्ष के बचे हुए स्टाक के आंकड़े नहीं हैं।

श्री वनोद भाई बी० शेठ : सरकार निर्यात की अनुमति न देकर और पशुओं के चारे के व्यापारियों को खली को लेने के लिये बाध्य न करके 'खाये न खाने दे' की नीति को समाप्त क्यों नहीं करती है ? उद्योग ने विदेशों को वचन दे रखा है, क्या सरकार अपनी आवश्यकता-अनुसार स्टाक रखकर खली के निर्यात की अनुमति देगी ? अन्यथा सरकार की इस कार्यवाही से राष्ट्र की और विशेष रूप से उद्योग की साख डूबती है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हम निर्यात की खुली छूट नहीं दे सकते हैं। उदाहरण के लिए गत वर्ष खुले निर्यात की अनुमति दी गई और 12.4 लाख टन मूंगफली की खली का निर्यात किया गया जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। मूंगफली की खली का मूल्य 2,000 रु० प्रति टन तक पहुंच गया था। इसीलिए हमने निर्यात पर पाबन्दी लगाई। देश में डेरी फार्मों और कुक्कुट फार्मों के उपभोग के लिए खली के मूल्यों को नियन्त्रित करना आवश्यक है।

श्री बी० राचैया : आन्तरिक उपभोग के लिए स्टाक रिजर्व रखने के बाद भी चारे की कीमतों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इन कीमतों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मेरे मित्र ने चारे के मूल्यों के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं मूंगफली की खली के बारे में प्रश्नों के उत्तर दे सकूंगा। गत वर्ष सितम्बर में मूंगफली की खली का मूल्य 125 रुपए था और इस वर्ष 110 रुपए था; इसी तरह गत वर्ष अक्तूबर में 125 रुपए था और इस वर्ष 105 रुपए था। गत वर्ष नवम्बर में यह 134 रुपए था और इस वर्ष 111 रुपए था।

प्रो० आर० के० अमीन : भारत सरकार ने गेहूं और चावल के लिए केवल समर्थन मूल्य रखकर निर्धारित व्यापार की नीति अपनाई है। तेल के लिए भी यही नीति अपनाई गई है। गुजरात सरकार से भी ऐसी ही नीति अपनाने के लिए कहा गया है यद्यपि गुजरात सरकार बाजार मूल्य से कम मूल्य पर तेल खरीदना चाहती थी। अब मूंगफली की खली पर निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाना या तेल मिलों से कुछ स्टाक सरकारी वितरण के लिए रिजर्व रखने के लिए कहना भारत सरकार की मुख्य नीति में हस्तक्षेप है। क्या यह किसानों के हितों के विरुद्ध नहीं है? फिर सरकार गुजरात सरकार को कम कीमत पर तेल क्यों नहीं खरीदने देती है? क्या भारत सरकार ने तेल और खली के सम्बन्ध में व्यापार में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए हैं?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : हमें देश में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखना होता है और देश में किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को ध्यान में रखकर यह नीति अपनाई गई थी, जो दोनों के लिए लाभदायक है।

प्रो० आर० के० अमीन : मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : किसानों और उपभोक्ताओं का हित मार्गदर्शी सिद्धान्त है।

RICE, WHEAT AND SUGAR FOR WEST BENGAL

*368. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the quota of rice, wheat and sugar fixed by the Central Government for West Bengal during the financial year 1976-77; and

(b) the quantity of foodgrains supplied by the Government to the State during this period ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) About 18.7 lakh tonnes of wheat 4.2 lakh tonnes of rice and 2.28 lakh tonnes of levy sugar were allotted by the Central Government to West Bengal for the financial year 1976-77.

(b) The total offtake of foodgrains against allocations was as follows :—

Wheat	11·47 lakh tonnes
Rice	3·89 lakh tonnes

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : You have not stated about sugar.

SHRI BHANU PRATAP SINGH : There was full offtake of allotment of 2.28 lakh tonnes of sugar.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : It appears from the statement of the hon. Minister that the entire quantity of sugar allotment was not released. I want to know whether it was not offtaken because it was not required or you did not released it.

SHRI BHANUPRATAP SINGH : We make allotment and they offtake as much as they require. The allotment is made to States on higher side but the offtake is according to their actual requirement.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Is it a fact that the price at which supplies are made to West Bengal is not the same as charged from Jammu and Kashmir Government ?

SHRI BHANU PRATAP SINGH : The Food Corporation supplies foodgrains at uniform prices.

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : I have asked as to why foodgrains are supplied to Jammu & Kashmir at cheaper rates than those charged from other States.

श्री ज्योतिर्मय बसु : खेद है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को मन्त्री जी द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी पश्चिमी बंगाल सरकार को लगातार घटिया किस्म का अनाज दिया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल सरकार बारबार यह मांग करती रही है कि कम से कम 15 लाख टन सेला चावल उसे दिया जाये क्योंकि उसे दिया गया अधिकांश गेहूं खराब और पुराना निकला है और भाण्डागारण की अच्छी सुविधा नहीं है और उसे ढोने के लिए खुले माल डिब्बे प्रयोग किए जा रहे हैं। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कम से कम 15 लाख टन सेला चावल देंगे और इसे मासिक कोटे की बजाय वार्षिक कोटे के रूप में भेजते रहेंगे। क्योंकि मासिक कोटा होने के कारण उनकी आवश्यकता समय पर पूरी नहीं हो पाती।

श्री भानु प्रताप सिंह : खाद्य निगम द्वारा जो अनाज दिया जा रहा है उसकी किस्म के बारे में जुलाई 1977 में पश्चिमी बंगाल सरकार से शिकायत मिली थी। इस शिकायत के बारे में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा खाद्य निगम के अधिकारियों के एक दल ने जांच पड़ताल की ताकि लोक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत औसत किस्म का अच्छा अनाज वितरित हो। राज्य सरकार से परामर्श करके खाद्य निगम ने ऐसी व्यवस्था कायम की है जिसके अन्तर्गत वितरण के लिए अनाज देते समय राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा उसका सामान्य रूप से निरीक्षण कर लिया जायेगा ताकि उचित मूल्य की दुकानों पर आने वाला अनाज अच्छी किस्म का हो।

जहां तक सेला चावल की मांग का सम्बन्ध है; केवल सेला चावल के लिए हम प्रति क्विन्टल 5 रुपये अधिक कीमत देते हैं ताकि देश में उसके अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले। जितना भी सेला चावल उपलब्ध हो सकेगा वह पश्चिमी बंगाल को निश्चय ही भेजा जायेगा। परन्तु हम यह गारन्टी नहीं दे सकते कि उन्होंने जितने सेला चावल की मांग की है उतना उपलब्ध कराया जा सकेगा।

श्री ज्योतिमय बसु : यह कुल मांग का केवल कुछ ही भाग है। वार्षिक कोटे के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री भानु प्रताप सिंह : वार्षिक कोटा आवन्टित नहीं किया जायेगा। इस वर्ष पश्चिमी बंगाल में फसल संतोषजनक हुई है। इसके अलावा नई नीति के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में मुक्त व्यापार के लिए अधिक मात्रा में चावल भेजा जायेगा। आवश्यकता का निर्धारण किया जायेगा और आवश्यकता में वृद्धि होने पर हम उसे पूरा करने का निश्चय ही प्रयास करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह समस्या को सही ओर से नहीं देख रहे हैं। हम चावल और अन्य खाद्यान्नों के स्थान पर जूट उगा रहे हैं; क्या वह यह परिवर्तन करने के लिए बाध्य कर रहे हैं .... । मैं माननीय मन्त्री से यह स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या वह राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाने का विचार कर रहे हैं और क्या वह पश्चिमी बंगाल को वार्षिक कोटा देंगे ताकि पश्चिमी बंगाल को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन प्रतिदिन पराधीन रहना पड़े। वह हमें वार्षिक कोटे के बारे में आश्वासन दें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

SHRI UGRASEN : I want to know as to the time since when the West Bengal Government has been demanding for parboiled rice and the Central Government has not supplied it, the quantity of parboiled rice out of total rice quota supplied to West Bengal and whether the West Bengal Government have written that they would not like to off take wheat as it has been damaged in the warehouses. Will the hon. Minister give an assurance to the House in clear terms that special grants will be given to the Food Corporation for construction of warehouses so as to ensure that the foodgrains may not get damaged in West Bengal and such soiled foodgrains may not be released for distribution?

SHRI BHANU PRATAP SINGH: We are at present not able to produce as much quantity of parboiled rice as is needed by West Bengal and Kerala. We have therefore decided to give a premium of Rs. 5/- on the procurement price of parboiled rice in the country. In this manner we want to encourage the production of parboiled rice and the West Bengal would get the increased quantity of parboiled rice as and when its production goes up.

As far as wheat is concerned it is first inspected by the officials of the State Government and if it is found satisfactory it is released for distribution.

SHRI UGRASEN : I asked about the steps being taken to improve the warehousing facilities for the foodgrains which is now becoming soiled.

SHRI BHANU PRATAP SINGH: I do not agree with the statement that a large stock of foodgrains is getting damaged.

SHRI UGRASEN : It is a question of fact according to reports.

बागान श्रमिक अधिनियम के अन्तर्गत आवास के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता

*371. **श्री जार्ज मैथ्यू** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार बागान अधिनियम के अन्तर्गत बागानों में श्रमिकों के मकानों के लिए अधिक धन राशि का नियतन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो केरल को चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि का नियतन किया जायेगा; और

(ग) क्या वर्तमान कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जायेगा कि बागानों में श्रमिक अपने स्वयं के प्लाटों पर मकानों का निर्माण कर सकें?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) An amount of Rs. 2.10 crores has been provided in the Central Budget for implementation of the Subsidies Housing Scheme for Plantation Workers during the current financial year. No further allotment is proposed to be made for this scheme.

(b) Does not arise.

(c) Financial assistance for constructon of houses under the Subsidised Housing Scheme for Plantation Workers is also available for Housing Cooperative Socicties of eligible plantation workers. The question of amending the law, therefore, does not arise.

श्री जार्ज मैथ्यू : माननीय मन्त्री ने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बागान श्रमिकों के लिए मकान निर्माण की राज सहायता प्राप्त योजना क्रियान्वित करने के लिए 2.10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 29-7-1977, 2-8-1977 और 19-8-1977 को लिखा है कि सरकारी क्षेत्र के बागानों में काम करने वाले श्रमिकों को 750 मकान का निर्माण करने के लिए 33 लाख रुपये आवंटित किए जायें। केन्द्रीय सरकार ने अभी तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 2.10 करोड़ रुपये की कुल रकम में से 33 लाख रुपये की पूरी रकम क्या केरल के लिए आवंटित की जायेगी ?

SHRI RAM KINKAR : Sir, so far as Kerala is concerned an amount of Rs. 14 lakhs is to be given as assistance and Rs. 14 lakhs as loan. Thus a total amount of Rs. 28 lakhs has been sanctioned. As far as the amount of Rs. 2.10 lakhs is concerned, a sum of Rs. 2 crores and 50 thousands has been sanctioned for Assam, Tripura, West Bengal and Kerala and Rs. 9 lakhs and 50 thousands are yet to be allotted.

श्री जार्ज मैथ्यू : मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय मन्त्री ने बताया कि ये श्रमिक अब पात्र बागान श्रमिकों के लिए सहकारी आवास समितियों के माध्यम से एक योजना के अन्तर्गत राजसहायता पाने के हकदार हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बागान श्रमिक अधिनियम के अधीन वर्तमान योजना जिसमें 50 प्रतिशत ऋण, $37\frac{1}{2}$ प्रतिशत राजसहायता और नियोजकों द्वारा $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत योगदान देने की व्यवस्था है उन श्रमिकों पर भी लागू होगी। जिनके पास बागान से बाहर अपना भूखण्ड है। केरल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए बागान श्रमिक अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने हेतु केन्द्रीय सरकार की 22-8-1977 को लिखा है। क्या यह योजना बागान से बाहर निवास करने वाले श्रमिकों पर भी लागू की जायेगी।

SHRI RAM KINKAR : There is no such scheme.

श्री पूर्ण सिन्हा : अभी मन्त्री जी ने बताया कि 2.5 करोड़ रुपये असम के लिए स्वीकृत किए गए हैं। असम में औद्योगिक मकान निर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है? क्या यह सच है कि चाय बागान श्रमिकों हेतु मकानों का निर्माण करने के लिए चाय बागान मालिकों को ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में अनुचित रुकावट डाली जाती है और उसके परिणामस्वरूप इस उद्योग का चाय बागान श्रमिकों के लिए आवासीय मकान बनाने का जो कार्यक्रम है उसे पूरा करने में अनुचित विलम्ब हुआ है। इस योजना की क्रियान्विति 20 वर्ष पिछड़ गई है।

SHRI RAM KINKAR : The sums of Rs. 40 lakhs have been granted for Assam as loan and assistance respectively.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न है कि उन्हें यह रकम नहीं मिल रही है। उन्हें परेशान किया जा रहा है और उन्होंने आपसे जो अपील की है उनका उत्तर नहीं दिया गया है

SHRI RAM KINKAR : It is not true. I do not have any such information.

श्री वयालार रवि : सहकारी संस्थाओं और चाय बागान श्रमिकों के बारे में मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। यह मन्त्री महोदय की अज्ञानता दर्शाता है। उनकी कोई ऐसी सहकारी संस्था नहीं है और श्रम कानून में बागान कर्मचारियों / श्रमिकों के लिए मकान निर्माण का उपबन्ध है। ऐसे लोगों को प्रभावित करने के लिए जो किसी भूखण्ड के मालिक हैं केरल सरकार ने एक योजना प्रस्तुत की थी। यह योजना क्या है? क्या आप राज्य सरकार को धन उपलब्ध करायेंगे जिसका वह अपनी इच्छानुसार राज्य की भौगोलिक स्थिति व आवश्यकता के आधार पर उपयोग कर सकें?

SHRI RAM KINKAR : There have been a number of financial difficulties before the State Governments. So the Central Government provided in 1970-71 that 50% as loan, 37½% as assistance and 12½% as contribution by plantation owners will be granted. It has eased their position and now they are not facing any difficulty.

As far as housing societies are concerned, they are given financial aid according to the information available with me.

उड़ीसा के भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून में परिवर्तन

***373. श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को उड़ीसा में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून में परिवर्तन करने के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा सरकार के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार को सही समय पर उचित सलाह दी जाएगी।

श्री गिरिधर गोमांगो : उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार के पास विचारार्थ जो सिफारिशें भेजी हैं वे मुख्यत: क्या हैं? यह जो बताया गया है कि उपयुक्त स्थिति आने पर सलाह दी जायेगी, तो वह उपयुक्त स्थिति कब आयेगी? क्या उड़ीसा सरकार का यह उचित काम है कि उसने ऐसे समय पर ये सिफारिशें भेजी हैं जब सरकार ने बहुत सी भूमि का वितरण किया है और इन सिफारिशों के कारण भ्रम उत्पन्न हुआ है?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : ये प्रस्ताव विधेयकों के रूप में नहीं आये हैं। उड़ीसा सरकार ने कुछ मामलों पर भारत सरकार से मार्गदर्शन चाहा है। पहली बात यह है कि क्या भूमि-सीमा के लिए उसका वर्गीकरण निर्धारित करते समय केवल विशिष्ट फसलें (जैसे कि धान, जूट, गेहूं और गन्ना) आधार मानी जानी चाहिएं? दूसरी सलाह उन्होंने यह मांगी कि इस समय सिंचित भूमि के अन्तर्गत कानून के अनुसार ऐसी भूमि नहीं आती है कि जिस पर निजी ट्यूबवैल से सिंचाई की जाये और क्या ऐसी भूमि को भूमिसीमा निर्धारण के लिए सिंचित भूमि गिना जाये? इन सिफारिशों पर सम्बन्धित विभाग विचार कर रहा है, मैं इनमें से कुछ से सहमत हूं, कुछ से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आपने इन पर पूरी तरह विचार नहीं किया है। ऐसी स्थिति में आप कोई आश्वासन क्यों दे रहे हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या भारत सरकार को उड़ीसा सरकार से कोई शिकायत मिली है कि वितरित की गई भूमि पर जमींदार बलात कब्जा कर रहे हैं । क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई हिदायत दी है क उचित ढंग से भूमि का वितरण किया जाय ताकि उड़ीसा सरकार द्वारा वितरित की गई भूमि पर भूमिहीन कब्जा कर सके ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उड़ीसा में अन्य राज्यों की तुलना में भूमि सुधार अधिक सुचारु ढंग से लागू किए जा रहे हैं । उदाहरण के लिए वहां कुल 2 लाख एकड़ भूमि फालतू होने का अनुमान था । 1.2 लाख एकड़ भूमि फालतू घोषित की गई है और 1.6 लाख एकड़ भूमि कब्जे में ली गई है और 90,000 लाख एकड़ भूमि का वितरण हुआ है । अन्य राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा में इस दिशा में अधिक प्रगति हुई है । वहां की कोई शिकायत भी नहीं है ।

DR. RAMJI SINGH : The hon. Minister has just praised the progress in land reforms in Orissa. In view of the facts that radical efforts are being made by Kisan Samities in West Bengal for putting an end to the hypocracy of benami land holding and it has been observed by Lizinsky in his report that land reforms cannot be fully carried out unless the law on land reforms is properly implemented in villages and benami land holdings are taken away from big landlords in every village, I want to know whether the hon. Minister would appreciate the way in which the land reforms law is being implemented by Kisan Samities in West Bengal and he would encourage such methods in other areas of the country.

SHRI SURJIT SINGH BARNALA : I have not received so far any such reports from West Bengal, so I am not .....

श्री जगन्नाथ राव : क्या उडीसा सरकार ने केन्द्र को 'कुटुम्ब की परिभाषा में संसोधन करने के लिए लिखा है ताकि उसके अन्तर्गत व्यसक अविवाहित पुत्र भी शामिल हो जाये जिसे इस समय किसी हिस्से का हक नहीं है । दूसरे, ऐसी भूमी जिसे आरम्भिक रुप से सिंचित भूमि दर्शाया गया है अब सिंचित नहीं रही है परन्तु उसे अभी तक प्रथम श्रेणी की भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है । क्या उड़ीसा सरकार ने ऐसी भूमि को शामिल न करने की सिफारिश की है ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : परिवार की परिभाषा के बारे में उन्होंने कुछ सिफारिश की है । उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है अभी किसी वयस्क पुत्री को परिवार में गिना जाना है । राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उसे शामिल नहीं किया जा सकता है ।

श्री दारुर पुलय्या : इस तथ्य की दृष्टि से कि कई राज्यों में भूमि कीमत की प्रतिपूर्ति के बारे में काफी भिन्नता है, क्या सरकार समान नीति बनाने का विचार रखती है । कुछ राज्यों में बाजार मूल्य का आधा मुआवजे के रूप में दिया जाना है । भूमि की किस्म के अनुसार मुआवजे की अदायगी के बारे में समानता होनी चाहिए ।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : यह मुख्यता राज्य सरकारों का काम है । भिन्न-भिन्न राज्यों म जमीन की किस्म भिन्न-भिन्न है ।

SHRI RAM NARESH KUSHWAHA : In Uttar Pradesh there have been many cases of forged registration and many people have occupied the land of poor people by getting ex-parte judgements in their favour under Section 229 of Zamidari Abolition Acts. Should I hope that the Hon'ble Minister would adopt such a system under which the genuine owners who have been evicted from their land by cheating or in forged manner are given back their land?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : उड़ीसा के बारे में यह प्रश्न नहीं है : यह उत्तर प्रदेश के बारे में है। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है।

काल पात्र

*374. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री

काल पात्र के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :]

(क) क्या खुदाई का काम आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो कालपात्र को वस्तुत: कब तक निकाल लिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) [: (क) और (ख) खुदाई का काम 28 नवम्बर, 1977 को शुरु हुआ और 8 दिसम्बर, 1977 को काल-पात्र बाहर निकाल लिया गया।

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या मन्त्री महोदय सभा को यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने इतिहास गढ़ा है और उसे तोड़-मरोड़कर रखा है उनके विरुद्ध वे क्या कार्यवाही करने का विचार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने इसे खोला नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या इसके साथ ही वह सभा को यह आश्वासन भी देंगे कि जिन लोगों ने तथ्यों को गढ़ा है और तोड़-मरोड़ कर रखा है उन्हें उनके स्थानों से विशेष रूप से शैक्षणिक स्थानों से हटा दिया जायेगा ताकि स्तर बनाये रखा जाये।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कालपात्र 8 दिसम्बर को निकाला गया था। सारे कार्य का पर्यवेक्षण श्री यज्ञ दत्त शर्मा तथा 6 अन्य सदस्यों के नेतृत्व में एक संसदीय समिति द्वारा किया गया है ।

वास्तव में यह कालपात्र सुरक्षित रखने के लिए तथा 20 दिसम्बर को राष्ट्रीय भौतिक अनुसन्धान शाला में ले जाने के लिए जहां यह खोला जायेगा, तीस हजारी न्यायालय में रखा गया है। इसमें काल पात्र की खोलने की कठिनाई है। कालपात्र के सेल हैं। पहले वस्तुओं को तांबे के सेल में रखा गया जिसे भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र, बम्बई द्वारा सील किया गया फिर इस सील को विशाखापट्टनम् ले जाया गया जहां भारत हेवी प्लेट्स और वेसल्स लिमिटेड ने इसे स्टेनलेस इस्पात के सेल में सील किया। अत: इसमें वैज्ञानिकों की सहायता की आवश्यकता है क्योंकि यदि लौ में तपाये जाने के तरीके को प्रयोग में लिया जाये तो इसके अन्दर रखी वस्तुएं खराब हो सकती हैं। यही कारण है कि हमने भाभा परमाणु अनुसन्धान केन्द्र और भारत हैवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड विशाखापट्टनम से सहायता के लिए कहा है। जहां तक इसके अन्दर की वस्तुओं का सम्बन्ध है, हमने पहले ही कहा है कि जब हमें इनके बारे में मालूम हो जाये हम सदस्यों को इनके बारे में बतायेंगे उसके बाद ही हम कार्यवाही करने की स्थिति में होंगे क्योंकि हम नहीं जानते कि वास्तव में इसके अन्दर क्या है। मैंने यह स्पष्ट

2—986LSS/77

किया है कि मन्त्रालय के पास कुछ पत्र हैं जो सम्भवतः प्रतिलिपियां हैं। जब तक वास्तविक वस्तुएं निकाली नहीं जाती और जो हमारे पास है उससे उसकी तुलना नहीं की जाती तब तक हम ऐसा कहने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या कार्यवाही की जा सकती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मन्त्री महोदय को चाहिए था कि ऐसे कदम उठाते कि कम से कम सभा को यह जानकारी देते कि यदि प्रति मूल पत्रों से नहीं मिलती है तो वे यह सुनिश्चित करें कि जिन्होंने विषय सामाग्री को तोड़-मरोड़ कर रखा तथा गढ़ा है, उनको उदाहरणीय सजा दी जायेगी। ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी कोई न कर पाये। क्या वह यह आश्वासन देते हैं कि वह कड़ी कार्यवाही करेंगे ताकि कोई भी व्यक्ति भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न करे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि मूल को देखने के बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने यह नहीं कहा है।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जब हम मूल वस्तुओं की प्रतिलिपियों के साथ तुलना करेंगे तो तब हम यह विचार करेंगे कि इस मामले में क्या कदम उठाये जायेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब मूल वस्तुओं को निकाला जाये तो उन्हें दिखाया जाये। क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि वे उसके अन्दर की वस्तुओं को सभा पटल पर रखेंगे। क्या वे उनकी फोटो कापियां भी माननीय सदस्यों में परिचालित तथा आम जनता में परिचालित करेंगे? क्या वह यह भी बतायेंगे कि क्या उनका मन्त्रालय सही विवरण लिखने और उसे दूसरे सेल में रखने की योजना बना रहा है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने पहले ही कहा है कि इसकी सामग्री सभा के सदस्यों को बतायी जायेगी। जहां तक इस विषय सामग्री को सुधारने और दूसरे सेल में रखने का सम्बन्ध है सरकार ऐसा करने का विचार नहीं रखती है। सरकार अपनी ओर से इतिहास लिखना नहीं चाहती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वह फोटो कापी सदस्यों में परिचालित करने का प्रबन्ध करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि इसकी विषय वस्तु बतायेंगे। किन्तु क्या प्रतिक्रिया अपनाई जायेगी वह उस पर सोचेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जी नहीं। इसके अन्दर की वस्तुओं को बताना और फोटो कापियां सप्लाई करना अलग-अलग बातें हैं। फोटो कापी बनाने में दस अथवा 15 पैसे लगते हैं। वे सभा को आश्वासन दें कि उन्हें फोटो कापी परिचालित की जायेगी। यह वह आसानी से कर सकते हैं।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैंने कहा है कि कापियां दी जायेंगी चाहे यह टाइप की हुई हों अथवा फोटो कापियां हों; इस पर हम विचार करेंगे।

श्री मुखतयार सिंह मलिक: अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ समाचारों के बारे में कहना चाहता हूं कि जिस अधिकारी ने इन विकृत तथ्यों के बारे में बताया है उसे तंग किया जा रहा है।

उसकी वरीयता समाप्त की जा रही है। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या सरकार उस अधिकारी को तंग किए जाने तथा सताये जाने से बचाने जा रही है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं स्थिति की जांच करूंगा। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस प्रकार के सताये जाने का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री मुख्तयार सिंह मलिक : तीन या चार दिन पहले टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित हुआ था। इस अधिकारी को तंग किया जा रहा है और सताया जा रहा है। मुझे दुःख है कि यह मन्त्री महोदय के ध्यान में नहीं आया है। क्या आप इसकी जांच करेंगे?

डा० प्रताप चन्द्र चद्र : मैंने पहले ही कहा है कि हम इस मामले की जांच करेंगे और इस बात की भी जांच करेंगे कि क्या हमारे पास ऐसी शक्ति है कि हम इस उत्पीड़न को रोक सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास हमेशा अधिकार है और आपका कर्त्तव्य है कि उत्पीड़न को रोकें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि वह अधिकारी राज्य सरकार को वापस चला गया है तो हम राज्य सरकार को लिख सकते हैं कि उसे न सताया जाये। जब अधिकारी ने स्वयं कोई अपराध नहीं किया है तो उसे क्यों सताया जाना चाहिए?

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई शिकायत हो तो कृपया उसकी जांच करें।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : मैं वास्तव में उसकी जांच करूंगा

SHRI SHARAD YADAV : I want to add further to what has been asked by Shri Mukhtiar Singh Malik. The Hon'ble Minister has stated that he would take immediate action in regard to the Officer who is being harassed and give him protection but whether he would make provision for punishment to all those persons who have distorted history and if so, he should give an assurance to the House to this effect.

DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER : I have already replied to both these questions. I have stated that we will enquire into the matter about the officer.

प्रो० दलीप चक्रवर्ती : क्या मन्त्री महोदय मेरे इस बात से सहमत होंगे कि देश में ऐसा वातावरण बनाया जाये जिससे यह सुनिश्चित हो कि विद्वान लोग सच्च बोलने में स्वतन्त्र हों। क्या वह इस बात से सहमत होंगे कि भविष्य में ऐसे विद्वानों को प्रोत्साहित न किया जाये जो सत्ताधारी लोगों की इच्छाओं के अनुसार चलें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपसे असहमत नहीं होगा।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम सदस्य से सहमत हैं। सरकार विद्वानों को नहीं सतायेगी।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : गांधी और नेहरू को बदनाम करने की नीति के अनुसरण में क्या सरकार शान्ति वन में गाड़े गए कालपात्र को निकालने की सोच रही है?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : शान्ति वन का कालपात्र भी निकाला जायेगा यह सभा को पहले ही बताया जा चुका है।

श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी : क्या सम्बद्ध अधिकारी अखिल भारतीय सेवा का है और केन्द्रीय सरकार के अनुशासन और नियंत्रण के अधीन नहीं है? क्या सरकार सभा को आश्वासन देगी कि वह अनुचित उत्पीड़न से उसे बचायेगी?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

गुजरात के लिए केन्द्रीय आवास ऋण

*380. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य ने राज्य के निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने सम्बन्धी योजनायें बनाई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार के समक्ष धन की कमी होने के कारण अनेक मकानों का निर्माण पूरा नहीं हो सका;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकानों का निर्माण करने सम्बन्धी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य की सहायता करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(क) यदि हां, तो कितना ऋण मंजूर किया गया है और वर्ष 1978 के दौरान इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कितना ऋण मंजूर किए जाने की सम्भावना है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) Yes, a provision of Rs. 500 lakhs has been made in the Fifth Five Year Plan for the purpose by the State Government.

(b) No, Sir.

(c) and (d) The State Government does come up with Housing scheme to be financed by Central Government agencies. The amounts to be allocated during the year 1978 are under consideration.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात सरकार ने निम्न आय ग्रुप, मध्य-आय ग्रुप के लोगों के लिए मकान बनाने की योजनाओं के प्रस्तावों को भेजा है और कब इन पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

SHRI RAM KINKAR : Up to 30-11-1977 Housing and Urban Development Corporation has sanctioned an amount of Rs. 30.36 lakh approximately to various housing agencies of Gujarat State in which construction of 11,154 houses for low-income group is included. Gujarat Government is also implementing the following projects under the integrated Urban Development Programme :

1. Malak Saban Housing Scheme, Ahmedabad.
2. Udhavnagar Housing Scheme.
3. Atis Bridge Shoping Centre.
4. Land Development Project, Gandhinagar.

अध्यक्ष महोदय : इस पर कब अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।

SHRI RAM KINKAR : Presently I do not have information in this regard.

श्री प्रसन्नभाई मेहता : मुझे अभी पहले प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने प्रस्ताव कब भेजा और कब इस पर अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यद्यपि सरकार ने पहले ही 500 लाख रुपये आवास योजना के लिए नियत किए हैं तो केन्द्रीय सरकार के अभिकरणों ने इसके बराबर का क्या अंशदान किया है।

SHRI RAM KINKAR : The question of matching contribution does not arise.

SHRI SHARAD YADAV (Jabalpur) : Mr. Speaker, Sir, I had raised the matter of Chhatisgarh. About 700 persons are under detention there and 9 M.L.As. are also under detention then. I have written to you several times. There was firing in Kanpur. You say that backward areas would be developed.....

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि हमने अभिविन्यास कार्यक्रम रखा है। इसे करने का तरीका है।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTIONS

EXCLUSION OF HOCKEY PLAYERS FROM COACHING CAMP AT PATIALA

†5. SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA. Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the reasons for which the famous Hockey Players were expelled from the training camp being organised in the Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala;

(b) whether the Indian Hockey Federation took this step after consulting the Sports Department of the Government and if not, the opinion of Government on the issue; and

(c) the steps being taekn by Government to provide proper facilities to the famous players with a view to raise the standard of the Indian Hockey Team ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) It is not known who the Honourable Member means by "the famous Hockey players" but it is presumed that he is referring to the six players who had been withdrawn by the Indian Hockey Federation recently from the Coaching Camp at Patiala. Of the six, three did not submit explanation/apology for their earlier alleged misconduct, though given sufficient time, and the other three did not report at the Coaching Camp on due date.

(b) No, Sir. The matter is entirely within the jurisdiction and responsibility of the Indian Hockey Federation.

(c) Government are providing coaching facilities to the probables for the World Cup Hockey Tournament selected by the Indian Hockey Federation in accordance with an agreed plan which envisages *inter-alia* holding of coaching camps at the Netaji Subhas National Institute of Sports, Patiala, and playing of matches against foreign teams.

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Mr. Speaker, Sir, I want to know from the Hon'ble Minister that the reply given by the Indian Hockey Federation is so misleading that I would say that it is mischievous and whether the Hon'ble Minister has gone through the seven letters which were sent to the players. Mr. Speaker, Sir, in his letter sent to the Secretary, Indian Airlines, the Secretary, Indian Hockey Federation has written that

"भारतीय हाकी फैडरेशन की कार्यकारिणी समिति की 3–11–77 को नागपुर में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। जिन्हें अनुशासन और सद्भावना के हित में क्रियान्वित किया जाना है :

1. क्योंकि सर्वश्री अशोक कुमार और असलम शेरखां के भारतीय हाकी फैडरेशन के प्रेसिडेन्ट को बिना शर्त क्षमा याचना के पत्र प्राप्त हुए हैं और इसी प्रकार के पत्र की आपके विभाग के श्री सुरजीत सिंह से आपके पत्र संख्या 546/77 दिनांक 22–9–1977 के अनुसार अभी प्रतीक्षा की जा रही है।"

Therefore how for it is correct to say that they have not tendered apology. This letter has been returned on 4th November and it has been stated therein that the apology tendered by Surjit Singh should be sent to them by 12th June. It has further been acted therein :

"यह भी निर्णय किया गया है कि इण्डियन एयरलाईन्स कार्पोरेशन बोर्ड को यह प्रतिज्ञान देना चाहिए कि उनके खिलाड़ियों का व्यवहार अच्छा रहेगा।

यदि इण्डियन एयरलाइन्स कार्पोरेशन श्री गोविन्दा को तीसरे प्रशिक्षण शिविर में अन्य खिलाड़ियों के साथ भेजना चाहता है तो भारतीय हाकी फैडरेशन को कैम्प में प्रशिक्षण देने में कोई आपत्ति नहीं होगी।"

Thereafter the following letter has further been written :

"आपके दिनांक 11-11-1977 के तार तथा पत्र के सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना है कि श्री असलम शेर खां, श्री अशोक कुमार और श्री बी० पी० गोविन्दा को तुरन्त पटियाला के प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित होने का निदेश दिया जाये। कृपया श्री सुरजीत सिंह से पटियाला प्रशिक्षण शिविर में हुई घटना के लिए बिना शर्त याचना अग्रसारित करें और आप अपनी ओर से इस मामले में तत्काल कार्यवाही करने का वचन भी दें।"

This letter was sent to them on the 17th to the effect that these players should be sent there. The players went to the camp immediately but after reporting to the Camp they were turned out after 24 hours. In this letter it has been stated that they have no objection if Govinda is sent. Govinda had no connection either with the apology or the disciplinary action but he was also turned out of the Camp. In regard to Surjit Singh it was stated that his apology might be sent. Letters sent on 18th enclosed the apology and it reached them on 21st. I want to know whether this is the way to deal with the players of India who, when returned to India after winning the World Cup were praised by the Prime Minister, President and all over the country and were given a civic reception. Thereafter when they went to the Camp they were turned out unceremoniously.

I would also like to know as to what decision was taken in the meeting which as stated by the Minister-incharge of the Sports was to be convened as the Hon'ble Minister of Education has stated that they have no control over affairs of I.H.F. and they may do whatever they like..... (*interruption*)..... I want to know whether this was considered in the AICS meeting, which is an advisory body.

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : महोदय, मैं मानता हूं कि कुछ कमियां हैं क्योंकि हमने भारतीय हाकी फैडरेशन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्यवाही की है। जब हमें यह मालूम हुआ कि तथ्यों में कुछ कमियां हैं तो हमने भारतीय खेल-कूद परिषद की कार्यकारिणी समिति को लिखा कि वे एक बैठक बुलावें ताकि मामले को निपटाया जाये और भारतीय हाकी फैडरेशन को उचित सिफारिशें की जायें। अतः 5 दिसम्बर, 1977 को यह बैठक बुलाई गई और इसमें भारतीय खेल समिति जैसे विभिन्न खेल-कूद निकायों के कई प्रतिनिधि शामिल हुए। समिति ने नोट किया कि भारतीय हाकी फैडरेशन के प्रेसीडेंट के प्रैस वक्तव्य और भारतीय खेल संघ के प्रेसीडेंट द्वारा बैठक में पेश किए गए पत्र में अन्तर है। मन्त्रालय को दिनांक 24 नवम्बर, 1977 के भारतीय हाकी फैडरेशन के तार में एक स्पष्टीकरण दिया गया। समिति ने महसूस किया कि भारतीय हाकी फैडरेशन के प्रेसीडेंट द्वारा की गई कार्यवाही न अनुशासन की दृष्टि से और न ही खिलाड़ियों के लिए उचित थी। इस प्रकार की कार्यवाही से हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए असुरक्षा की भावना पैदा होती है और खास तौर से उन खिलाड़ियों के लिए जो अब प्रशिक्षण ले रहे हैं। अतः समिति ने सिफारिश की कि भारतीय हाकी फैडरेशन को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा जाना चाहिए। अखिल

भारतीय खेल-कूद परिषद की कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों को भारतीय हाकी फैडरेशन के ध्यान में आवश्यक कार्यवाही के लिए लाया जा रहा है। पहले भी श्री धन्ना सिंह गुलशन, राज्य मन्त्री द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी क्योंकि वह चाहते थे कि वह अपने प्रभाव से यह मामला निपटा सकें।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : The Hon'ble Minister has clarified the position. He has stated that A.I.C.S. has again made recommendation to him. I only want that only those players should be sent who are fit to play. Hockey is a very important game of the world. India's prestige depends on it. Therefore, it is necessary that best players should be included in the team. This should be done without any interference. Therefore I would say that you have your coaching camp in Patiala. It is run by Government. No pressure should be brought and they should be allowed to make proper selection of their own. Whether you will ensure that best players are taken in the team ?

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र: मैंने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि सरकार भारतीय हाकी फैडरेशन द्वारा किए जाने वाले चयन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है क्योंकि हाकी नियमों के अधीन फैडरेशन स्वायत निकाय है और सरकार चयन के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं रखती है। मैं लार्ड किल्वानिन, जो अन्तर्राष्ट्रीय खेल-कूद संघ के प्रेसिडेंट हैं, मिला हूं। उन्होंने कहा है कि इन मामलों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

श्री के० गोपाल : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से सहमत हूं कि सरकार का भारतीय हाकी फैडरेशन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है। किन्तु वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय हाकी फैडरेशन के पदाधिकारी गुण-दोषों का विचार करने की अपेक्षा पक्षपात करते हैं। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि जो लोग भारतीय हाकी फैडरेशन को नियंत्रित कर रहे हैं वे चयन में रचनात्मक मूल्यांकन करें चाहे यह राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हो और चाहे आप औपचारिक अथवा अनौपचारिक तरीके से देखें किन्तु यह सुनिश्चित हो कि कार्य सुचारु रूप से हो।

डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र : यदि वे स्वायत हैं तो हमें कोई शक्ति नहीं कि हम यह सुनिश्चित करें कि वे सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं। फिर भी, हमने यह सुनिश्चित किया है कि अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद की कार्यकारिणी समिति ने पुनर्विचार के लिए सिफारिश की है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

स्कूल स्तर की शिक्षा के बारे में नियुक्त ईश्वर भाई पटेल समिति

*369. **श्री यशवन्त बोरोले**
श्रीमती पार्वती कृष्णन् } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10+2+3 शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई ईश्वर भाई पटेल समिति ने यह सिफारिश की है कि छात्रों का विषयवार भार कम किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति की विभिन्न सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इन सिफारिशों की क्रियान्विति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) ईश्वर भाई पटेल समिति की स्थापना केवल दस वर्षीय स्कूल पाठ्यचर्या का पुनरीक्षण करने के लिए की गई थी, न कि शिक्षा के जमा 2 स्थवा जमा 3 स्तरों के लिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट 21 नवम्बर, 1977 को प्रस्तुत की, जिसका अध्ययन किया जा रहा है । समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 1978 की परीक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों में से विलोपन का भी सुझाव दिया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही की बैठक में इन विलोपनों को स्वीकार कर लिया है और इनकी सूचना सदस्य स्कूलों को शीघ्र ही भेज दी जायेगी।

ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिये आवास स्थल

*370. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के परिवारों के लिये आवास स्थल की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले, और

(ग) उक्त सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के जितने परिवार आवास स्थल रहित पाये गये उनमें से कितने प्रतिशत परिवारों को जनवरी, 1976 के अन्त तक, विशेषकर कर्नाटक राज्य में, आवास स्थल दे दिये गये ?

निर्माण और आवास पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्द्र बख्त) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों से एकत्र की जा रही है । उनसे प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

1976-77 के मौसम के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करना

*372. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जोनों के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीका अपनाया जाता है, जो 1976-77 मौसम के लिए 3 अगस्त, 1976 को अधिसूचित किया गया था; और

(ख) क्या सरकार द्वारा अपनाये जाने वाला तरीका औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा इस मामले में दी गई सिफारिश/सलाह के अनुरूप है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) 1975-76 मौसम के लिए लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के पास भेजा गया था जिसने जून, 1976 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 3 अगस्त, 1976 को अधिसूचित किए गए मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर आधारित हैं। मोटे तौर पर, 1975-76 मौसम के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित करने हेतु जो विधि अपनाई गई थी उसमें विभिन्न जोनो में फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के वास्तव में दिए जाने वाले मूल्य के आधार पर कुल उत्पादन लागत और खुली बिक्री की चीनी की बिक्री से प्रत्याशित धन की प्राप्ति को ध्यान में रखा गया था। 3 अगस्त, 1976 की जो मूल्य अधिसूचित किए गए थे वे 1975-76 मौसम में उत्पादित चीनी के लिए थे, न कि 1976-77 मौसम के लिए।

केन्द्रीय मत्स्य निगम का कार्यकरण

375. **श्री मोहम्मद हयात अली** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के दौरान केन्द्रीय मत्स्य निगम हावड़ा को कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या सरकार को निगम में ऊंचे वेतन वाले पदों के सृजन के बारे में, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या ऊंचे वेतन वाले पदों के सृजन से निगम की वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस निगम को बेहतर तथा कुशल संगठन बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केन्द्रीय मात्स्यकी निगम को वर्ष 1976–77 के दौरान कोई लाभ नहीं हुआ। वास्तव में गैर लेखा परीक्षत अन्तिम आंकड़ों के अनुसार उस वर्ष के दौरान निगम को 32.10 लाख रु० का घाटा हुआ था।

(ख) तथा (ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1973–74 को छोड़कर, (जिसमें निगम को 2.54 लाख रु० का मामूली लाभ हुआ था) इसे प्रारम्भ से ही प्रति वर्ष घाटा होता रहा है। इसलिए निगम के प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं, कार्यक्रमों व कार्य-पद्धति की व्यापक समीक्षा करने के लिए नवम्बर, 1976 में एक पुनरीक्षण समिति गठित की गई थी। समिति ने इस निगम को पश्चिम बंगाल सरकार को हस्तांतरित करने की सिफारिश की है। भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार से निगम को अपने अधिकार में ले लेने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

लवण तथा क्षार से प्रभावित खेती की जमीन में खाद्यान्न का उत्पादन

376. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि किसान लवण तथा क्षार से प्रभावित खेतों में भूमि को कृषि योग्य बनाने की नयी तकनीक अपनाते हैं तो क्या उससे देश में 150 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भूमि सुधार की नई विकसित तकनीक को 25 लाख हैक्टार क्षारीय क्षेत्रों में अपनाया जा सकता है । इस सभी भूमि को कृषि योग्य बनाने से 100 लाख मीटरी टन अतिरिक्त उत्पादन होने की संभावा है।

(ख) जी हां ।

(ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दोरान पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश मे क्षारीय भूमि की कृषि योग्य बनाने के लिए एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना शुरु की गई थी । इस योजना क अन्तर्गत, 3 हैक्टार वाले कृषकों की भूमि सुधार की लागत का 50 प्रतिशत तथा दूसरों को 25 प्रतिशत तक राज-सहायता के रूप मे मिलता है । जून 1977 तक इस योजना के अर्गत 20,000 हैक्टार भूमि आई है ।

FINANCIAL ASSISTANCE TO REFUGEES FROM SINDH

*377. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether any financial assistance was given by the Government of India to the refugees who came from Sindh during the Indo-Pak War, for raising their "Jhonpries"; and

(b) if so, the amount thereof and when it was given ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) Yes, Sir.

(b) In Rajasthan, the State Government is reported to have disbursed to the displaced persons in camps the following amounts for *jhompas* at the rate of Rs. 200/- per family, against the sum of Rs. 17.22 lakhs already sanctioned for this purpose by this Department :—

1976-77	Rs. 10,06,900
1977-78	Rs. 1,90,700

The balance amount is in the process of being distributed.

In Gujarat, the displaced persons have been provided with free shelter, the cost of which is reported to be Rs. 6.35 lakhs.

उर्वरक की खरीद के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

378. श्री के० प्रधानी : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री निम्नलिखित तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे कि :

(क) उर्वरकों की खरीद के लिए वर्ष 1977–78 में प्रत्येक राज्य का कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) वर्ष 1976–77 के दौरान यह सहायता कितनी राशि की दी गई थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार उर्वरकों, बीजों तथा कीटनाशी दवाओं की खरीद और वितरण के लिए राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण की सहायता

देती है। वर्ष 1977–78 के दौरान निम्नलिखित राज्यों को अल्पकालीन ऋण के तौर पर 75 करोड़ रु० की धनराशि की अदायगी पहले ही कर दी गई है :

	(करोड़ रु०)
आंध्र प्रदेश	13.00
असम	2.00
बिहार	10.00
गुजरात	1.50
हरियाणा	3.00
केरल	3.00
मध्य प्रदेश	7.00
महाराष्ट्र	3.00
कर्नाटक	5.50
उड़ीसा	4.00
पंजाब	3.00
तमिल नाडु	2.00
राजस्थान	4.00
उत्तर प्रदेश	9.00
पश्चिम बंगाल	5.00
	75.00

राज्यों की अतिरिक्त आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए इस शीर्ष के अंतर्गत संसद के चालू अधिवेशन के दौरान 265 करोड़ रु० के पूरक अनुदान की मांग की गई है।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण के तौर पर 100 करोड़ रु० की धनराशि निम्नलिखित रूप से मंजूर की गई थी :—

	(करोड़ रु०)
आन्ध्र प्रदेश	16.00
बिहार	26.00
राजस्थान	5.50
मध्य प्रदेश	10.50
पश्चिम बंगाल	11.50
उत्तर प्रदेश	23.00
उड़ीसा	2.00
केरल	2.00
कर्नाटक	3.50
	100.00

भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान दिल्ली में परीक्षा स्थगित किया जाना

*379. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली में 14 नवम्बर, 1977 से होने वाली सभी अवर-स्नातक तथा स्नातकोत्तर सिमेस्टर परीक्षाएं आगे के लिए बढ़ा दी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब और यह निर्णय किसने किया ;

(ग) क्या आई०आई०टी० संविधि 4(2ख) के अंतर्गत केवल आई० आई० टी० सीनेट ही ऐसा निर्णय कर सकती है ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह निर्णय लेने के लिए संविधि 4(7 अथवा 8) के अंतर्गत आई०आई० टी० सीनेट की कोई बैठक बुलाई गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रमुख शैक्षिक तथा प्रशासनिक अनियमितता के लिए किसी को उत्तरदायी ठहराने का है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) यह निर्णय 4/5 नवम्बर, 1977 को सीनेट की कार्यकारी समिति द्वारा लिया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) सीनेट ने 19-11-1977 को हुई अपनी बैठक में अपनी कार्यकारी समिति के निर्णय का अनुसमर्थन किया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में राशन कार्ड धारियों को सप्लाई किये जा रहे चावल की किस्म

*381. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राशन कार्ड धारियों को काफी समय से अच्छी किस्म का चावल सप्लाई नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उचित दर दुकानों के माध्यम से राशन कार्ड धारियों को अच्छी किस्म के चावल की सप्लाई पुनः प्रारम्भ करेगी और यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार के सामने क्या कठिनाई आ रही है।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप भानु सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों को 18-8-1977 से पूर्व राशन के कार्डधारियों को जारी करने हेतु परमल जैसा अच्छे, किस्म का चावल जारी किया जा रहा था। उसके बाद उचित मूल्य की दुकानों को केवल आई०आर०-8/बेगमी चावल दिया जा रहा है क्योंकि भारतीय खाद्य निगम के पास परमल चावल का स्टाक समाप्त हो गया है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित मूल्य की दुकानों को सप्लाई किया जा रहा चावल भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्दिष्टियों के अनुरूप है।

(ग) जब भारतीय खाद्य निगम के पास स्टाक उपलब्ध हो जाएगा, तब दिल्ली की उचित मूल्य की दुकानों को अच्छे किस्म का चावल सप्लाई करना सम्भव हो पाएगा ।

चीनी उद्योग में संकट

*382. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा दिये गये इन संकेतों की जानकारी है कि चीनी उद्योग पर जो भारत का दूसरा सबसे बडा कृषि उद्योग है, सूती कपड़ा उद्योग और पटसन उद्योग जैसा संकट आने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो चीनी उद्योग को संभावित संकट, उत्पादन में कमी और इसके परिणामस्वरूप लाखों गन्ना उत्पादकों और श्रमिकों को होने वाले कष्ट से बचाने के लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की चीनी उद्योग की समस्याओं के बारे में जानकारी है और उन्होंने रुग्णता और उसके फलस्वरूप उत्पादन में हानि और गन्ना उत्पादकों तथा कर्मचारियों को होने वाली कठिनाई से बचने के लिए उपचारात्मक उपाय किये हैं । इस सम्बन्ध में जो व्यापक उपाय किये गए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

(क) चीनी फैक्ट्रियों को 1500 टी०सी०डी० के इकनामिक स्तर पर लाने के लिए उनका आधुनिकीकरण करने और उनका विस्तार करने हेतु भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने सुगम ऋण योजना की घोषणा की है । चीनी उद्योग के लिए इस योजना को भारत के औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कार्यान्विति किया जा रहा है ।

(2) वे फैक्ट्रियां जो ऊंची लागत पर लाइसेंससुदा विस्तार कर रही हैं और वे नयी फैक्ट्रियां जोकि ऊंची पूंजी लागत पर स्थापित की जा रही हैं, विस्तृत/नयी क्षमता के उत्पादन कार्य शुरु करने के बाद आरम्भिक अवस्था में वे चीनी के मुक्त बिक्री के अधिक कोटे और उत्पादन शुल्क में राहत की हकदार होती हैं ।

(3) फैक्ट्रियों को गन्ने की सप्लाई में वृद्धि करने की एक योजना की मंजूरी दी गई है जिसके अधीन उत्तर भारत में प्रत्येक फैक्ट्री क्षेत्र के आसपास 2000 हैक्टर भूमि का और दक्षिण में 1000 हैक्टर क्षेत्र में बेहतर किस्म के गन्ने के लिए भूमि का विकास किया जाना है ।

गांवों में सिंचाई कार्य के अनुरक्षण के लिये पंचायतें तथा ग्रामीण सहकारी समितियां

*383. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में सिंचाई कार्यों के उचित अनुरक्षण तथा उपयोग के लिये ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण सहकारी समितियों को सम्बद्ध करने हेतु कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) सिंचाई कार्यों के रख-रखाव तथा उपयोग के लिये ग्राम पंचायतों तथा ग्रामीण सहकारी सोसायटियों को पूरी तरह से शामिल करने की आवश्यकता पर शुरू से ही बल दिया गया है । सही प्रोत्साहन देने के लिए, लघु किसान

विकास एजेंसी/सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसी केन्द्रीय योजनाओं में, अलग-अलग लघु अथवा सीमान्त किसानों द्वारा निष्पादित योजनाओं के लिए दिए गए क्रमश: 25 प्रतिशत तथा 33 1/3 प्रतिशत के मुकाबले में, सामुदायिक सिंचाई योजनाओं के लिए 50 प्रतिशत की दर पर उपदान दिय गए हैं ।

साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छिक संगठनों को सहायता

*384. **श्री समर गुह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करने सम्बन्धी स्वैच्छिक संगठन के बारे में 21 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने साक्षरता अभियान के लिए ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की सहायता देना जारी रखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उक्त प्रयोजन के लिए विभिन्न संगठनों को दी गई सहायता के आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) सरकार ने उन संगठनों को अनुदान देना जारी रखा है, जिन्होंने सहायता के लिए अनुरोध किया है । इसके अलावा, कुछ नए संगठनों को भी सहायता दी जा रही है । विभिन्न संगठनों को दी गई सहायता के अलग-अलग आंकड़ों से सम्बन्धित विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 1327/77] ।

मैक्सिको से मछली पकड़ने वाली नौकाओं के आयात का स्वदेशी शिपयार्डों पर प्रभाव

385. **श्री विनोद भाई बी० शेठ : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैक्सिको से मछली पकड़ने वाली नौकाओं का आयात किये जाने से देश में स्वदेशी शिपयार्डों में असंतोष उत्पन्न हो गया है ; और

(ख) स्वदेशी भारतीय शिपयार्डों द्वारा बताये गये मूल्य की तुलना में मछली पकड़ने की नौकाओं की अपेक्षाकृत अधिक मूल्य पर आयात करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां । कुछ असंतोष मौजूद ह क्योंकि जिन पार्टियों को मैक्सिको से डालरों के आयात की आज्ञा दी गई थी उन्होंने जून 1973 में सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अंतर्गत समान संख्या के देसी डालरों के लिए आर्डर नहीं दिये हैं ।

(ख) उस समय आयातित डालरों के मूल्य भारतीय शिपयार्ड द्वारा बताए गए मूल्यों की तुलना में कम थे । अत: प्रश्न ही नहीं होता ।

पी० एम० जी० कालेज, आयज़ावल के अध्यापकों को वेतन की अदायगी

3406. **डा० आर० रोथुअम् :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी०एम०जी० कालेज, आयज़ावल, मिज़ोरम, के लैक्चरर, जो गत दो-तीन वर्ष से शाम की पारी में अंशकालिक रूप में छात्रों को पढ़ाते रहे हैं, अब तक अपना वेतन नहीं ले सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इनका शाम की पारी का वेतन केन्द्र सरकार वहन करेगी अथवा राज्य सरकार वहन करेगी; और

(ग) क्या शिक्षा मंत्रालय इस मामले की जांच करेगा तथा शाम की पारी के सम्बन्धित अध्यापकों को बकाया वेतन की तुरन्त अदायगी कराने और अध्यापकों को इस तरह की अदायगी करने में कठिनाई को देखते हुए इस शाम की पारी को जारी रखने अथवा बन्द करने के लिये मिजोरम सरकार को स्पष्ट निर्देश देने के लिए उपचारात्मक कदम उठायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) मिजोरम सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथो यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पुर्तगाल के साथ सांस्कृतिक समझौता

3407. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और पुर्तगाल सरकार के बीच हुए सांस्कृतिक समझौतों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) दोनों देशों के बीच अब तक किस प्रकार का सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ है और भारत तथा पुर्तगाल के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाने के लिए अग्रेतर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) इस समय भारत और पुर्तगाल के बीच कोई सांस्कृतिक करार नहीं है । तथापि, एक करार करने का प्रश्न दोनों सरकारों के विचाराधीन है ।

(ख) हाल के वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा तदर्थ आधार पर निम्नलिखित कार्यक्रम प्रायोजित किए गए हैं :—

(i) आकाशवाणी ने 1976 में पुर्तगाल को "दी प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स" नामक एक अंग्रेजी रूपक सप्लाई किया है ।

(ii) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद् द्वारा लिसबन स्थित भारतीय मिशन को 5000/– रुपये मूल्य की पुस्तकें केयोनबर विश्वविद्यालय को भेंट करने हेतु भेजी गई हैं । परिषद् ने 'जवाहरलाल का भारत आज और कल' (जवाहरलाल इण्डिया टुडे एण्ड टुमारो) नामक प्रकाशन की 250 प्रतियां भी पुर्तगाल में वितरण के लिए भेजी हैं ।

(iii) अगस्त, 1976 के दौरान, भारत सरकार द्वारा, उस्ताद रईस खान, सितारवादक को अपने एक सहवादक सहित पुर्तगाल की यात्रा के लिए प्रायोजित किया गया था ।

भारत सरकार को आशा है कि एक सांस्कृतिक करार को निकट भविष्य नें अन्तिम रूप दे दिया जाएगा, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सम्बन्धों को मजबूत बनाने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा ।

BURNING OF RICE HUSK

3408. SHRI MEETHA LAL PATEL : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether rice husk is burnt in most of the boilers of rice mills of the country;

(b) whether the ash of this husk is thrown away unused and whether Government have conducted or propose to conduct any research in regard to the utilisation of this ash; and

(c) if so, the outcome or details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Burnt rice husk is generally thrown away, though at times it is also used by the farmers in their fields as manure.

Certain research programmes are being taken up by the Government for utilisation of the burnt husk ash. A pilot project for establishment of a plant for preparation of Sodium Silicate with paddy husk ash, is under consideration. The potential for husk ash for use in the manufacture of cement is also being explored.

चीनी के उपयोग के बारे में इण्डियन शूगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा ज्ञापन

3409. **श्री धर्मवीर वशिष्ट** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सितम्बर, 1977 से प्रति क्विंटल चीनी पर पांच रुपये चीनी प्रशुल्क घटा दिया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को इण्डियन शूगर मिल्स एसोसियेशन से एक ज्ञापन मिला है जिसमें खुले बाजार में बिकने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क की ऊंची दर को कम करके चीनी के आन्तरिक उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता बतायी गई है ;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो ज्ञापन पर क्या विचार किया गया; और

(घ) क्या यह सच है कि उस शानदार ज्ञापन के साथ एक चमड़े का बैग भी परिचालित किया गया था; यदि हां, तो किस उद्देश्य से ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने जून, जुलाई और अगस्त, 1977 के तीन महीनों में गतिमान औसत, जोकि 268.23 रुपये प्रति क्विंटल था, को ध्यान में रखकर सितम्बर, 1977 में खुली बिक्री की चीनी के टेरिफ मूल्य में 5 रुपये प्रति क्विंटल की कमी अर्थात् 275 रुपये से घटाकर 270 रुपये कर दिया था ।

(ख) जी हां ।

(ग) ज्ञापन पर ऐसी कोई विशिष्ट कार्यवाही नहीं की गई थी लेकिन 1977-78 के चीनी की समूची नीति पर निर्णय के अंग के रूप में सरकार ने 16-11-1977 को उत्पादन शुल्क की मूल्यानुसार -दर खुली बिक्री और लेवी चीनी के लिए क्रमशः 45 प्रतिशत और 15 प्रतिशत से घटाकर 27 1/2 प्रतिशत और 12 1/2 प्रतिशत कर दी थी ।

(घ) जहां तक सरकार को मालूम है, मामूली कीमत के रेकसीन फोल्डर में प्रस्तुत ज्ञापन के साथ कोई चमड़े का बैग परिचालित नहीं किया गया था ।

आयोजना परियोजनाएं सम्बन्धी समिति द्वारा सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रशासन पर प्रतिवेदन

3410. **श्री एस० ननजेश गौडा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की आयोजना परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने वर्ष 1960 से 1969 तक की दशाब्दी के पूर्वार्द्ध में सार्वजनिक निर्माण कार्य प्रशासन पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) सरकार ने उन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की थी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें निर्माण कार्य के प्रारम्भिक चरण में तथा निष्पादन में उचित आयोजना, निर्माण कार्य के लिए अपेक्षित निर्माण सामग्री की खरीद, भूमि उपलब्ध कराना, ठेके की शर्तों में सुधार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शक्तियां प्रदान करना तथा निष्पादन आदि के दौरान और उसके बाद निर्माण कार्य की तकनीकी जांच करने के संबन्ध में थीं।

(ग) रिपोर्ट को कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों को परिचालित कर दिया गया था। जहां तक निर्माण और आवास मन्त्रालय का संबंध है, उन्होंने विशेष तौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए श्री एम० गोविन्द रेड्डी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति की कई सिफारिशें प्लान परियोजना की समिति से मिलती जुलती थीं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था।

न्यू मोती नगर, नई दिल्ली के ए० बी० सी० ब्लाकों में पानी की सप्लाई

3411. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में न्यू मोती नगर, के ए०बी०सी० ब्लाकों की पहली मंजिल (फर्स्ट फ्लोर) पर रहने वाले लोगों को गत दो वर्षों से पानी नहीं मिल रहा है और पानी का दवाव कम होने के कारण उनके नलकों में पानी का नाम तक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो वहां के निवासियों से अनेक अभ्यावेदन मिलने के बावजूद कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उपरोक्त कालोनी में लगाये गये दो बूस्टर पम्प खराब हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो उनको अब तक क्यों नहीं बदला गया;

(ङ) क्या दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1975 में इस कालोनी में ओवर हैड वाटर टैंक उपलब्ध कराने का निर्णय किया था ; और

(च) यदि हां, तो इसको क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) कभी-कभी जब निचली मंजिल के नलके खुले होते हैं तो पहली मंजिल के रहने वालों को पानी नहीं मिलता क्योंकि निचली मंजिल, पहला मंजिल तथा दूसरा मंजिल की टंकियों के फैरल और सर्विस पाईप सांझे हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण की गन्दी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के अधीन निर्माण की कम लागत और अधिकतम लागत के अन्दर और गन्दी बस्ती निवासियों की देय क्षमता को देखते हुए न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं सहित इस क्षेत्र का विकास किया गया है।

(ग) तथा (घ) जब बूस्टर पम्प खराब हो जाते हैं तो तुरन्त उनकी मरम्मत कर दी जाती है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

NON VACATION OF ACCOMMODATION BY EX. SPEAKER, EX. MINISTER AND EX. M.Ps.

3412. SHRI MRITUNJAY PRASAD : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Speaker, Ministers and most of the Members of Parliament of the Fifth Lok Sabha, who were allotted Government accommodation have not vacated the same even after more than three months when they were defeated in the election to the Sixth Lok Sabha and are still living there and whether these houses have again been allotted to them by Government; and

(b) if so, their names, residential addresses, period of their living and the amount of rent charged and actually paid by them would be laid on the Table of the House ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The Speaker of the 5th Lok Sabha and those Ministers of the previous Council of Ministers who were Members of the 5th Lok Sabha and were defeated in the election to the 6th Lok Sabha have vacated the Government accommodation. Nine Members of the 5th Lok Sabha though defeated in the election to the 6th Lok Sabha have not vacated the Government accommodation so far. The houses occupied by them have not been reallotted to them. Action is being taken for their eviction under the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971.

(b) The information is given in the statement enclosed (Annexure I).

STATEMENT

Statement indicating the names of the Ex-MPs still retaining Government accommodation their residential addresses, dates from which over-staying, rate of rent of the accommodation now payable by them, amount paid upto 30-11-1977 and the balance due from them as on 1-12-1977.

Sl. No.	Name of the Ex-M.P.	Residential Address	Date from which over-staying	Rate of monthly rent payable for the period of over-stay market Rate	Total amount payable upto 30-11-77	Amount paid upto 30-11-77	Balance amount payable as on 1-12-77
1	2	3	4	5	6	7	8
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
	S/Shri						
1.	Tul Mohan Ram	34-Gurudwara Rakab Ganj Road.	23-3-77	1727·30	15,429·92	—	15429·92
2	M. S. Gill	60, Ashoka Rd.	-do-	740·97	6450·55	4227·64	2222·91

1	2	3	4	5	6	7	8
	S Shri						
3.	J. B. Dhote	12 Gurudwara Rakab Ganj Road.	23-3-77	1308·84	11,646·85	Nil	11646·85
4.	H. N. Mukherjee	21, Gurudwara Rakab Ganj Road.	-do-	1337·02	12,278·14	Nil	12278·14
5.	S. S. Mohpatra	29, Canning Lane	-do-	1234·89	11,458·88	6582·14	4876·74
6.	K. Oraon	15, Canning Lane,	-do-	1064·80	9,689·27	Nil	9689·27
7.	S. M. Bannerjee	113, North Avenue,	-do-	835·07	6,926·50	2751·15	4175·35
8.	V. Shankar Giri	3, Western Court]	-do-	771·05	8,933·68	5111·16	3822·52
9.	Vijay Pal Singh	72, South Avenue.	-do-	890·11	8,345·11	Nil	8345·11

तिलारी सिंचाई परियोजना

3413. **श्री अमृत कासर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा, दमन और दीव की सरकार ने तिलारी सिंचाई परियोजना, जो महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव के बीच एक संयुक्त उपक्रम होगा, के लिए धन देने हेतु केन्द्रीय सरकार से अनरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) महाराष्ट्र सरकार से तिलारी सिंचाई परियोजना की रिपोर्ट केन्द्रीय आयोग को फरवरी, 1977 में प्राप्त हुई थी और इस समय इस रिपोर्ट की आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है। इस परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने के लिए गोआ, दमन और दीव सरकार से अभी तक कोई अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

कृषि नीति पर पुनर्विचार

3414. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कृषि नीति पर पुनर्विचार करने पर विचार कर रही है ताकि जो लोग कृषि का काम नहीं करते उन्हें आकर्षित किया जा सके और जो करते ह उन्हें प्रेरित किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा तयार की गई कृषि नीति यह है कि कृषि विकास को प्रधानता दी जाए जिसका अर्थ यह है कि कृषि की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को अधिकतम प्राथमिकता दी जानी है । कृषि के विकास को ग्रामीण विकास

के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य गरीबी हटाने, रोजगार अवसरों को बढ़ाने, विभिन्न प्रदेशों और जनता के विभिन्न वर्गों के बीच विकास की उपलब्धियों का विस्तार करना है। विकास कार्यक्रम इसी दृष्टि से तैयार किये जा रहे हैं और एक प्रगतिशील तथा निश्चित सिंचाई कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। वर्षा सिंचित प्रदेशों में, बारानी खेती की प्रौद्योगिकी का प्रचार किया जा रहा है और इसके लिये एक विस्तृत मृदा संरक्षण तथा भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कमी वाली जिंसों, विशेषतया दालों, तिलहनों और कपास के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासों को तेज किया जा रहा है। किसानों को उचित दामों पर आदानों की मूर्ति की जाएगी और उनके उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये गए हैं। ग्रामीण सुविधाओं संबंधी अवस्थापना जैसे कि सड़कों, मण्डियों, पीने के पानी की पूर्ति, इत्यादि को सुदृढ़ किया जाएगा। भूमि सुधार संबंधी कार्यक्रम पर दृढ़ता से कार्यवाही की जाएगी। इसके अतिरिक्त, कृषि अर्थव्यवस्था में विविधता लाने की दृष्टि से पशु-पालन, डेरी विकास, मछली पालन और वानिकी पर और अधिक बल दिया जा रहा है।

अगली योजना की तैयारी के लिये स्थापित कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये जाने वाले प्रस्तावों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि विकास की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी।

बिडाज स्थित साबरमती गोशाला फार्म में जरसी पालन परियोजना

3415. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिडाज स्थित साबरमती आश्रम गोशाला फार्म में एक बहुत बड़ी जरसी पालन परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और प्रगति क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। गुजरात सरकार के माध्यम से बिडाज साबरमती आश्रम गौशाला में एक केन्द्रीय प्रायोजित विदेशी पशु-प्रजनन फार्म स्थापित किया जा रहा है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य फार्म में जर्सी नस्ल के विदेशी पशुओं का प्रजनन और वर्धन करना तथा देशी पशुओं के साथ संकर प्रजनन करके दुग्ध उत्पादन में सुधार करने के लिए राज्य के कार्यक्रमों के लिए उच्च जननिक क्षमता के सांड उपलब्ध करना है।

यह फार्म अप्रैल, 1976 में स्थापित किया गया था। इसका कुल क्षेत्र 253 एकड़ है, जिसमें से 190 एकड़ क्षेत्र कृषि-योग्य है। इस समय फार्म में कुल 79 विदेशी पशु हैं। 1977–78 के अंत तक इस परियोजना के विकास के लिए 2025 लाख रु० की धनराशि उपयोग में लाये जाने की सम्भावना है। चारे की खेती करने के लिए भूमि का क्रमिक रूप से विकास किया जा रहा है। पशुओं के लिए शेड, "कार्विंग पेन", व आवश्यक अवस्थापना आदि का सृजन कर लिया गया है। पूरी तरह विकसित होने पर फार्म में लगभग 300 युवा गायों का रख-रखाव करने की आशा है। ये गायें प्रति वर्ष औसतन 150 बछड़े पैदा करेंगी, जो प्रजनन के लिए उपयोग में लाए जायेंगे।

भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण

3416. **श्री सुखेन्द्र सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्कूलों के नाम क्या हैं जिनके प्रतिनिधियों को संस्कृति विभाग द्वारा वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 में भारतीय संस्कृति का प्रशिक्षण दिया गया था और क्या उन्हें शैक्षिक तथा सांस्कृतिक किट दिये गये थे ;

(ख) क्या सरकार स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को भी प्रशिक्षण देती है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रशिक्षण देने तथा उसके लिए अभ्यर्थियों के चयन के सबन्ध में सरकार ने क्या कसौटी अपनायी है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (**डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र**) (क) और (ख) संस्कृति विभाग द्वारा 'स्कूल और कालेज छात्रों में संस्कृति का प्रचार' नामक योजना कार्यान्वित की जाती है । इस योजना के अन्तर्गत स्कूलों के अध्यापकों, कालेज के लैक्चररों और प्रशिक्षण संस्थाओं के शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण और शैक्षिक किटें दी जाती है । उन स्कूलों के नाम दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी०–1328/77] जिनके प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण व शैक्षिक किट दिये गये थे ।

(ग) प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों/लक्चररों/शिक्षक प्रशिक्षकों को क्षेत्रीय आधार पर अथवा एक विशेश क्षेत्र से चुना जाता है । स्कूलों और कालेजों के प्रतिनिधियों का चयन राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों तथा रा०शै०अनु० तथा प्र०प० द्वारा किया जाता है ।

EXCESSES COMMITTED IN THE ALLOTMENT OF QUARTERS TO GOVERNMENT EMPLOYEES DURING EMERGENCY

3417. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of cases in which irregularity was committed in the allotment of quarters to Government employees during emergency;

(b) the number of cases in which Government servants were asked to vacate one quarter and allotted another quarter during emergency;

(c) the details of the cases in which Government employees have made appeals; and

(d) the number of such cases which have been taken up by the Members of Parliament for doing justice therein and Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) None, Sir.

(b) None other than in accordance with the rules.

(c) and (d) Does not arise.

बीजों का निर्यात और उनकी मांग

3418. **श्री डी० बी० चन्द्र गोडा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम ने एशिया और अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों को अधिक उपज देने वाले बीजों का निर्यात करना आरम्भ कर दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने सभी फसलों के प्रमाणित बीजों की उच्च किस्म के लिए देश तथा अन्य विकासशील देशों में बढ़ती हुई माँग को पूरा करने के लिए कोई समन्वित बीज नीति तैयार की है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मन्त्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) जी हां । सरकार प्रमाणीकृत बीजों की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए एक समन्वित नीति अपना रही है । इस उद्देश्य के लिए एक समेकित कार्यक्रम अर्थात् राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम शुरू किया गया है । यह कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में जो कि आने वाले वर्षों में सुनियोजित कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के लिए प्रमाणीकृत बीजों के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम हैं, उपयुक्त स्थानों में बीज उत्पादन एजेंसियों के व्यापक आधार, विकेन्द्रीकृत वास्तविक कार्य के विकास के लिए आयोजित और संयोजित प्रयत्नों को प्रकट करता है, इस कार्यक्रम में वाणिज्यिक उत्पादन, परिसस्करण, भण्डारण और प्रमाणीकृत बीजों के विपणन के माध्यम से अनुसंधान केन्द्रों में प्रजनक बीजों के बहुबर्धन से बीज उत्पादन के सभी पहलुओं के लिए सहायता की व्यवस्था की गई है । यह उत्पादक और उपभोक्ता क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापनात्मक संबंधी सुविधाएं भी प्रदान करेगा । जिन प्रमाणीकृत बीजों की देश में तुरन्त आवश्कता नहीं है उनकी उपलब्धि के अनुसार अन्य देशों की मांग की पूर्ति की जाएगी ।

EMPLOYEES OF INDIAN DAIRY CORPORATION AND NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD

3419. SHRI MAHI LAL : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the category-wise and post-wise total number of employees working in the offices of the Indian Dairy Corporation and National Dairy Development Board in Delhi/New Delhi;

(b) the category-wise number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among them and whether the quota reserved for these castes has been filled there;

(c) whether the employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in these offices are harassed and some of the employees have been removed from service on false charges; if so, their number; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to ensure security of service of the employees belonging to these castes ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

सित्तन्नावासल, तमिलनाडु में खुदाई

3423. **श्री पी० वी० पेरियासामी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के पुदुकोट्टै, जिले में सित्तन्नावासल में खुदाई कार्य की वर्तमान स्थिति

(ख) इस संबंध में भावी कार्यक्रम क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि खुदाई कार्य बन्द कर दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) (क) से (घ) कुछ पाषाण कालीन समाधियां सित्तन्नवासल, जिला पुदुकोट्टै, तमिलनाडु में दिसम्बर, 1975 से मार्च 1976 के बीच वैज्ञानिक रीति से उत्खनित की गयी थीं। उत्खनन का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार की समाधियों की सांस्कृतिक विषयवस्तु ज्ञात करना था, जो कि पहले ही पूर्ण हो चुका है। अतः इस स्थल पर और उत्खनन करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

CASES PENDING WITH CUSTODIAN OF EVACUEE PROPERTY JHALAWAR

3421. SHRI CHATURBHUJ : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of cases pending undecided in the office of the Custodian of Evacuee Property, Jhalawar (Rajasthan); and

(b) the time by which they are likely to be disposed of ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKAR) : (a) Government have been informed that no case pertaining to evacuee properties in Jhalawar District is pending with the Custodian of Evacuee Property, Jhalawar.

(b) Does not arise.

TOBACCO PRODUCTION

3422. SHRI RAJKESHAR SINGH : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the production of tobacco in the country during the last three years year-wise ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : The production of tobacco in the country during the last three years is given below :

Year	Production
(1)	(2)
	(Thousand tonnes)
1974-75	363
1975-76	350
1976-77 (Final)	414

PUBLICATIONS BROUGHT OUT BY SAHITYA AKADEMI

†3423. SHRI SURENDRA JHA SUMAN : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the details of the publications brought out by the Sahitya Akademi, Delhi in various Indian languages during 1975-76, 1976-77 and 1977-78; and

(b) the expenditure incurred on them, year-wise, and the income therefrom ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) Details of publications brought out by the

Sahitya Akademi are maintained calendar year-wise. A statement showing the details is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T.—1329/77].

(b) The required information is as follows :—

Year	Expenditure	Receipts*
(1)	(2)	(3)
	Rs.	Rs.
1975-76	3,96,272	2,59,162
1976-77	5,26,398	2,21,094
1977-78 . . . . (1-4-1977 to 31-10-1977)	1,56,145	1,29,199

*(The receipts from publications are net amounts, which are calculated after payment of royalties to authors. The receipts from publications during a year do not pertain to publications of that year alone as the publications brought out during a year are not disposed off during the same year. Some expenditure on publications of a particular year may have been incurred during a previous period).

दिल्ली में सहकारी आवास समितियां

3424. **श्री के० लकप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में ऐसी सहकारी आवास समितियों के नाम क्या हैं जिनको लगभग 6 वर्ष पूर्व भूमि आवंटित की गई थी परन्तु वे या तो अपने सदस्यों को प्लाट वितरित नहीं कर सके अथवा सदस्यों ने उनको उपलब्ध किये गये प्लाटों पर अपने मकान नहीं बनाये; और

(ख) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जिन सोसाइटियों को छः वर्ष पहले भूमि अलाट की गई थी उनकी सूची नीचे विवरण में दी गई है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जिसके किसी सदस्य ने कोई मकान बनाया हो। किन्तु कुछ छुट-फुट ऐसे मामले हैं जहां कुछ सदस्य निर्धारित अवधि के भीतर अपने मकान बनाने में असफल रहे।

(ख) सदस्यों को अपने मकान दो वर्षों की अवधि तथा अनुग्रह अवधि के एक वर्ष के भीतर बनाने अपेक्षित हैं किन्तु इस अवधि के पश्चात् उप-राज्यपाल की अनुमति से संसाधन प्रभार (अर्थदण्ड) जैसा नीचे दिया गया है अदा करने पर समय वृद्धि दी जाती है :—

(i) प्रथम वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से

(ii) दूसरे वर्ष के लिए 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से

(iii) तीसरे वर्ष के लिए 6 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से

(iv) चौथे वर्ष के बाद प्लाट को पुनः ग्रहण करना होता है।

विवरण

क्रम संख्या	सोसाइटी का नाम
1.	दिल्ली स्कूल टीचर्ज
2.	ईश्वर नगर
3.	मोहन ब्रादर्स
4.	सर्व हितकारी
5.	वर्द्धमन
6.	सी०डब्ल्यू० एण्ड पी०सी०
7.	सी०पी०डब्ल्यू०डी०
8.	दिल्ली यूनियन
9.	न्यू इन्द्रप्रस्था
10.	स्टेट बैंक आफ इन्डिया
11.	शक्ति
12.	आल इण्डिया गवर्नमेंट एम्प्लाईज
13.	एवीयेशन एम्प्लाईज
14.	ए०जी०सी०आर० लो इनकम ग्रुप
15.	भारती
16.	भटनागर
17.	सी०एस०आई०आर०
18.	सेन्ट्रल रेवेन्यू
19.	सी० एण्ड ए०जी०
20.	सेन्ट्रल एक्साईज
21.	दयानन्द
22.	दिल्ली आफिसर्ज
23.	दिल्ली नार्दर्न रेलवे एकाऊन्ट्स
24.	दरिया गंज जामा मस्जिद
25.	दिल्ली हाउसिंग
26.	डिफेन्स हैडक्वार्टर्ज
27.	फ्रेन्डस् सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज
28.	गुजरात
29.	हरगोविन्द
30.	इण्डिया मेट्रोलोजिकल डिपार्टमेन्ट
31	आई०एस०आई०
32.	जागृति नगर
33.	जैन
34.	कैलाश एंकलेव

क्रम संख्या	लोसाईटी का नाम
35.	मौलाना आजाद
36.	मिनिस्टरी आफ हैल्थ
37.	डेरा गाजीखान
38.	मिनिस्टरी आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री
39.	पहाड़ी धीरज
40.	सप्लाई आडिट एण्ड अकाउंट्स
41.	शिवा
42.	यू० पी० समाज
43.	अम्बिका
44.	दिल्ली हाउसिंग
45.	हिन्दुस्तान
46.	मियांवाली
47.	नेशनल
48.	न्यू राजधानी
49.	एन०डी०एम०सी०
50.	न्यू अशोका
51.	प्लेनिंग कमीशन
52.	पंजाब नेशनल बैंक
53.	पंजातानी
54.	रायशाब जैन
55.	राष्ट्रीय जन
56.	शरद
57.	श्याम
58.	श्रेष्ठा
59.	मिनिस्ट्री आफ एस०आर०सी०ए०
60.	डी० आई० खान कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी ।

लाल किले में दिल्ली संग्रहालय से अकबर की तलवार हटाना

3426. **श्री बापू साहिब पुरुलेकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकबर की तलवार संबंधी वस्तु 12 को लाल किले में दिल्ली संग्रहालय से 1976 में कभी हटाया गया था;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या उक्त तलवार को संग्रहालय में पुनः रख दिया जायेगा; और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : वह तलवार, जिस पर सम्राट अकबर का नाम खुदा हुआ है, एक अनूठी वस्तु है। यह 1976 में प्रदर्शन से हटा ली गई थी और संग्रहालय के सुरक्षित संग्रह में सुरक्षा के कारण रख दी गई थी।

(ग) इसे प्रदर्शन के लिये रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी यह विद्वानों तथा इच्छुक दर्शकों के लिए पूर्व सूचना पर उपलब्ध की जाती है।

मछली पकड़ने की नौकाओं का आयात

3427. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाली कुल कितनी नौकाएं आयात कर ली गई हैं और कितनी नौकाओं के आयात की अनुमति दी गई है उन नौकाओं की श्रेणी क्या है, उनकी क्षमता कितनी है, उनका आकार क्या है तथा उनका मूल्य क्या है, और

(ख) उनकी किस देश से आयात करने की अनुमति दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : पिछले एक वर्ष के दौरान आयात किए गए गहन समुद्र में मछली पकड़ने के ट्रालरों तथा जो भारत में पहुँचने वाले हैं, उनकी संख्या 18 है। ये 23.14 मीटर लम्बाई स्टर्न-एवं आउटरिगर ट्रालर हैं तथा इनसे लगभग 100 फैदम की गहराई तक मछली पकड़ी जा सकती है। इन ट्रालरों को मेक्सिको से आयात किया गया है। उपरोक्त के अलावा मैक्सिको से इसी प्रकार के 12 और ट्रालरों का आयात करने की अनुमति दी गई है तथा आशा है कि ये मार्च, 78 तक प्राप्त हो जाएंगे।

हाल ही में मछली पकड़ने के 76 जलयानों के आयात की स्वीकृति जारी की गई है। उसमें 23–28 मीटर लम्बे 74 स्टर्न आउट रिगर ट्रालर हैं जिनसे 100 फैदम की गहराई तक मछली पकड़ी जा सकती है। विभिन्न देशों अर्थात् जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, हालैण्ड, स्पेन, फ्रांस और सिंगापुर से 30.60 लाख रु० से 63.90 लाख रु० तक की लागत से इनका आयात किया जा रहा है। हांग कांग से 500 लाख रु० की लागत से 50 मीटर लम्बा एक पर्स सीनर-एवं-ट्रालर जिससे 200 फैदम गहराई तक मछली पकड़ी जा सकती है और ताइवान से 47 लाख रु० की लागत से 27 मीटर लम्बा एक ट्रालर-एवं-लोंग लाइनर, जिससे 100 फैदम गहराई तक मछली पकड़ी जा सकती है तथा अन्य 2 जलयान आयात करने की मंजूरी दी गई है।

चीनी के आयात पर अमरीकी प्रतिबंध का चीनी उद्योग पर प्रभाव

3428. **श्री ए० पुरुगेसन** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने चीनी के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है;

(ख) इस प्रतिबन्ध का भारत में चीनी उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि चीनी उद्योग के साथ न्याय हो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ग्रामीण विकास के लिए तमिलनाडु को केन्द्रीय नियतन

3429. **श्री पी० त्यागराजन :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री ग्रामीण विकास में भाग लेने के बारे में दिनांक 21 नवम्बर, 1977 के अतरांकित प्रश्न सं० 1056 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विकास की प्रत्येक गतिविधि के लिये तमिलनाडु को कुल कितनी राशि नियत की गई ;

(ख) निर्धारित धनराशि के प्रभावी उपयोग के लिये क्या स्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए ; और

(ग) क्या समस्या इतनी बड़ी होने की दृष्टि से सरकार का विचार नियतन बढ़ाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1330/77]

(ख) प्रत्येक योजना कुछेक शर्तों को पूरा करने पर मंजूर की जाती है । राज्य सरकार को इन शर्तों के अनुसार चलना है और उन्हें लेखा परीक्षा के प्रति उत्तरदायी भी होना है इन कार्यक्रमों में से कुछेक के लिए निर्धारित धनराशि के प्रभावी उपयोग के लिए जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांत संलग्न हैं।

(ग) चूंकि मध्यावधि योजना और 1978-79 के लिए बजट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अत: इस बारे में स्थिति बताना संभव नहीं है।

विवरण

1977-78 के लिए ग्राम विकास की प्रत्येक गतिविधि के बारे में तमिलनाडु आबंटित कुल धनराशि नीचे दी गई है :—

(1) लघु सिंचाई के अन्तर्गत लिये जाने वाले 9 मिलियन हैक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। 1977-78 के लिए, तमिलनाडु के बारे में लघु सिंचाई के लिए अनुमोदित योजना क्षेत्र परिव्यय 7.07 करोड़ रुपये है।

(2) ग्रामीण सम्पर्क सड़कें : 65 लाख रुपये ;

(3) ग्रामीण पेय जल आपूर्ति :

(क) योजनाओं के लिए :	140 लाख रुपए
(ख) जांच पड़ताल एककें स्थापित करने के लिए:	1.5 लाख रुपए
(ग) प्रगतिसैल के प्रबोधन हेतु	0.80 लाख रुपये

(4) लघु किसान विकास एजेंसियां 405 लाख रुपये

(5) कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि : 30 लाख रुपये (जिसमें से 7.5 लाख रु० ऋण तथा 22.5 लाख रुपये अनुदान है) ।

(6) सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्रों में धन लगाना 19.77 लाख रुपये

(7) व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम : 12.93 लाख रुपये

(8) पूर्णग्राम विकास कार्य क्रम : 16.00 लाख रुपये

भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर द्वारा ग्रामीण विकास के बारे में अध्ययन

3430. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय प्रबन्ध संस्थान बंगलौर द्वारा किये गये इस अध्ययन की ओर दिलाया गया है कि सार्थक ग्रामीण विकास के लिये ग्रामों को अपने उत्पाद बेचने वाली फर्मों द्वारा सामाजिक विपणन की व्यवस्था बहुत आवश्यक है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में इस तकनीकी का उपयोग करने का है ।

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर के प्रोफैसर श्री एन० वी० रतनम् को समन्वित ग्राम विकास सम्बंधी कार्यकारी दल के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । समन्वित ग्राम विकास के क्षेत्र में भावी कार्यक्रम तैयार करने के लिए इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर अंतिम रूप दिए जाने के बाद, विचार किया जाएगा ।

गन्ने के निम्नतम मूल्य में वृद्धि

3431. **श्री रामधारी शास्त्री :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्री द्वारा चीनी पर उत्पादन शुल्क में कमी के बारे में की गई घोषणा को ध्यान में रखते हुये सरकार गन्ने के निम्नतम मूल्यों में वृद्धि की घोषणा करेगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब तक किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिये भवन

3432. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय अब भी किराये के भवन में चल रहा है यदि हां, तो प्रतिमाह कुल कितना किराया दिया जा रहा है ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय के लिये स्थल का चयन किया जा चुका है तथा वृहद योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है यदि हां, तो निर्माण कार्य आरम्भ करने में विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) निर्माण कार्य के आरम्भ होने की कब तक संभावना है तथा यह कब तक पूरा हो जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के भवन-समूह के लिए लगभग 1,025 एकड़ भूमि का चुनाव कर लिया गया है और एक वास्तुकला प्रतियोगिता के आधार पर विश्वविद्यालय भवन समूह की मास्टर योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। भवनों का निर्माण आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय के प्राधिकारी इस समय अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं और यह कार्य लगभग छः वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

अपने भवनों के अभाव में विश्वविद्यालय अर्जित अथवा किराये पर लिए गये अथवा इसके उपयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा अस्थाई तौर पर उपलब्ध कराए गए भवनों में कार्य कर रहा है।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों पर खर्च

3433. **श्री ए० ई० टी० बैरो :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने केन्द्रीय विद्यालय हैं ;

(ख) इन विद्यालयों में कुल कितने छात्र हैं ;

(ग) अभिभावकों से प्रति छात्र कितना शुल्क लिया जाता है ;

(घ) वित्तीय वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में इन विद्यालयों का कितना आवर्ती खर्च किया गया ;

(ङ) भाग (घ) में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में उन विद्यालयों का कितना अनावर्ती खर्च किया गया ; और

(च) उपर्युक्त भाग (घ) में उल्लिखित वर्षों में प्रति छात्र प्रति माह औसत लागत क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) (क) ग्यारह।

(ख) शैक्षिक सत्र 1976-77 के दौरान इन स्कूलों में 14792 छात्र थे।

(ग) कक्षा VIII तक के छात्रों से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जा रहा है। कक्षा IX से आगे निम्नलिखित शुल्क लिया जाता है :—

कक्षा IX	—	6 रु० प्रतिमास
कक्षा X	—	7 रु० प्रतिमास
कक्षा XI	—	8 रु० प्रतिमास

(घ) तथा (ङ) वित्तीय वर्षों में किया गया आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च निम्नलिखित है :—

	1974-75	1975-76	1976-77
1	2	3	4
आवर्ती	64,43,025.28 रु०	87,05,807.78 रु०	91,01,727.51 रु०
अनावर्ती	2,50,956.14 रु०	2,64,671.18 रु०	3,59,793.37 रु०

(च) प्रति छात्र प्रति मास औसत खर्च निम्नलिखित है :

1974-75	—	42.27 रु०
1975-76	—	51.50 रु०
1976-77	—	53.30 रु०

FIRE IN OFFICE OF F.C.I. BHOPAL

3434. SHRI RAGHAVJI : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether fire broke out in an Office of the Food Corporation of India, Bhopal during the month of November, 1977;

(b) if so, the action taken by Government in this regard and the preliminary conclusions drawn, thereon;

(c) the loss suffered as a result of fire and whether it is a fact that it was mainyl the records which have been destroyed in the fire;

(d) whether Government are aware that it has been reported in the local newspapers that the Regional Manager is alleged to be connected with this incident; and

(e) if so, the action taken by Government in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) :

(a) Yes, Sir. The fire broke out in the Distt. Office of FCI, Bhopal on the night between the 10th and 11th November, 1977.

(b) The fire was extinguished by Fire Brigade and the report lodged with the local police. The cause of the fire is under investigation by the police.

(c) The loss was negligible. Mostly old records already audited, a few current files, some blank proforma books, 9 wooden racks, one stool and a chair have been burnt. No record of serious nature or current importance appears to have been affected.

(d) It is correct that a local Weekly Hindi Paper, 'Prajamitra' alleged connection of Regional Manager with the fire. The allegation has been found to be incorrect. In fact, the Regional Manager was out of Bhopal from the 8th to the 14th November, 1977.

(e) Does not arise.

दिल्ली के स्कूलों में शनिवार को आधा दिन कार्य होना

3435. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व तक दिल्ली के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को आधा दिन कार्य हुआ करता था ;

(ख) क्या शनिवार को आधा दिन के बजाय पूरा दिन कार्य होने से बच्चे मानसिक तथा शारीरिक दोनों रूप से बेहतर बनेंगे; और

(ग) यदि नहीं तो शनिवार को आधा दिन मानना बन्द करने में सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) :

(क) जी, हां : कोई 30 वर्ष पहले प्रश्नाधीन प्रथा प्रचलित थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अधिक स्कूलों की आवश्यकता और स्कूलों के सीमीति कार्य समय को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने स्कूलों को दों पारियों में चलाने और शनिवार को आधा दिन रखने की प्रथा को समाप्त करने के निर्णय लिए थे। दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 में यह भी अपेक्षित है कि स्कूलों में साधारणतया एक वर्ष में 1000 कार्य घण्टों सहित कार्य दिवस 210 से कम नहीं होने चाहिएं।

स्वतन्त्रता सेनानियों के योगदान का मूल्यांकन

3436. **श्री रेणु पद दास**
श्री चित्त बसु } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सरकार ने महान स्वतन्त्रता सेनानी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और आजाद हिन्द फौज के योगदान का कभी सही मूल्यांकन करने का प्रयत्न किया था ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

(ग) क्या इस सम्बन्ध में वर्तमान सरकार द्वारा फिर से प्रयत्न किया जाएगा, और

(घ) यदि हां, तो कब ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्वतंत्रता आन्दोलन में किसी व्यक्ति अथवा संस्था की भूमिका का मूल्यांकन करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं था।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्थान द्वारा ग्रेटर बम्बई के लिये यातायात तथा परिवहन सम्बन्धी अध्ययन

3437. श्री अण्णा साहिब गोटखिण्डे : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और नए बम्बई क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं तथा इसके कारण ग्रेटर बम्बई के सड़क कार्यक्रम के नए दृश्य की आवश्यकता हो गई है जिससे यातायात की बदली हुई स्थितियों के अनुरूप वर्तमान सड़क व्यवस्था में सुधार किया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रैटर बम्बई में यातायात और परिवहन के अध्ययन का कार्य केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को सौंपा गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) जी, हां ।

RECOMMENDATIONS OF THE ENHANCED PRICE OF DDA PLOTS AND HOUSES

3438. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Delhi Development Authority has considerably increased prices of plots and houses during the last two years; and

(b) if so, the outcome of the decision taken by Government to reconsider the question of increase in prices of plots and houses ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) & (b) Due to increase in cost there has been some increase in the price of plots and houses. Steps are in hand for reducing cost and building cheaper houses.

CHILDREN OF FORMER MINISTERS STUDYING IN FOREIGN COUNTRIES

†3439. SHRI MANI RAM BAGRI : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the names of former Central Ministers whose sons and daughters are studying in foreign countries;

(b) the number of students among them who are pursuing their studies on Government expenses alongwith the number of those who are pursuing their studies on their own expenses; and

(c) the amount of foreign exchange being spent on them every year ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) : (a) to (c) The Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

उर्वरकों की आवश्यकता

3440. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों की हमारी आवश्यकता के बारे में कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल आवश्यकता कितनी है और उत्पादन कितना है; और

4—986—LSS/77

(ग) इन दोनों के बीच अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) 1977-78 के लिए एन० पी० और के० की कुल वास्तविक आवश्यकताएं पोषक तत्वों के रूप में 37.61 लाख मीटरी टन आंकी गई है जिसमें से 26.11 लाख मीटरी टन देशी उत्पादन से पूरी की जाएगी।

(ख) कमी को पूरा करने के लिए जनवरी से दिसम्बर, 1977 तक की अवधि के दौरान लगभग 12.69 लाख मीटरी टन उर्वरक का आयात किया जा रहा है।

पंजाब में सी० ए० एन० उर्वरकों की कमी

3441. **श्री एम० ए० हनान अलहाज**
श्री इकबाल सिंह ढिल्लों } : क्या **सिंचाई और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में, सितम्बर, 1977 में आलू की फसल की बुआई के समय सी० ए० एन० उर्वरकों की भारी कमी थी ;

(ख) क्या आलू की बुआई के लिए किसानों को इस किस्म के उर्वरक की अत्यधिक आवश्यकता थी और जो उर्वरक मिश्रण सप्लाई किए गए थे वे आलू की फसल के लिए अपेक्षित एन० पी० के० का आदर्श मेल पूरा नहीं कर रहे थे; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी अनियमितताओं के क्या कारण हैं और पंजाब में आलू की फसल के लिए उर्वरकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं। भारतीय उर्वरक निगम की नांगल एकक द्वारा पंजाब को कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट की होने वाली सप्लाई के अतिरिक्त 1 अगस्त, 1977 को राज्य में लगभग 18146 मीटरी टन आयातित कैलशियम नाइट्रेट के भंडार थे। इस से यह प्रतीत होता है कि सितम्बर—अक्तूबर, 1977 के दौरान पंजाब में इन भंडारों से कोई खरीद नहीं की गई थी।

(ख) विशेषज्ञों ने आलू की फसल के लिए कैलशियम एमोनियम नाइट्रेट के उपयोग के लिए कोई विशेष सिफारिश नहीं की है। यूरिया भी एन के स्त्रोत के समान ही प्रभावी सिद्ध हो सकता है। राज्य सरकार से ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है जिससे पता चले कि पंजाब में उपलब्ध एन० पी० के० का मिश्रण आलू की फसल के लिए उपयुक्त नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

DEMAND OF FERTILISERS

3442. SHRI SUBHASH AHUJA : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the demand of fertilisers in the country during 1976-77 ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : During 1976-77 there was good demand for fertilisers in the country leading to the consumption of following quantities of fertilisers (in terms of nutrient lakh tonnes) :

N	P	K	NPK
24.57	6.35	3·19	34.11

खाद्य डिपुओं में केन्द्रीय सुरक्षा बल को प्रदान किए गए वाहन तथा टेलीफोन

3443. **श्री एम० आर० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य-डिपुओं में सुरक्षा के उद्देश्यों से केन्द्रीय सुरक्षा बल को कितने वाहन और टेलीफोन प्रदान किए गए हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल को भारतीय खाद्य निगम के छः डिपों पर तैनात किया जाता है।

दिघाघाट में स्थित भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल की टुकड़ी के सहायक कमांडेन्ट को एक जीप सुलभ की गई है। इस गाड़ी को के० औ० सु० द० ग्रुप मुख्यालय, पटना के कमांडैन्ड द्वारा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, के० औ० सु० द० को दिघाघाट मोकामा, गया और फुलबाड़ी-शरीफ के लिए 4 मोटर साइकिलें भी सुलभ की गई हैं, अन्तिम तीन स्थान, के० औ० सु० द० के निरीक्षकों के अधीन, हैं। जलपाइगुड़ी में के० औ० सु० द० को एक पिक-अप वैन सुलभ की गई है। उज्जैन संयंत्र, जोकि निरीक्षक, के० औ० सु० द० के अधीन है, को एक सुरक्षित अहाते में स्थापित किया गया है और प्लांट की गाड़ियों का आवश्यकता पड़ने पर के० औ० सु० द० द्वारा इस्तेमाल किया जाता है।

के० औ० सु० द० को उज्जैन, दिघाघाट और गया में टेलीफोनों दिए गए हैं और मोकामा, फुलवाड़ीशरीफ और जलपाइगुडी में भारतीय खाद्य निगम के टेलीफोन के एक्सटैन्शन दिए गए हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ELECTIONS TO PANCHAYATS AND MUNICIPALITIES

3444. DR. MAHADEEPAK SINGH SHAKYA
SHRI O. P. TYAGI } : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 2,20,000 Panchayats and Town Areas etc. in the country had been dissolved;

(b) whether it is also a fact that election to these institution were withheld on political grounds by the previous Government; and

(c) if so, whether Government propose to direct the State Government to revive Panchayats, Town Areas and Municipalities ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) & (b) The Panchayats, Town Areas and Municipalities as part of the local self-government, is a State subject. The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) Continued emphasis has been laid on making Panchayati Raj bodies more effective in planning and implementation of rural development programmes. State Governments have accordingly been advised to delegate more administrative and financial powers to these institutions.

आल इण्डिया स्टुडेंट्स फेडरेशन की ओर से ज्ञापन

3445. **श्री समर मुखर्जी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्टुडेंट फेडरेशन आफ इण्डिया की ओर से दिनांक 20 अक्तूबर, 1977 को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त ज्ञापन में उल्लिखित मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतीक्रिया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

सफदरजंग उपरि पुल का मामला

3446. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यायालय ने सफदरंजग उपरि पुल के मामले में सभी अभियुक्तों को मुक्त कर दिया है; और

(ख) क्या उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है जिन्होंने झूठे आधारों पर उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया था ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री श्री सिकन्दर बख्त : (क) जी, नहीं । इस कार्य से संबंधित दो मामले अभी भी निलम्बित हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिप्सम का उत्पादन

3447. **श्री जी० एम० रेड्डी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सारी क्षारीय भूमि पर खेती करने की मांग को पूरा करने के लिये जिप्सम के उत्पादन को बढ़ाया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) क्षारीय भूमि के सुधार के कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इस संबंध में 1978-79 के वर्ष के लिए, जिप्सम की आवश्यकता का अनुमान 4.39 लाख मीटरी टन लगाया गया है । अतः

अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए जिप्सम के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए । देश में खनिज जिप्सम के स्त्रोत की स्थिति और पिछले वर्ष के उत्पादन के स्तर को देखते हुए कहा जा सकता है कि अतिरिक्त मांग पूरी होने की संभावना है।

भारतीय खाद्य निगम के बोलपुर गोदाम के कुलियों की बहाली

3448. **श्री गदाधर साहा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि बोलपुर गोदाम में कार्य कर रहे और भारतीय खाद्य निगम द्वारा नियुक्त 33 कुलियों को 1974 में आल इंडिया फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया गोदाम कुलीज की हड़ताल में भाग लेने के कारण आपात स्थिति के दौरान नौकरी से निकाल दिया गया था ; और

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने इस तथ्य को देखते हुए कि आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक आधार पर नौकरी से निकाले गए सरकारी कर्मचारियों को काम पर वापिस ले लिया गया है, बोलपुर, वीरभूम, पश्चिम बंगाल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों के उन कुलियों को, जिन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया था और जो मुसीबतों से गुजर रहे हैं, काम पर बहाल करने के बारे में निर्णय लिया जा रहा है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) भारतीय खाद्य निगम के बोलपुर गोदाम में कोई विभागीय मज़दूर नहीं है और वहां काम ठेकेदारों को सौंपा जाता है, जो कि मज़दूर लगाते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

SCHOLARSHIPS FOR STUDY IN FOREIGN COUNTRIES

†3449. SHRI O. P. TYAGI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of Indian Students being given scholarships by Government for special education in foreign countries; and

(b) the number of students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, out of them, getting such scholarships ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) : (a) 220 approximately.

(b) Scheduled Castes : 31

Scheduled Tribes : 18

PROBLEMS OF BLIND PERSONS

3450. SHRI HARGOVIND VERMA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are not paying proper attention to the problems of blind persons;

(b) if so, the reasons therefor, and

(c) if not, the action taken so far by Government on the memorandum submitted by them ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) No, Sir. The Government is paying proper attention to this matter.

(b) Does not arise.

(c) Suitable action is being taken on the memoranda/suggestions received, as far as possible.

दिल्ली में पट्टे पर दिए गए प्लाटों का विभाजन

3452. **श्री बलवीर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जंगपुरा-भोगल में प्लाटों को पट्टे पर दिया गया था ;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिकार्ड में कितने प्लाट अब तक विभाजित दिखाए गए हैं और इन प्लाटों का क्षेत्रफल कितना है;

(ग) क्या अधिकांश पट्टेधारियों/मालिकों ने स्वयं प्लाटों का विभाजन किया है;

(घ) क्या अधिकांश मामलों में नगरपालिका के रिकार्ड में इस सम्पत्ति को विभाजित दिखाया गया है ;

(ङ) सरकार/दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्लाटों का विभाजन करने की अनुमति न्यायालय द्वारा दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि दिल्ली में आवास समस्या के हल के लिए दो मालिकों में एक के द्वारा आधे भाग पर निर्माण किया जा सके ;

(च) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के नक्शे पर इसका प्रभाव पड़ेगा तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण/सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जिन्होंने स्वयं ही प्लाटों का विभाजन कर लिया है ; और

(छ) क्या भोगल-जंगपुरा क्षेत्र में मकानों के नक्शे दिल्ली नगर निगम पास करता है, यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने रिकार्ड में विभाजन दर्ज करने की अनुमति न देने में क्यों आपत्ति की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के रिकार्ड पर 30 प्लाट ऐसे हैं जिनका उप-विभाजन हुआ है। ऐसे प्लाटों का क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) कुछ पट्टेधारियों ने दिल्ली नगर निगम से मकानों के नक्शे पास कराने के बाद अपने प्लाटों का विभाजन किया है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ङ) और (छ) जब तक सारे प्लाटों के ले आउट प्लान में दर्शायी गई सैट बैक तथा बिल्डिंग लाइन तथा समस्त प्लाट के लिए निर्मित क्षेत्र की सीमाओं का अनुसरण किया जाता है, दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऐसे उप-विभाजन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसे मामले में ले आउट प्लान पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । लेकिन यदि प्रत्येक

उप-विभाजित प्लाट के लिए एक पृथक मैट वैक लाइन आदि की मांग की जाए तो इससे ले-आउट प्लान पर प्रभाव पड़ेगा और दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टाकर्त्ता होने के नाते नगर निगम द्वारा मकान का नक्शा पास करने की स्वीकृति के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दे सकेगा।

विवरण

उन प्लाटों की सूची जिनका उप-विभाजन दिल्ली विकास प्राधिकरण में रिकार्ड किया गया है तथा उन प्लाटों का क्षेत्रफल

क्षेत्रफल (वर्ग गजों में)	प्लाटों की संख्या
(1)	(2)
422	3
342	11
321	1
289	1
211	1
209	1
196	1
173	1
171	1
142	1
133	7
131	1
कुल	30

ACREAGE OF LAND RECLAIMED

3453. **SHRI** LALJI BHAI : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state the acreage of barren land reclaimed by Government during the last one year ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : Barren lands cover unculturable land like mountains, deserts, etc. and land which cannot be brought under cultivation unless at a high cost whether such land is in isolated blocks or cultivable holdings. However, there are degraded areas such as those affected by salinity, alkalinity, ravines, water-logging, etc. that can be reclaimed to some extent. During 1976-77 under Central schemes about 704 hectares of ravinous land and 5400 hectares of alkali land were reclaimed.

हरियाणा में गुड़गांव में चौधरी तय्यब हुसैन के निवास स्थान के सामने पार्क

3454. **श्री बशीर अहमद :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुड़गांव में चौधरी तैय्यब हुसैन के निवास स्थान के सामने कोई पार्क बनाया गया है ;

(ख) इस पार्क पर पंजाब वक्फ बोर्ड का कुल कितना पैसा खर्च हुआ ; और

(ग) वक्फ बोर्ड का इतना अधिक पैसा क्यों खर्च किया गया है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां, जामा मस्जिद गुड़गांव के सामने एक पार्क बनाया गया है। संयोगवश यह तैय्यब हुसैन के पैतृक मकान के सामने है।

(ख) पंजाब वक्फ बोर्ड के अनुसार वक्फ बोर्ड द्वारा पार्क पर 27,000 रुपये खर्च किया गया और गुड़गांव नगरपालिका द्वारा 8,000 रुपये की राशि दान दी गई थी। इसके अतिरिक्त पार्क में फुव्वारे की बत्तियां लगाने के लिए वक्फ बोर्ड द्वारा 15,600 रुपये की राशि दी गई थी।

(ग) जैसा कि पंजाब वक्फ बोर्ड द्वारा सूचित किया गया है कि यह भूमि बहुत ही गन्दी थी और उसके आस-पास कूड़े के ढेर लगे हुए थे और मस्जिद के मुख्य द्वार तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था। सफाई की खराब अवस्था होने के कारण मस्जिद में नमाज़ के लिए जाने वाले व्यक्तियों को बहुत ही असुविधा होती थी। मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने के लिए और गरीब लोगों को आश्रय देने के लिए भी जामा मस्जिद के सामने एक पार्क बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। अतः यह सामान्यतया आम जनता के लिए पार्क और आराम करने की जगह है।

BANARAS HINDU UNIVERSITIES BILL

†3456. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether Banaras Hindu University Bill has not been introduced for about four years; and

(b) if so, the reasons therefor and the time by which it is likely to be introduced ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) (a) & (b) : Long-term legislation for the Banaras Hindu University could not be introduced as it is being processed with the various concerned agencies. Action is being taken to introduce it as soon as the examination of the various issues connected with it is completed.

FACILITIES TO STUDENTS STUDYING ABROAD

†3457. SHRI KESAVRAO DHONDGE : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) the number of Indian students who have gone abroad for studies and the number of foreign students studying in our country at present;

(b) the facilities being provided by Government to Indian students studying abroad as also the facilities being provided to them by the foreign Government; and

(c) the difficulties faced by them and the action proposed to be taken by Government to resolve these difficulties ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARKATAKI) : (a) to (c) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

दिल्ली विकास प्राधिकरण की करोड़ों रुपए की धन राशि के व्यय के समाचार

3458. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला**
श्री अनन्त दवे } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 29 अक्तूबर, 1977 के साप्ताहिक "ब्लिट्ज़" में "डी० डी० ए० 'ज़ क्रोर्स डाउन दि ड्रेन" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) उक्त मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) मामला विचाराधीन है तथा जांच के पश्चात् सरकार का दृष्टिकोण सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

HISTORICAL SITE IN LADAKH

†3459. SHRIMATI PARVATI DEVI : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state whether the Department of Archaeology, Government of India propose to take over important historical sites of Ladakh such as, Alchi, Chiling, Sumada, Gyera-Mangyu, Leh-Chemo, etc. which are famous all over the world but are in a dilapidated condition for want of proper maintenance ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : After assessing the historical and archaeological aspect of the ancient monuments in Ladakh, the Archaeological Survey of India has decided to declare 13 monuments, including Alchi and Chiling, as monuments of national importance.

SHIA DEGREE COLLEGE, LUCKNOW

†3460. SHRI RAM LAL RAHI : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state the quantum of financial assistance received by Shia Degree College, Lucknow under the Fifth Five Year Plan indicating the nature of such assistance and whether it is a fact that this Degree College also gets foreign aid ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : According to the information furnished by the University Grants Commission, the Shia Degree College, Lucknow was paid Rs. 1,33,753/- by the Commission during the Fifth Plan for purchase of Books and Journals, Equipment, establishment of Book Bank, Students Aid Fund and College Science Improvement Programme. In 1971, a proposal for acceptance of aid amounting to Rs. 38,831/- from the National Iranian Oil Company for the development of the college was approved.

किंग्जवे कैम्प दिल्ली के निवासियों का पुनर्वास

3461. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि किंग्सवे कैम्प, दिल्ली के सभी निवासियों को अभी तक वैकल्पिक आवास प्रदान नहीं किये गये हैं ;

(ख) समस्या क्या है और गत 6 महीनों में उनका पुनर्वास करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उप-राज्यपाल तथा अन्य अधिकारियों द्वारा उस क्षेत्र का दौरा किये जाने के बाद सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) उस क्षेत्र के निवासियों की मांगें क्या हैं और उन्हें सरकार किस सीमा तक पूरा करेगी ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) किंग्जवे कैम्प के पुनर्विकास का कार्य मई, 1976 में नगर निगम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिया गया था और सुसंगत रिकार्ड दिल्ली विकास प्राधिकरण को अक्तूबर, 1976 में हस्तान्तरित कर दिए गए थे। भूमि का वास्तविक कब्जा, कुछ और भूमि का अर्जन, निवासियों को ट्रांजिट केन्द्रों में भेजने के पश्चात् विद्यमान बैरकों को तोड़ने से सम्बन्धित कुछ समस्याओं का अभी समाधान किया जाना है। दिल्ली प्रशासन ने अभी हाल ही में सुझाव दिया है कि योजना को तुरन्त लागू करने के लिए पुनः नगर निगम को सौंप दिया जाए। इस संबंध में सरकार ने अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

(घ) आउट्रम लाइन और हड़सन लाइन में रह रहे परिवारों ने शीघ्र पुनर्वास की इच्छा व्यक्त की है। इस संबंध में उचित कार्यवाही सरकार के विचाराधीन है।

FLATS RESERVED FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES BY DDA

3462. SHRI RAM VILAS PASWAN : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state the total number of flats constructed in Delhi by the Delhi Development Authority and the number among them reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : Upto 30th November, 1977, the Delhi Development Authority constructed 33,007 flats and allotted 31,246 of which 4074 have gone to Scheduled Castes/Tribes. Prior to 1973, there was 15% reservation for 5 categories namely (i) Scheduled Castes, (ii) Scheduled Tribes, (iii) Widows of Defence Personnel, (iv) Political sufferers and (v) Ex-servicemen. In 1973, 15% reservation was made exclusively for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and in 1976 this was increased to 25%.

गैर सरकारी आवास में रहने के इच्छुक मन्त्री

3463. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन मन्त्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने निजी आवास में रहने की इच्छा व्यक्त की है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : जी, कोई नहीं ।

रेल और विमान दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी जाने वाली राहत के समान दैवी विपत्तियों से पीड़ितों को राहत

3464. **श्री बी० के० नायर** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल और विमानों की दुर्घटनाओं के पीड़ितों को दी जाने वाली राहत के समान समुद्री-तूफान, बाढ़, सूखे जैसी दैवी विपत्तियों से पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा और/अथवा राहत देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी तथ्य क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

राज्यों में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता

3465. **श्री चित्त बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में मार्च, 1977 को सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता क्या थी ; और

(ख) इसे बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1976-77 के अन्त में प्रत्येक राज्य में सकल फसली क्षेत्र, सकल सिंचित क्षेत्र की जानकारी और फसली क्षेत्र की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) भारत सरकार ने राज्यों के विकास कार्यक्रमों में सिंचाई के विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। चालू वर्ष के दौरान राज्य योजना में बृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का परिव्यय 863 करोड़ रुपये था। इसमें 125.5 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई जिसमें 100 करोड़ रुपया विभिन्न चुनी हुई निर्माणाधीन एवं नई स्कीमों के लिए अग्रिम योजना सहायता के रूप में दिया जाना था और 25.5 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय की व्यवस्था राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से की जानी थी। चालू वर्ष में बृहद् एवं मध्यम स्कीमों के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई शक्यता का लक्ष्य 1.3 मिलियन हैक्टेयर निर्धारित किया गया है। अप्रैल, 1978 से आरम्भ होने वाली मध्यावधिक योजना में सिंचाई शक्यता में 17 मिलियन हैक्टेयर की और वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है जिसमें बृहद् एवं मध्यम स्कीमों के द्वारा 8 मिलियन हैक्टेयर एवं लघु सिंचाई कार्यों द्वारा 9 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई शक्यता का सृजन किया जाना। अगली योजना में होने वाला परिव्यय चालू योजना के परिव्यय से काफी अधिक होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के अन्य उपायों के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

विवरण

1976-77 के अंत में सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र का प्रतिशत (राज्यवार)

(हजार हैक्टेयर)

क्र० सं०	राज्य का नाम	1974-75 में कुल फसली क्षेत्र	कुल सिंचित क्षेत्र	फसली क्षेत्रों की तुलना में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	13,283	4608	35.4
2.	असम	3,104	677	21.8
3.	बिहार	10,869	3589	33.0
4.	गुजरात	8,525	1571	18.4
5.	हरियाणा	4,842	2688	55.5
6.	हिमाचल प्रदेश	917	155	16.9
7.	जम्मू और कश्मीर	897	373	41.6
8.	कर्नाटक	10,996	1786	16.3
9.	केरल	3,028	732	24.2
10.	मध्य प्रदेश	20,511	2181	10.7
11.	महाराष्ट्र	19,505	2164	11.1
12.	मणिपुर	208	83	40.0
13.	मेघालय	180	56	31.1
14.	नागालैंड	113	45	40.9
15.	उड़ीसा	7,130	1511	21.2
16.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं	—	—
17.	पंजाब	5,904	5057	85.7
18.	राजस्थान	15,711	3257	20.7
19.	तमिलनाडु	6,640	3096	46.6
20.	त्रिपुरा	374	33	9.3
21.	उत्तर प्रदेश	22,788	10,554	46.3
22.	पश्चिम बंगाल	7,717	1623	21.0
23.	संघ राज्य क्षेत्र	548	152	27.7

राजस्थान और पंजाब के बीच जल और विद्युत् संबंधी विवाद

3466. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान और पंजाब के बीच जल और विद्युत् सम्बन्धी कुछ विवाद हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे किन मामलों पर हाल ही में विचार किया गया था और प्रत्येक मामले में क्या प्रगति हुई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) थीन बांध परियोजना पंजाब, राजस्थान और अन्य सम्बद्ध राज्यों के बीच काफी लम्बे समय तक विवाद का विषय बनी रही थी। प्रधान मंत्री द्वारा 3 अक्तूबर, 1977 को आयोजित बैठक में हुई सहमति के अनुसरण में यह फैसला किया गया था कि थीन बांध पर कार्य तत्काल शुरू किया जा सकता है और इसे पंजाब सरकार क्रियान्वित करेगी। बिजली के बंटवारे के प्रश्न पर बाद में विचार किया जाना है।

खाद्य भण्डारण सुविधायें जुटाने के लिए विश्व बैंक से ऋण

3467. **श्री डी० अमात**
श्री के० ए० राजन } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य भण्डारण सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से एक परियोजना के वित्तपोषण हेतु ऋण के लिये विश्व बैंक से बातचीत चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है और उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख) खाद्य भण्डारण सुविधाओं का निर्माण करने के लिए एक परियोजना हेतु वित्तीय सहायता सुलभ करने के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई थी। विश्व बैंक से 1070 लाख डालर के ऋण की परिकल्पना की गई थी जबकि इस परियोजना पर अनुमानतः 2155 लाख डालर की लागत आएगी। इस योजना के अधीन आगामी 4 वर्षों में सोपानवार 35.75 लाख मीटरी टन भण्डारण क्षमता का निर्माण किया जाएगा। बातचीत के दौरान हुई सहमति के अनुसार विश्व बैंक ने ऋण संबंधी प्रस्तावों की पहले ही मंजूरी दे दी है।

कावेरी पर काबिनी बाँध के बारे में रिपोर्ट

3368. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके विपरित बार-बार कहे जाने पर भी कर्नाटक सरकार ने कावेरी पर काबिनी बांध बनाया था और इससे वास्तव में किसी भी आयाकट को सिंचाई सुविधा प्राप्त नहीं होती है ;

(ख) क्या इस मामले और सामान्य रूप से कावेरी जल विवाद के बारे में जांच के लिए कोई समिति नियुक्त की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां। काबिनी बांध परियोजना के अन्तर्गत 1976-77 के अन्त तक लगभग 1200 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

(ख) और (ग) कावेरी नदी में उपलब्ध जल और उसके उपयोग की मात्रा का पता लगाने के लिए जून, 1972 में एक तथ्य अन्वेषण समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति की रिपोर्ट से अन्तर्राजीय बैठकों में और आगे विचार-विमर्श करने के लिए उपयोगी जानकारी और सामग्री उपलब्ध हुई और उसके परिणामस्वरूप वैसिन के तीन राज्यों अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बीच अगस्त, 1976 म सहमति हो गई ।

बिरला भवन को हरिजन महिलाओं के होस्टल में बदला जाना

3469. **श्री हितेन्द्र देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व बिरला भवन को हरिजन महिलाओं के होस्टल में बदलने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) गांधी स्मृति को पुनर्गठित करने सम्बन्धी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पुनर्गठन का प्रश्न नई समिति पर निर्भर है जिसका शीघ्र ही पुन: गठन किया जाएगा ।

नबी करीम दिल्ली में मकानों के अनधिकृत बासी

3470. **श्री बसन्त साठे** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के नबी करीम क्षेत्र में लगभग 2500 मकान मालिकों को, उन्हें अनधिकृत बासी बताते हुए नोटिस दिये हैं और उनसे 1500 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना मांगा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि उस क्षेत्र में लगभग 10,000 मकान हैं जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनमें से केवल 2500 मकान ही चुने हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) नबी करीम में सरकारी भूमि पर और कुछ गैर सरकारी भूमि पर लग भग 6300 अनधिकृत संरचनाएं बनी हुई हैं। लोग परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के अधीन 3500 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। 1650 अनधिवासियों के विरुद्ध क्षति की राशि वसूल करने के लिए अधिनियम के अधीन नोटिस जारी कर दिए गए हैं और शेष के लिए शीघ्र ही जारी किए जाने हैं।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अन्तर्गत काम कर रहे ड्राइंग अध्यापकों के ज्ञापन

3471. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को शिक्षा निदेशालय, दिल्ली के अन्तर्गत काम कर रहे ड्राइंग अध्यापकों (आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स टीचर्स क्लब, दिल्ली) से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें क्या हैं

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार यह जानती है कि इस बारे में उचित निर्णय करने में बिलंब के कारण इन अध्यापकों को वित्तीय हानि हुई है क्योंकि वरीयता सूची का पुनरीक्षण किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अपर कृष्णा प्रोजेक्ट क्षेत्र में मार्केटिंग यार्ड की स्थापना के लिये विश्व बैंक द्वारा सहायता

3472. **श्री राजशेखर कोलूर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1977 में अपर कृष्णा प्रोजेक्ट के लिये विश्व बैंक के मूल्यांकन दल के दौरे के उपरान्त कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या विश्व बैंक का दल अपर कृष्णा प्रोजेक्ट क्षेत्र में अर्थात् गुलबर्गा जिले के शेरापुर तथा शाहपुर में मार्केटिंग यार्डों की स्थापना में सहायता करने के लिये सहमत हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विश्व बैंक के मूल्यांकन मिशन द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जा रही है और यह सम्भावना है कि यह रिपोर्ट फरवरी, 1978 में प्राप्त होगी।

(ख) और (ग) मूल्यांकन मिशन ने अपने दौरे के समय सुझाव दिया था कि गुलबर्गा जिले में शेरपुर और शाहपुर नामक स्थानों पर मंडियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन मंडियों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था, मार्केटिंग परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई० डी० ए०) द्वारा दिए गए ऋण में से किए जाने का प्रस्ताव है।

राज्य बीज निगम और बीजों की सप्लाई

3473. **श्री युवराज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में अलग-अलग चार राज्यबीज निगम स्थापित किये गये हैं और पांचवीं योजना के अन्त तक छः और राज्य बीज निगम स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या बिहार में भी एक राज्य बीज निगम स्थापित किया गया है और यदि हां, तो प्रमाणित बीजों की सप्लाई के लिये क्या व्यवस्था की गई है; और

(ग) क्या राष्ट्रीय बीज निगम को लाभ हुआ है और यदि हां तो कितना ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां । आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब में चार राज्य बीज निगमों की स्थापिना की गई है और बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में ऐसी पांच और निगमों की स्थापना करने पर विचार है । इस समय बिहार में सरकारी और गैर-सरकारी एजेन्सियों के अलावा, राष्ट्रीय बीज निगम और तराई विकास निगम प्रमाणित बीजों की सप्लाई कर रहे हैं ।

(ग) राष्ट्रीय बीज निगम ने वर्ष 1975-76 में 90.21 लाख रुपये का मुनाफा कमाया है । वर्ष 1976-77 के खाते तैयार किए जा रहे हैं ।

सब्जियों, सरसों के बीज तथा अनाज के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करना

3474. **श्री के० मालप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सब्जियां, सरसों के बीज, गैहूं, मूंगफली, चना, पैदा करने वाले किसानों को दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश की सब्जी तथा अनाज की थोक बिक्री मंडियों में बहुत कम मूल्य दिया जाता है और वे बिचौलियों के मुनाफे के कारण खुले बाजार में लगभग दुगुने मूल्य पर बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार फल, सब्जी, खाद्य तेल तथा अनाज मण्डी में प्रवेश करने और टमाटर, आलू, सरसों के बीज, चना आदि के उत्पादकों के लिए समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) सरकार कृषि जिन्सों के उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए पूर्णरूप से सजग है । इस प्रयोजन से प्रमुख खाद्यान्नों (गेहूं तथा चने सहित) मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, तथा सोयाबीन जैसे तिलहनों और कपास, पटसन आदि के वसूली/साहाय्य मूल्य पहले ही से निर्धारित किए जा चुके हैं । इस समय सरसों के मूल्य बढ़ रहे हैं, और अब तक इस जिस के लिए साहाय्य मूल्य निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा गया है। सब्जियों में आलू के मामले में आवश्यकता पड़ने पर पूर्व-निश्चित मूल्यों पर खरीद करके साहाय्य की व्यवस्था की गई है । टमाटर आदि जैसी अन्य सब्जियों के मामले में, खराब होने वाली जिन्सों की प्रकृति

को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें साहाय्य/खरीद कार्यों के अधीन लेना संभव नहीं है। तथापि सभी कृषि जिंसों की मूल्य स्थिति पर सतत निगरानी रखी जाती है, और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यकतानुसार आवश्यक उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

FINANCIAL POSITION OF SAGAR UNIVERSITY

†3475. SHRI NARMADA PRASAD RAI : Will the MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the financial position of Sagar University is miserable and it is facing difficulty in day to day administration;

(b) if so, whether Government propose to take it under Central control; and

(c) if not, the reasons therefor and the action proposed to be taken by Government about the future of the University ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) to (c) The responsibility for the maintenance of the Sagar University is that of the Government of Madhya Pradesh. The Central Government has no proposal to bring the University under its control.

दिल्ली शिक्षा निदेशालय में अध्यापकों के ग्रेड बढ़ाया जाना

3476. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 10+2 योजना के लागू होने से अनेक अध्यापक टी० जी० टी० ग्रेड से पी० जी० टी० ग्रेड में आ गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रकार ग्रेड बढ़ाये जाने से टी० जी० टी० से पी० जी० टी० मे पदोन्नत अध्यापकों को पी० जी० टी० ग्रेड मिल गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को इस बारे में कोई निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

स्काउट एवं गाइड आन्दोलन

3477. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में स्काउट एवं गाइड आन्दोलन स्वाधीनता प्राप्ति से पहले से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में केन्द्रीय विद्यालयों और पब्लिक स्कूलों सहित हाई स्कूल तथा हायर सैकेण्डरी स्कूल स्तर की शिक्षण संस्थाओं को इस आन्दोलन में शामिल करके उक्त आन्दोलन के प्रसार में सहायता करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो कैसे और कब तक तथा कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शैक्षिक संस्थाओं में स्काउटिंग तथा गाइडिंग आन्दोलन की प्रोन्नति हेतु भारत सरकार, भारत स्काउटस एवं गाइड्स के राष्ट्रीय मुख्यालय तथा अखिल भारतीय बाल स्काउट्स संघ के प्रधान मुख्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है । सहायता अनुदान सीधे शैक्षिक संस्थाओं को नहीं दिए जाते हैं ।

SCHEME FROM U.P. REGARDING FLOODS

*3478. SHRI PHIRANGI PRASAD : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Uttar Pradesh Government have submitted to Central Government for their consideration any scheme to check the devastation caused by floods every year in the State which results in considerable loss of life and property there;

(b) if so, whether Karnali and Jalkundi scheme on the upstream of Ghaghra and Rapti rivers for protecting eastern Uttar Pradesh from floods is also included therein; and

(c) if not, whether Central Government propose to prepare a draft of the said scheme for controlling floods in these rivers ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No comprehensive scheme as such or a master plan to deal with floods in the State has been submitted by the Uttar Pradesh Government to the Central Government. However, all individual flood control, drainage and river erosion schemes estimated to cost more than Rs. 50 lakhs are being submitted by the State to the Centre for clearance and approval.

(b) Does not arise.

(c) The Ganga Flood Control Commission set up by the Government of India has prepared master plan for the sub-basin of Ghaghra with the help of the State Government. They have yet to submit master plan for the sub-basin of Rapti.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के सदस्यों के लिए मकानों का कोटा आरक्षित किया जाना

3479. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के सदस्यों के लिए टाईप तीन और चार के मकानों के कोटे का आरक्षण 22.5 प्रतिशत, जैसा कि भरती नियमों में दिया गया है, के स्थान पर केवल 5 प्रतिशत रखे जाने का क्या औचित्य है;

(ख) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के साथ हो रहे इस अन्याय को, जो उनके लिए कोटे के निर्धारण की उपेक्षा करने और उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण के रूप में हो रहा है; दूर करेगी ;

(ग) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए मकानों के आवंटन हेतु आरक्षण टाईप पांच तथा इससे ऊपर के सरकारी मकानों तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल के टाईप-III और IV की 5 प्र० श० स्पष्ट रिक्तियां अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। ये प्रतिशता अन्य कर्मचारियों की तुलना में ऐसे अधिकारियों की संख्या की जांच करने के बाद निर्धारित की गई थी जो सरकारी वास के दखल में हैं तथा जो सरकारी वास के दखल में नहीं हैं। अनूसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी अपनी बारी आने पर सामान्य कोटे से भी आवंटन के पात्र हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ऐसे अधिकारियों के सम्बन्ध में जो दिल्ली /नई दिल्ली में सामान्य पूल से टाइप V और उससे बड़े आवास के पात्र हैं, एकत्रित की गई सूचना के अनुसार मौजूदा सन्तुष्टि के स्तर को देखते हुए यह समझा गया कि उनके लिए आरक्षण आवश्यक नहीं है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को फ्लैट की लागत का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन करने के मामले में प्राथमिकता दिया जाना बन्द करना

3480. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उन योजनाओं को बन्द करने का निर्णय किया है जिनके अधीन विदेशों में रहने वाले भारतीयों को फ्लैट की लागत का भुगतान विदेशी मुद्रा में करने पर फ्लैटों के आबंटन में प्राथमिकता मिल रही थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) इसमें लोगों ने अच्छा उत्साह नहीं दिखाया।

DWELLING FOR THE HOMELESS IN THE COUNTRY

3481. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of families in the rural as well as the urban areas which do not have their dwelling houses;

(b) whether Government have chalked out any time-bound programmes for solving the housing problem of these families, if so, the details thereof and the time within which the problem is likely to be solved and the expenditure involved therein; and

(c) the difficulties being experienced by Government in solving it ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The housing shortage in the country at the beginning of the Fifth Plan i.e. on the 1st April, 1974, was estimated to be 15.6 million units—3.8 million units in urban areas and 11.8 million units in rural areas.

(b) and (c) The main highlights of the proposed future programme in the field of housing are :—

(i) Adoption of a housing programme aimed at clearing the backlog and meeting the additional demand due to population growth and replacement of unusable houses, over a period of 20 years.

(ii) Restricting utilisation of public funds for low income house-holds so that larger number of dwelling units are constructed with the resources allocated to this sector.

(iii) Provision of incentives to the private sector for taking up housing on a large scale.

Assuming an average cost of Rs. 10,000/- per unit in urban areas and Rs. 4,000/- in rural areas, the total investment in housing per annum works out to Rs. 2,640 crores.

FAMILIES FROM PATPARGANJ AREA RESETTLED IN KHICHRIPUR, J.J. COLONY DURING EMERGENCY

3482. SHRI BHARAT SINGH CHOWHAN : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of families of Patparganj area in East Delhi, resettled in Khichripur, J.J. Colony during Emergency;

(b) the number of families sent back to their original places or nearby places as per the assurance given by him and the area of land allotted/proposed to be allotted to each family;

(c) whether the Delhi Development Authority does not recognise the deeds of general power of authority and insist on sale deeds alongwith certificate for mutation of names in land records; and

(d) if so, how and when these families will be resettled at their original places and the criteria to be adopted in this regard ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) to (d) Information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता

3483. **श्री मनोरंजन भगत :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कृषि क्षेत्र की प्रतिशतता क्या है जिसे अब तक सिंचित किया गया है ; और

(ख) क्या वहां पर किसानों के लिये सिंचाई की अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई योजनायें हैं ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) भूमि सम्बन्धी अद्यतन आंकड़ों (1974-75) के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कृषि योग्य भूमि 20,000 हैक्टेयर है । इस समय द्वीप में 300 हैक्टेयर भूमि को लघु सिंचाई कार्यों द्वारा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं । वर्ष 1977-78 के लिए लघु सिंचाई कार्यों के लिए अनुमोदित परिव्यय 3 लाख रुपये है जिसमें कुओं का निर्माण, पम्प सेटों की स्थापना, छोटी लिफ़्ट सिंचाई और ड्रेनेज स्कीमें शामिल हैं ।

जल-विद्युत् उत्पादन और जल पूर्ति सम्बन्धी 6 स्कीमें अन्वेषण के लिए हाथ में ली गयीं । इस बीच एक स्कीम की परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है जिसकी आजकल केन्द्रीय

बिजली प्राधिकरण और केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। अन्य स्कीमें आजकल अन्वेषण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। इन स्कीमों पर क्रियान्वयन के लिए केवल उस समय विचार किया जा सकता है जब परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया जाए और ये स्कीमें तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से सम्भाव्य पाई जाएं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पीतमपुरा में ग्रुप हाउसिंग समितियों को ऊंची दरों पर भूमि का आबंटन

3484. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सहकारी ग्रुप हाऊसिंग समितियों को पीतमपुरा में ऊंची दरों पर भूमि आबंटित की है ;

(ख) क्या इन समितियों को कहा गया है कि वे आन्तरिक सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए आबंटित भूमि का 70 प्रतिशत आरक्षित रखें ;

(ग) क्या इन समितियों को यह भी कहा गया कि वे भूमि का विकास अपनी लागत पर करें ;

(घ) क्या इन समितियों को विकास तथा अन्य सेवाओं पर भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है और इस प्रकार इन समितियों को आबंटित की गई भूमि की लागत प्लाटधारी समिति तथा वैयक्तिक खरीदारों को आबंटित की गई भूमि की लागत से बहुत अधिक बैठती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है; यदि हां, तो उन समितियों के नाम क्या हैं तथा इन अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं। मूल्य, भूमि की लागत उसका समतल करना, प्लाट की परिधि तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के अनुरूप हैं।

(ख) तथा (ग) 65 प्रतिशत भूमि सड़कों, पार्कों, सीवर लाइनों आदि के लिए छोड़नी होती है, समितियों को फ्लैटों के इर्द गिर्द से आन्तरिक सेवाओं के साथ-साथ आन्तरिक विकास कार्य भी करना होता है।

(घ) प्लाट आवास समितियों को अविकासित भूमि दी जाती है और उन्हें आन्तरिक तथा कालोनी की सेवाओं का खर्च वहन करना होता है। व्यक्तिगत तथा ग्रुप आवास समितियों के मामले में परिधि विकास तथा समतल करना तथा दोसी करने का खर्चा भूमि के मूल्य में शामिल है। तथापि आन्तरिक विकास उन्हें स्वयं करना होता है।

(ङ) 28 ग्रुप आवास समितियों ने विभिन्न मदों पर अभ्यावेदन दिए हैं। समितियों के नाम और उनके अभ्यावेदन में दी गई समान मदें विवरण 'क' और 'ख' में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए, देखिए संख्या एल० टी०–1331/77।] इन मदों पर अन्तिम निर्णय अभी लिया जाता है।

LAND REFORM AND IRRIGATION FOR HILL AREAS

3485. SHRI BHARAT BHUSHAN : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any masterplan for the land reforms and irrigation in the hill areas of the country; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) and (b) In the Hill-areas of North East like Arunachal Pradesh, Mizoram, Meghalaya and Nagaland there is community ownership of land and hence no Land-Reform laws have been enacted. In view of this, the question of preparing any masterplan for Land-Reforms in those areas does not arise. In other hilly areas of the country normal Land-Reforms laws are applicable and are being implemented as in the plains areas. It is not considered necessary to formulate any masterplan for implementation of land reforms in these areas separately. No masterplan has been prepared for irrigation in the hill-areas.

गाहपुर, आसाम में आदिवासियों का पुनर्वास

3486. **श्री पूर्ण सिन्हा** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आसाम के वन रिजर्व के भीतर भूमि के बहुत से ऐसे भूखण्ड हैं जिनमें केवल गीली खेती ही हो सकती है और ऐसे भूखण्ड वन-उत्पाद के विकास के लिये उपयुक्त नहीं है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार ने विभिन्न आदेशों द्वारा डारंग जिले के गाहपुर रिजर्व में 3,000 अनुसूचित आदिवासियों को बसाने का निर्णय किया था और उस भूमि पर इन गरीब लोगों को बसा देने के बाद भी उन्हें आपात काल के दौरान वहां से निर्दयतापूर्वक निष्कासित किया गया; और

(ग) कृषि योग्य भूमि के उन भू-खण्डों के आरक्षण को समाप्त करने और प्रत्येक परिवार को वास-भूमि के लिए एक एकड़ भूमि देते हुए इस भूमि पर इन पीड़ित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) तक असम सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

REBATE TO KHANDSARI MILLS

3487. DR. RAMJI SINGH : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether it is the policy of Government to afford protection to small and village industry;

(b) whether Khandsari industry is treated as a small scale industry;

(c) whether the sugar mills have been given rebate of 80 crores but no rebate has been given to Khandsari mills; and

(d) whether Government will remove this discrimination against village industry ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : (a) Yes, Sir.

(b) The smallest economic size of a modern khandsari unit having crushing capacity of 100 tonnes of cane per day needs a capital investment of Rs. 17 lakhs and as such it is not covered under the definition of "small scale industry" according to which the capital investment should not exceed Rs. 10 lakhs. However, such modern Khandsari Units are very

small in number as compared to old type of khandsari units whose cost is much less than Rs. 10 lakhs. Such type of Khandsari units can be classified as a "small scale industry". Whatever protection is possible from the Central Govt. for such industries, the same is provided through Khadi and Village Industries Commission. Primarily, such units are controlled by State Governments under State laws which vary from State to State.

(c) No Excise Duty rebate on excess sugar production during the year 1977-78 has been given. Regarding reduction in excise duty, both on levy and free sale sugar, recently announced by Government with effect from 16-11-77, the estimated annual loss of revenue to Government on account of this reduction in excise duty from 45% to 271-2% ad-valorem on free-sale sugar and 15% to 12-1/2% ad-valorem on levy sugar. would vary between Rs. 37 crores and Rs. 13 crores based upon estimated off-take of free sale sugar ranging from 13 lakh tonnes to 16 lakh tonnes during 1977-78.

(d) This will be examined as and when the occasion arises, with reference to the price of free-sale sugar.

अशोक बिहार और लारेन्स रोड दिल्ली के बीच "एफ" ब्लाक अशोक बिहार में पुल

3488. **श्री विजय कुमार मल्होत्रा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक बिहार और लारेन्स रोड, दिल्ली के बीच नहर के ऊपर 'एफ' ब्लाक अशोक बिहार का कच्चा पुल टूट गया है;

(ख) क्या गत 15–20 दिनों के दौरान वहां से 4–5 व्यक्ति गिर गये हैं और नहर में डूब गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो वहां पर एक पक्के पुल का निर्माण करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर सकारात्मक है तो इस पुल का निर्माण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां । यह अनधिकृत अस्थाई संरचना थी जिसे लाभ भोगियों ने स्वयं अपनी लागत से बनाया था ।

(ख) ऐसी सूचना न तो दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास है और न ही हरियाणा के सिंचाई तथा बिजली विभाग के पास है जो नहर का अनुरक्षण करता है ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । इस क्षेत्र में पहले ही एक अन्य पुल विद्यमान है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में वायु दूषण

3489. **श्री के० मालप्पा :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्लाइ एश औद्योगिक अविशिष्ट और बहुत सी अधिक धुआं छोड़ने वाली बसें देश के बड़े नगरों तथा विशेषकर दिल्ली में वायु दूषण के मुख्य कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में उपचारात्मक कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) देश में वायु प्रदूषण के नियन्त्रण के लिए कानून बनाया जा रहा है और इसे शीघ्र ही संसद् में पेश किया जाएगा। सरकार इसी बीच दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ बिजली-घर की उड़न राख से होने वाले प्रदूषण को दूर करने के लिए उपचारात्मक उपाय कर रही है।

ALLEGED MISUSE OF GRANTS BY KUMAON UNIVERSITY

†3490. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state : -

(a) the grant given to the Kumaon University during the years 1975-76 and 1976-77 by the University Grants Commission and the heads for which this grant was given;

(b) whether Government propose to enquire into the misuse of grants and financial assistance on a large scale by the Senate Committee; and

(c) the number of Colleges affiliated to this University and names thereof ?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER) : (a) According to information furnished by University Grants Commission, no grants were paid to the University during 1975-76. During 1976-77, a grant of Rs. 50,000/- was paid for Visiting Professorship and another of Rs. 7,500/- as unassigned grant.

(b) No complaints have been received by the University Grants Commission about the misuse of these grants.

(c) The following seven colleges are affiliated to the Kumaon University :—

1. Moti Ram Babu Ram Degree College, Haldwani.
2. Government Degree College, Rudrapur.
3. Government Degree College, Berinag (Distt. Pithoragarh).
4. Government Degree College, Bageshwar.
5. Radhey Hari Government Degree College, Kashipur.
6. Government Postgraduate College, Pithoragarh.
7. Government Degree College, Ranikhet (Distt. Almora).

गेहूं, जौ और चावल के अच्छे बीजों का उत्पादन और सप्लाई

3491. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गेहूं, जौ, चावल, चना तथा दालों के अच्छे बीजों तथा किस्मों का उत्पादन करने और किसानों को उनकी सप्लाई करने के बारे में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) राज्यों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त बताये गए हैं तथा क्या वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गयी है और इससे किस प्रकार के परिणाम प्राप्त किए गए हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार ने बीजों के सम्बन्ध में एक वृहत् राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों के उपयुक्त स्थानों में, जो आगामी वर्षों में नियोजित कृषि उत्पादन कार्यक्रम की प्रमाणित बीजों की सारी मांग पूरी करने के लिए सक्षम हैं, व्यापक आधार पर बीज उत्पादन

सम्बन्धी एजेन्सियों का जाल बिछाने के लिए नियोजित प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से अनुसन्धान केन्द्रों में प्रजनक बीजों का वर्धन करने से लेकर प्रमाणित बीजों के वाणिज्यिक उत्पादन, परिसंस्करण, भंडारण और विपणन तक बीज उत्पादन के सब पहलुओं में सहायता मिलेगी और इसके साथ-साथ उत्पादन करने वाले और खपत वाले क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना सम्बन्धी सुविधायें भी प्रदान होंगी।

दालों की उच्च कोटि के बीजों के अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक विशेष योजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत प्रजनक, आधारी और प्रमाणित बीजों का वर्धन करने के लिए उचित अनुदान और राज-सहायता देने का विचार है।

गुण नियंत्रण के उच्च स्तर को बनाये रखने के लिए बीजों के उत्पादन और प्रमाणीकरण के कार्यों को पृथक कर दिया गया है और बीजों के प्रमाणीकरण का कार्य राज्यों की स्वतन्त्र एजेन्सियों को सौंपा जा रहा है।

राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज विक्रेताओं में वृद्धि करने का विचार है, ताकि कृषकों को अपने घर के समीप ही उच्च कोटि के बीज उपलब्ध हो सकें।

(ख) राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम में निहित मार्गदर्शी सिद्धान्तों को राज्यों को भेज दिया गया है। चार राज्य, अर्थात् पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम (चरण–1) के अनुसार बीज निगमों की स्थापना कर चुके हैं और उन्हें बीजों के भंडारण, परिसंस्करण व विभिन्न मदों के लिए आंशिक रूप से विश्व बैंक की सहायता से धनराशि प्रदान की जा रही है। भारत सरकार राष्ट्रीय बीज निगम के माध्यम से इन निगमों की शेयर पूंजी में 30 प्रतिशत अंशदान कर रही है। पांच और राज्य, अर्थात् उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और कर्नाटक राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम के चरण-2 के अन्तर्गत बीज निगमों की स्थापना करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

कई राज्यों में स्वतन्त्र बीज प्रमाणीकरण एजेन्सियां स्थापित की जा चुकी हैं और अन्य राज्य भी ऐसा कर रहे हैं। ये प्रमाणीकरण एजेन्सियां प्रारम्भिक अवस्थाओं में अपने कार्यों में होने वाली कमियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार से अनुदान सहायता प्राप्त कर रही हैं या करेंगी।

देश का प्रमुख बीज संगठन, अर्थात् राष्ट्रीय बीज निगम (जो सक्षम बीज परियोजनाओं को तैयार करने में राज्यों की सहायता करता है) राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। राज्य बीज निगमों और प्रमाणीकरण एजेन्सियों को यह तकनीकी सहायता राष्ट्रीय बीज निगम के प्रशिक्षित कार्मिक उपलब्ध करके दी जाती है। राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था भी करत है।

फसल बोने से पहले कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य

3492. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फसलों के बोये जाने से पूर्व कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्यों की घोषणा करने के बारे में सरकार को अभ्यावेदन तथा सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी हां । सरकार सम्बन्धित फसलों की बुवाई से पूर्व उनके साहाय्य मूल्यों को घोषित करने की आवश्यकता को स्वीकार करती है। साहाय्य मूल्यों को घोषित करने के लिए सामयिक प्रयास किए जाते हैं। तथापि, मुख्य खाद्यान्नों के सम्बन्ध में अधिप्राप्ति मूल्यों के स्तर पर सहायता दी जाती है, जो राष्ट्रीय साहाय्य मूल्यों से ऊंचे होते हैं। फसल के आकार तथा विपणन मौसम के सम्भावित मूल्य स्तर को देखते हुए फसल की कटाई के समय अधिप्राप्ति मूल्यों की घोषणा की जाती है। इससे किसानों के हितों की भली भांति रक्षा होती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार करना

3493. **श्री यशवन्त बोरोले** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद और अन्य संस्थाओं के भरसक प्रयासों के बावजूद सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान का प्रसार करने में सफल नहीं हो सकी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्राम्य जीवन को आधुनिक बनाने में सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) ऐसी अनेक सरकारी एजेन्सियां हैं जो विज्ञान को ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने तथा ग्रामीण जीवन को आधुनिक बनाने से सम्बन्धित कार्यकलापों में कार्यरत हैं, जैसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, आकाशवाणी और दूरदर्शन, कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद इत्यादि ।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद का सम्बन्ध स्कूल शिक्षा में सुधार करने से है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में विज्ञान शिक्षा लागू करना तथा उसका प्रसार भी शामिल है। अभी तक किए गए प्रयास हैं :

(i) प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य, पोषण तथा पर्यावरणात्मक स्वच्छता जैसे सम्बद्ध विज्ञान के संघटकों वाली नई पाठ्य पुस्तकों और अध्यापक गाइडों का प्रकाशन 1969 से किया गया है। ये पुस्तकें दस राज्यों और तीन संघ शासित प्रदेशों में अर्थात् बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़ और पांडिचेरी में लगाई गई हैं। अन्य राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में बहुत से स्कूलों ने भी रा० शै० अ० प्र० परिषद की प्राथमिक विज्ञान पाठ्य-पुस्तकें अपनाई/अनुकूलित की हैं जो अब 'एनवायरोनमेन्टल साइन्स' नामक नए विज्ञान कार्य-क्रम से परिशोधित की जा रही है।

कक्षा VI से VIII के लिए समेकित विज्ञान पाठ्यपुस्तकें, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कलों सहित, सभी स्कूलों में आरम्भ करने के लिए विकसित की जा रही हैं। इसी तरह, माध्यमिक कक्षाओं

के लिए भी पाठ्यपुस्तकें विकसित की जा रही हैं तथा विज्ञान अध्यापन के लिए सस्ते प्रयोग आयोजित किए जा रहे हैं ।

(ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों के लिए भी सस्ते विज्ञान किट विकसित किए हैं। यूनिसेफ की सहायता से, 38572 (9 प्रतिशत) प्राथमिक स्कूलों और 24230 (23 प्रतिशत) मिडिल स्कूलों को ऐसे विज्ञान किट मुहैया किए गए हैं।

(iii) जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि के सहयोग से विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से विज्ञान को लोक प्रिय बनाना। ऐसी पहली विज्ञान प्रदर्शनी 1971 में आयोजित की गई थी। इस समय नई दिल्ली में वार्षिक राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित किए जाने के अलावा सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित की जाती है। इन विषयों में ग्रामीण विषयों से सम्बन्धित बड़ी संख्या में प्रदर्शनीय वस्तुओं के अतिरिक्त पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान, प्रदूषण, पर्यावरणात्मक स्वच्छता इत्यादि शामिल हैं।

(iv) विज्ञान अध्यापन में अध्यापकों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद ने चलता फिरता विज्ञान वाहन का भी एक कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम अभी बड़ी मात्रा में विकसित किया जाना है।

(v) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद के शैक्षणिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने निम्नलिखित प्रयास किए हैं :—

(क) उपग्रह अनुदेशात्मक टेलीविजन प्रयोग (एस० आई० टी० ई०) के दौरान, केन्द्र ने प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 6 साइट (एस० आई० टी० ई०) राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में 45000 अध्यापकों को शामिल किया गया था।

(ख) साइट (एस० आई० टी० ई०) के बाद, सी० ई० टी० द्वारा तैयार किया गया बहु-माध्यम पैकेज, 9 राज्यों में अध्यापक प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रशासकों के लिए भी आरम्भ किया गया था, ताकि वे प्राथमिक स्कूल के विज्ञान अध्यापकों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए सामग्री का उपयोग कर सकें।

(ग) सी० ई० टी० ने प्राथमिक स्कूल विज्ञान पाठ्यचर्चा से 10 कठिन विषयों पर स्वअनुदेशात्मक सामग्री तैयार की है। यह 6 राज्यों के ई० टी० सैलों को प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद करने और छपाई तथा प्राथमिक स्कूल अध्यापकों में वितरित करने के लिए भेज दी गई है।

अन्तर्राज्यीय जल विवाद के कारण लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजना

3494. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण राज्यों द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए कुल कितनी सिंचाई परियोजनायें लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ऐसे राज्यों और परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद कुल कितने क्षेत्र भूमि पर सिंचाई की जायेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) मुख्य अनिर्णीत विवादों का सम्बन्ध नर्मदा, गोदावरी और यमुना बेसिनों से है। अन्तर्राज्यीय पहलुओं के निहित होने के कारण 24 बृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनायें मंजूरी के लिए लम्बित (पेंडिंग) पड़ी हैं, जिनमें इन बेसिनों में अन्ततः 2.87 मिलियन की सिंचाई शक्यता के सृजन की परिकल्पना की गई है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

नर्मदा, गोदावरी और यमुना बेसिनों में अन्तर्राज्यीय पहलुओं के कारण लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनायें।

बेसिन	परियोजना का नाम	राज्य	लाभ (हजार हैक्टेयर)	
गोदावरी	1. मंजरा लिफ्ट	कर्नाटक	बृहद्	44.52
	2. माणिक सागर	कर्नाटक	मध्यम	2.43
नर्मदा	1. नवगाम	गुजरात	बृहद्	1627.00
	2. बारगी	मध्य प्रदेश	,,	333.87
	3. नर्मदासागर	,,	,,	250.10
	4. ओंकारेश्वर	,,	,,	267.90
	5. मेहगामटोला	,,	मध्यम	2.83
	6. सकलदा टैंक	,,	,,	1.71
	7. गुरदा नाला टैंक	,,	,,	1.38
	8. मजगांव टैंक	,,	,,	1.70
	9. मटियारी परियोजना	,,	,,	9.55
	10. जोब नाला परियोजना	,,	,,	1.26
	11. पारस टैंक परियोजना	,,	,,	1.39
	12. कोरल नदी परियोजना	,,	,,	4.24
यमुना	1. नलकूपों द्वारा पश्चिमी यमुना नहर के जल में वृद्धि	हरियाणा	बृहद्	55.05
	2. सेवानी लिफ्ट-दो और तीन	,,	,,	28.33
	3. लोहारी लिफ्ट-दो	,,	,,	47.47
	4. सुन्दर सब-ब्रांच की रीमाडलिंग और लाइनिंग	,,	,,	21.00

बेसिन	परियोजना का नाम	राज्य	लाभ (हजार हैक्टेयर)	
	5. पूर्वी यमुना नहर की री माडलिंग	उत्तर प्रदेश	वृहद	164.02
	6. सेवानी-चरण-एक	हरियाणा	मध्यम	8.83
	7. मुनक नहर और लिंक चैनल का निर्माण	,,	,,	—
	8. हांसी ब्रांच की आर० डी० ओ० 60,000 की रीमाडलिंग और लाइनिंग	,,	,,	—
	9. बुटाला ब्रांच और सुन्दर सब-ब्रांच की रीमाडलिंग	,,	,,	—
	10. दादूपुर में अतिरिक्त शीर्ष नियामक का निर्माण	,,	,,	—

उड़ीसा में प्राइवेट कालेजों को अनुदान की नामंजूरी

3495. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977–78 के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान के लिए उड़ीसा के कौन-कौन से प्राइवेट कालेजों पर विचार किया गया और किन-किन को इसके योग्य पाया गया;

(ख) कुछ कालेजों को अनुदान की नामंजूरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इन प्राइवेट कालेजों के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को वर्ष 1977–78 के लिए भारत सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आयोग द्वारा 1977-78 के दौरान उड़ीसा के निम्नलिखित दस प्राईवेट कालेज उनके विकास कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत किए गए थे :—

1. रायगढ़ कालेज, रायगढ़
2. के० एस० यू० बी० कालेज, मंजानगर
3. सोनपुर कालेज, सोनपुर
4. जवाहर लाल कालेज, पटनागढ़
5. डी० ए० वी० कालेज, टिटिलगढ़

6. रायरंगपुर कालेज, रायरंगपुर
7. वियासनगर कालेज, जाजपुर रोड
8. उडाला कालेज, उडाला
9. नयागढ़ कालेज, नयागढ़
10. दीन कृष्ण कालेज, नार्थ बालापुर

(ख) आयोग ने कुछ प्राइवेट कालेजों के प्रस्तावों को मंजूर नहीं किया जो न्यूनतम छात्र नामांकन तथा संकाय संख्या से सम्बन्धित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते थे।

(ग) प्राइवेट कालेजों को विकास सहायता भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, परन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कालेजों को सीधे ही दी जाती है । आयोग ने चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के प्राइवेट कालेजों के विकास कार्यक्रमों के लिए अब तक 80,000 रु० का कुल अनुदान दिया है।

कृषि विकास के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ संयुक्त मिशन

3497. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि के भविष्य में विकास के लिए कृषि संसाधनों और क्षमता का निर्धारण करने के लिए विश्व बैंक के साथ एक संयुक्त मिशन बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जी नहीं ।

विश्व बैंक को कृषि क्षेत्र की केवल विशिष्ट परियोजनायें ही उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए भेजी जाती हैं।

डेयरी फार्म

3498. **श्री सुखेन्द्र सिंह : कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक क्षेत्र में डेयरी फार्मों की संख्या कितनी है;

(ख) इन डेयरी फार्मों में भिन्न-भिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का कितना-कितना उत्पादन होता है; और

(ग) ये डेयरी फार्म देश की दुग्ध उत्पादों की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा कर सके हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पशुपालन विभागों, राज्य डेरी विकास निगमों, भारतीय डेरी/ निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के पंजीकृत व्यक्तियों को मकानों का आबंटन

3499. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत साढ़े चार वर्षों में मध्यम आय वर्ग योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत व्यक्तियों को अभी तक मकानों का आवंटन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नया पंजीकरण खोल दिया गया है जबकि पुराने पंजीकृत व्यक्तियों को अभी आवंटन किए जाने हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और पुराने पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक मकान आबंटित किए जाने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) 1969 और 1973 के बीच पंजीकृत 1834 व्यक्ति फ्लैटों के आबंटन की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) तथा (घ) इस वर्ष एक विशेष योजना जो स्वयं वित्त पोषण योजना कहलाती है, को छोड़कर कोई आम पंजीकरण नहीं किया गया है। किन्तु इससे पहले नये पंजीकरण समय-समय पर किए गए यद्यपि पुराने पंजीकृत व्यक्तियों के आवंटन निलम्बित पड़े हुए थे। यह निश्चित मांग तथा भावी निर्माण कार्यक्रम योजना के अनुसार किया गया। किन्तु अब "पंजीकरण में वरिष्ठता के आधार पर" जो पंजीकरण राशि के जमा करने की तारीख पर आधारित है, के अनुसार यह आबंटन योजनावार किया जा रहा है।

SUPPLY OF DRINKING WATER IN DELHI

3500. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether it is a fact that drinking water supplied in Delhi is not filtered properly;

(b) the measures being taken by Government to supply pure drinking water;

(c) whether Government propose to keep the Yamuna Water clean for the purpose; and,

(d) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir.

(b) Pure drinking water is being supplied.

(c) & (d) By constructing new sewage pumping stations, pumping mains, sewage treatment plants, the pollution of the Jamuna river is being controlled.

पीतमपुरा, दिल्ली में प्लाटों का आबंटन

3501. **श्री महीं लाल :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री पीतमपुरा, दिल्ली में प्लाटों के आवंटन के बारे में 25 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4690 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उन व्यक्तियों को प्लाट आबंटित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है जिन्होंने इस सम्बन्ध में अपने विकल्प दिए हुए हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : सम्बन्धित आवेदकों से इस बात की पुष्टि करने के बाद, कि वे इच्छुक हैं, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पीतमपुरा में प्लाटों का विकास कार्य आरम्भ कर दिया है। वास्तविक आबंटन विकास कार्य के बाद किया जायेगा।

पश्चिमपुरी और पंजाबी बाग (पश्चिम दिल्ली) के क्षेत्रों का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना

3502. **श्री चतुर्भुज :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पश्चिम दिल्ली में पश्चिमपुरी, पंजाबी बाग, एक्सटेंशन और इनके संलग्न क्षेत्रों में हाल ही में बाढ़ आई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन बस्तियों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

INFRINGEMENT OF POLICY INSTRUCTION BY GOVERNMENT OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI

3503. SHRI MAHI LAL : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to the parts (e) and (f) of Unstarred Question No. 4687 on the 25th July, 1977 and state :

(a) the instructions relating to the policy decision of Government which were followed by the Government of India Press, Minto Road but not followed by Government of India Press, Ring Road; and

(b) the reasons for which the said instructions were not followed by the Manager, Government of India Press, Ring Road and the action taken by Government in regard to the affected Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees who have been put to financial loss ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI RAM KINKER) : (a) and (b) The policy of the Government is that if sufficient number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates are not available on the basis of the general standard to fill up all the vacancies reserved for them, the qualifying standard could be relaxed in favour of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates so that the vacancies reserved for them could be filled up by such candidates provided they are not found unfit for such promotion. This position was indicated in the note appended to the list of unsuccessful candidates for each Press who appeared in the Readership Examination held in August, 1976. The question as to what extent the action taken by the Government of India Press, Minto Road, New Delhi and the Government of India Press, Ring Road, New Delhi in retaining or reverting those Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates who were working on *ad hoc* basis as Readers and who did not qualify in the Readership Examination is in order, is being looked into.

पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कालेज

3504. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय से कितने कालेज सम्बद्ध हैं;

(ख) कितने नये कालेजों ने सम्बद्ध होने की मांग की है तथा उनकी क्या स्थिति है; और

(ग) क्या सम्पूर्ण क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए नये स्थापित कालेजों को सम्बद्ध करने के मामले में विश्वविद्यालय उदार दृष्टिकोण अपनायेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) अठ्ठाईस ।

(ख) और (ग) उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस समय किसी नए कालेज ने सम्बद्ध होने की मांग नहीं की है। तथापि जब कभी नव-स्थापित कालेजों द्वारा सम्बद्ध होने की मांग की जाती है तो सम्बद्धता के मामले में विश्वविद्यालय द्वारा उदार रुख अपनाया जाता है ।

IRRIGATION SCHEME IN M.P.

†3505. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the names of the irrigation schemes of Madhya Pradesh under consideration of Central Government;

(b) the estimated cost of each of the schemes and since when these are under consideration of Central Government; and

(c) whether the schemes of the districts backward from irrigation point of view would be given priority ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b) A statement indicating the names of major/medium irrigation projects received from the Government of Madhya Pradesh, their estimated cost and the position with regard to their technical scrutiny is enclosed. [Placed in Library. *See* No. L.T.-—1332/77].

(c) Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated and formulated by the State Government. It is for the Madhya Pradesh Government to include schemes to provide irrigation facilities to backward districts in the State in their developmental programmes.

GOVERNMENTAL RESIDENTIAL ACCOMMODATION WITH POLITICAL PARTIES

3506. SHRI RAGHAVJI : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of Government allotted residential houses as on 31st March, 1977 with Congress and the organisation connected with it, indicating the particulars thereof;

(b) monthly rent of each of these houses and the actual estimated rent thereof;

(c) the number of houses out of them, got vacated after 31st March, 1977 and the amount of rent outstanding against these organisations on 31st October, 1977; and

(d) the number of residential houses allotted to other political parties in each case upto 31st March, 1977 ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) to (c) A statement furnishing information is attached (Appendix A). [Placed in Library. *See* No. LT-1333/77].

(d) While most of the houses indicated in Appendix A, allotted to the Congress, were in the general pool, the suites as shown in Appendix B were allotted to the recognised Parliamentary Parties in the Vithalbhai Patel House according to a uniform formula.

AMENITIES IN SUPREME COURT BUILDING

3507. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether there are no arrangements for sitting in any part of the Supreme Court building in New Delhi for the people;

(b) if so, whether Government would make arrangements for providing facilities such as sitting spaces, latrines and bathrooms in all the courts in Delhi; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

गुजरात द्वारा उर्वरकों की मांग

3508. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अधिक उर्वरकों की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनकी मांग पर विचार कर रही है;

(ग) दिसम्बर, 1977 के अन्त तक उन्हें कितना उर्वरक सप्लाई किया जाएगा; और

(घ) क्या कनाडा सरकार के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित किए गए समझौते को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1978 के दौरान राज्य सरकार के कोटे में वृद्धि किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। राज्य सरकार ने डाइ-अमोनियम फास्फेट और एमोनियम सल्फेट में से प्रत्येक की 15,000 मीटरी टन अतिरिक्त मात्रा के आबंटन के लिए अनुरोध किया है।

(ख) डाइ-अमोनियम फास्फेट की सारी मात्रा आबंटित की जा चुकी है और उसे उठाने का कार्यक्रम राज्य सरकार के साथ तय कर लिया गया है। दुर्भाग्य से, सीमित उपलब्धि के कारण राज्य सरकार को अमोनियम सल्फेट की अतिरिक्त मात्रा आबंटित नहीं की जा सकी इससे पूर्व राज्य को रबी 1977–78 के लिए लगभग 52,242 मीटरी टन एमोनियम सल्फेट आवंटित किया गया था।

(ग) गुजरात में पूल नाइट्रोजनी तथा कम्पलैक्स उर्वरक भारी मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त देशी विनिर्माता द्वारा तैयार होने वाले उर्वरक भी सहकारी तथा गैर सरकारी माध्यमों से सप्लाई किए जायेंगे। राज्य सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार इस स्रोत से उर्वरक ले सकती है।

(घ) खरीफ 1978 के लिए गुजरात के लिए उर्वरकों की मांगों को राज्य सरकार के परामर्श से जनवरी, 1978 में अन्तिम रूप दिया जाएगा। इसी प्रकार रबी 1978-79 की मांगों को जुलाई, 1978 में अन्तिम रूप दिया जाएगा। राज्य की मांगों को यथा सम्भव पूरा करने के प्रयास किए जायेंगे। यह किसी विदेशी सरकार के साथ कोई करार न होने पर भी ऐसा किया जाएगा।

STUDY OF INSTITUTIONS CONNECTED WITH AGRICULTURAL HAND TOOLS

3509. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have conducted a study of some Institutions connected with agricultural hand tools and propose to set up any such Institution; and

(b) if so, the name of the place where it would be set up indicating the time by which it would be set up ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) No, Sir. However Research and Development of farm implements including hand tools have been taken up in this country in the last 10-12 years, with the establishment of Research Testing Centres and the Agricultural Engineering Colleges in some Agricultural Universities. Efforts have been directed to develop hand tools for various operations for manual power. To name a few the following implements have been developed and introduced :—

1. Zig-Zag hoe
2. Three-tyre cultivator
3. Hand operated ridger
4. Dibblers
5. Manually drawn drills
6. Seed & Ferti. bowls to Triphali
7. Paddy Transplanter
8. Nursery Planter
9. Seed Treating drum
10. Fruit graders
11. Maize sheller

The Central Institute of Agricultural Engineering established at Bhopal will also work in this area.

(b) Does not arise.

दिल्ली उच्च न्यायालय के भवन निर्माण के बारे में शिकायत

3511. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की इस बारे में क्या रिपोर्ट है;

(घ) उन लोगों के क्या नाम हैं जिनके विरुद्ध सरकार को शिकायतें मिलीं, और

(ङ) क्या सरकार ने उनके अपने नाम में और उनके सम्बन्धियों के नाम में आस्तियों के बारे में कोई जांच की है जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दिल्ली उच्च न्यायालय भवन की छत के टपकने के बारे में छद्मनाम से एक शिकायत उस समय प्राप्त हुई जबकि निर्माण कार्य चल रहा था । मामले की जांच की गई थी और यह पता चला कि उस समय जल निरोधके कार्य अभी पूरा किया जाना था, अतः शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(ग) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय कृषि में ट्रैक्टरों का उपयोग

3512. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग भारत में कृषि में हल चलाने के लिए ट्रेक्टरों का उपयोग करने के पक्ष में नहीं है;

(ख) क्या योजना आयोग ने पंजाब के अनुभव का अध्ययन किया है जहां देश में सबसे अधिक ट्रेक्टर है और फिर भी उसके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार क्षमता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा बल्कि उनसे उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने में पर्याप्त सहायता मिली है;

(ग) क्या नई नीति अपनाने से पूर्व योजना आयोग का विचार इस स्थिति का गहराई से अध्ययन करने का है ;

(घ) देश में रुई के लिए काली भूमि और सख्त भूमि में ट्रेक्टरों के उपयोग के बिना कैसे खेती की जाएगी;

(ङ) क्या ट्रैक्टरों के उपयोग के बिना खेती की लागत और उत्पादन लागत में कमी की जा सकती है और क्या ट्रैक्टरों के उपयोग के बिना दोहरी अथवा बहुप्रयोजनीय फसलें उगाने की नीति सफल हो सकती है; और

(च) क्या योजना आयोग ने उन राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया है, जहां ट्रेक्टरों का काफी उपयोग किया जाता है, कि उनका पूरा अनुभव किया है अथवा क्या योजना आयोग केवल शैक्षिक सिद्धान्तों और विचारों के अनुसार कार्य करना चाहेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (च) योजना आयोग का मत है कि बहुत ही कठोर भूभाग, प्रथम बार किसी बड़े भू-खण्ड के सुधार और कठोर भूमि को आकार देने जैसी सीमित स्थितियों में ही ट्रैक्टरों का प्रयोग करना उपयुक्त है। वह तब तक जोताई आदि के लिए उनके प्रयोग पर भी आपत्ति नहीं करता जब तक कि ट्रैक्टरीकरण के लिए सस्ते संस्थागत ऋण की उपलब्धि नहीं की जाती और जब तक कि

विद्यमान उत्पादन शुल्क और ट्रैक्टरों को प्रभावित करने वाला आयात नियंत्रण जारी रहता है।

योजना आयोग की यह धारणा अनेक उपलब्ध अध्ययनों, जिसमें राज्यों में किए गए अध्ययन जैसे पंजाब में जहां ट्रेक्टर का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होता है भी शामिल है, के निष्कर्षों और ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने की तुरन्त आवश्यकता पर आधारित है। योजना आयोग का विचार है कि ट्रक्टरीकृत फार्मों में अधिक उत्पादकता या अधिक शस्य खेती की तीव्रता को प्रकट करने वाले अध्ययनों के निष्कर्ष प्रायः अभिनत होते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि उत्पादनशीलता के प्रभाव ट्रैक्टर की वजह से होते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है।

चूंकि योजना आयोग उपलब्ध अध्ययनों को अनेक कमियों से परिपूर्ण समझता है, अतः उसने निश्चय किया कि एक ताजा उपयुक्त अभिकल्पित क्षेत्र अध्ययन शुरु किया जाए। इस अध्ययन का एक भाग यह भी होगा कि उन राज्य सरकारों से परामर्श किया जाए जहां ट्रेक्टरों का व्यापक प्रयोग किया जाता है जिससे कि ट्रैक्टरीकरण के वास्तविक प्रभाव का पता चल सके। इस अध्ययन के बारे में वे आवश्यकतानुसार अपने वर्तमान विचारों में संशोधन करने को भी तैयार हैं।

तथापि, सरकार देश में कपास की काली मिट्टी और सख्त भूमि में ट्रैक्टरों के प्रयोग के विरुद्ध नहीं है, और न ही उसने किसानों द्वारा खेती के लिए साधारणतया ट्रैक्टरों के प्रयोग पर नियंत्रण ही लगाया है।

चारे के संसाधन

3513. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग का बैलों के द्वारा भार वहन क्षमता बढ़ाने के लिए चारा संसाधनों की पूरी आवश्यकताओं को किस प्रकार से पूरा करने का विचार है; और

(ख) योजना आयोग का विचार चारे के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, जो कि कम है, दुधारु पशुओं और दूध का अधिक उत्पादन करने के लिए अथवा भारवाहन क्षमता उपलब्ध करने के लिए, किस प्रकार से करने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश को कृषि औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय अनुदान

3514. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1977-78 वर्ष में कृषि औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार को कोई अनुदान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में जनजातीय क्षेत्रों को कितनी राशि के अनुदान देने का विचार है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को कृषि उद्योगों के विकास के लिय अलग से इस प्रकार का कोई अनुदान नहीं दिया है ।

(ग) 1977-78 में राज्य के विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों के लिए 1458.50 लाख रुपए की राशि एक मुश्त अनुदान के रूप में देने का प्रस्ताव है ।

SALE OF BIRDS AND SKIN OF ANIMALS

3515. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether he is aware that skins of several animals are being sold in Agra and Bareilly District of U.P. and birds are being sold in Lucknow in Uttar Pradesh in open market even during the season when killing is prohibited;

(b) if so, the action taken against those indulging in such trade and the number of raids conducted in this connection in the country during the period 1st April 1977 to 15th November, 1977; and

(c) whether the meat of quails and partridges is served in hotels at big cities like Delhi even during the restricted season and if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the table of this House.

बहरे तथा विकलांग व्यक्तियों के बारे में सर्वेक्षण

3516. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहरों, विकलांग व्यक्तियों, जिनकी प्रायः उपेक्षा की जाती है, चूंकि उनकी विकलांगता दृष्टिगत नहीं होती, की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बहरे बच्चों को प्रारम्भिक आयु से ही दृश्य तथा स्पर्श को अनुमति द्वारा ध्वनि के अर्थ को समझाने का कोई ऐसा नया तरीका निकाला है, और

(ग) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

CROCODILE SANCTUARY AT KOTA, RAJASTHAN

3517. SHRI CHATURBHUJ : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Rajasthan Government have sought Central assistance for developing a crocodile sanctuary at Kota; and

(b) if so, the details of the projects ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes Sir.

(b) A proposal was initially received from the Rajasthan Government for Central assistance to start a crocodile and gharial farm at Abhera Tank, Kota (Rajasthan) during

1974. The State Government were requested to show Dr. Bustard F.A.O. Crocodile Consultant, the areas so selected for the crocodile breeding project and prepare the project in consultation with him.

Dr. Bustard who visited the proposed site was impressed with the location as the area already had a viable population of a mother gharial and 32 hatchlings. On his advice proposals were made for a gharial sanctuary and nursery at Rawabata. The proposals were approved by the Government of India and financial assistance of Rs. 1.26 lakhs was sanctioned during 1976-77 for meeting the non-recurring expenditure. Of this an amount of Rs. 40,000 has been released during current year.

किंग्सवे कैम्प योजना के पुनर्विकास का कार्यान्वयन

3518. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री पी० राजगोपाल नायडू } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963 में रीडस लाइन, किंग्सवे कैंम्प, दिल्ली के पुराने विस्थापितों को उस समय तक के लिए न्यू मोती नगर, नई दिल्ली के सलम प्रगहों में स्थानान्तरित किया गया था जब तक कि किंग्सवे कैंम्प योजना का पुनर्विकास कार्यान्वित न हो जाए;

(ख) क्या उस क्षेत्र में जमीन की अनुपलब्धता के कारण उन लोगों को उस योजना में स्थायी आवास नहीं दिया जा सका;

(ग) क्या 3 अगस्त, 1963 को दिल्ली नगर निगम तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में यह निर्णय किया गया था कि उन्हें न्यू मोती नगर, नई दिल्ली में उस समय आवंटित सलम प्रगहों को या तो गिराया जाए और या उन्हें किराया-खरीद आधार पर दे दिया जाये और उन्हें अन्य आबंटियों के समान माना जाए;

(घ) यदि हां, तो निर्णय को कार्यान्वित करने में इतना असाधारण विलंब किस कारण से है; और

(ङ) उन्हें प्रगहों का आन्तरण पूरा हो जाने की अन्तिम तिथि क्या है?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जाएगी।

भाषाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता

3519. **श्री पी० के० कोडियान** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षा संस्थाओं और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत सहायता पाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों, शिक्षा संस्थाओं और व्यक्तियों से अब तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) ऐसे कितने आवेदन-पत्रों को अब तक स्वीकृत किया जा चुका है और कितनी धनराशि मंजूर की जा चुकी है; और

(ङ) प्रत्येक भाषा के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 'वेद पाठ की परम्परा का परिरक्षण' नामक एक नई योजना शुरू की गई है।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत वैदिक विद्वान (वेदपाठी) चुने जाने हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने अधीन दो छात्रों को वेद पाठ में प्रशिक्षित करेगा ताकि उन्हें सभी विकृतियों सहित वैदिक संहिता की शाखाओं में से एक मौखिक पाठ में दक्ष बनाया जा सके। प्रत्येक वेदपाठी को 500.00 रुपये प्रतिमास और प्रत्येक छात्र की 100.00 रुपये प्रति मास छः वर्षों की अवधि तक दिए जायेंगे।

(ग) से (ङ) इस योजना के अन्तर्गत विद्वानों और छात्रों के चयन के लिए कोई आवेदनपत्र आमन्त्रित नहीं किए जाते हैं। चयन भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है। इस वर्ष चार वेदपाठी और आठ छात्र चुने गए हैं। उन्हें अक्तूबर, 1977 से चालू वर्ष के लिए कुल 16,800/ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

OILSEEDS PRODUCTION

3520. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE & IRRIGATION be pleased to state the estimated production of oilseeds for the year 1977-78 ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE & IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : Estimates of production of oilseeds for the year 1977-78 are not yet due from State Governments. However, according to available reports, the production of groundnut which accounts for the bulk of the production of kharif oilseeds is likely to mark a welcome recovery from the level of 47.8 lakh tonnes in 1976-77. Production of castor and seasamum, the other Kharif oilseeds, is expected to be around the last year's level of 1.7 lakh tonnes and 4.0 lakh tonnes respectively. The sowings of rabi oilseeds, namely, rapeseed and mustard and linseed, are reported to have taken place under favourable soil moisture conditions.

CONSUMPTION OF CHEMICAL AND FERTILISER

3521. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the quantity of chemical fertilisers in tonnes, consumed in the country during 1974-75, 1975-76 and 1976-77 separately;

(b) the quantity thereof, in tonnes, likely to be consumed in the country during the year 1977-78; and

(c) whether there is any scheme or programme of the Government to ensure maximum consumption of Chemical fertilizers in the country; if so, the details thereof ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) The total quantity of fertilizers consumed in the country during the years 1974-75, 1975-76 and 1976-77 was as follows :—

(in lakh tonnes of nutrients)

1974-75	1975-76	1976-77
25·73	28·94	34·11

(b) The quantity thereof likely to be consumed during the current year 1977-78 is 42.92 lakh tonnes.

(c) A campaign is being organised from Kharif 1976 onwards in coordination with State Governments and the fertilizer manufacturers to promote the use of chemical fertilizers in selected districts with low fertilizer consumption but with high irrigation potential. In Kharif 1976, campaign was organised in 55 districts, in Rabi 1976-77 in 58 districts, in Kharif 1977 in 68 districts and in Rabi 1977-78 in 75 districts. Apart from this, the State Governments have their normal extension programmes optimum and balanced use of fertilizers.

NEW TECHNIQUE OF SUGARCANE SOWING

3522. SHRI DHARMASINHBHAI PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Indian Sugarcane Research Institute, Lucknow has developed a new technique of sugarcane sowing which is more beneficial and less expensive and if so, the details thereof and the manner in which farmers are likely to be benefited by the new technique;

(b) the extent to which the per hectare production of sugarcane is likely to be increased by the technique; and

(c) whether a scheme has been formulated for introducing this new technique in all the States in the country and if so, the details thereof, and if not, when and how it would be introduced ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Yes, Sir. The Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow, has developed a new technique of sugarcane planting called the Space Transplating Technique (STP).

The new technique consists of raising a nursery from single-eye setts of sugarcane in an area of about one hundred square metres using 1½ to 2 tonnes of sugarcane seed, drawn, preferably from the top immature portion of the cane stalk. After a month, the settlings are transplanted in the field in furrows 80 to 90 cm apart with a plant to plant spacing of 45 to 60 cm within the row, depending upon the commercial variety under cultivation. For proper survival of transplants, the field is irrigated immediately after transplantation or transplantation is done under wet condition. Within about ten days, and conciding with the next irrigation, gaps, if any, are filled with fresh transplants kept ready for the purpose. Thus, optimum space per plant and optimum crop geometry is ensured to maximise solar energy utilisation. Fertilisers and irrigation water are applied at doses recommended for the region after establishment of the transplanted settlings. All other management operations for the crop are normal as per recommended practices. The STP system of sugarcane planting cuts down seed requirement from the present six tonnes of cane per hectare to about two tonnes giving a net saving of four tonnes of cane per hectare. In addition, because of optimum plant spacing and crop geometry the crop yield potential is significantly improved without any adverse influence on quality.

(b) Sugarcane yield per hectare, under the new system, increased, on an average, by twenty five per cent when tested in farmers' fields in different agro-climatic regions of the country. Under good crop management conditions, the STP system has shown ability to register quantum jump in yield by about fifty per cent in North-Bihar (Harinagar). The new technique has been extended in the current year to about two hundred hectares at this location in factory farms and cultivators' fields. Significant improvements in per hectare production of sugarcane have also been obtained from North-Karnatak (Sameerwadi) with several farmers adopting the new technique.

(c) The new technique was demonstrated, on a limited scale, in factory farms and cultivators' fields by the scientists of Indian Institute of Sugarcane Research, Lucknow in a few agro-climatic zones of the country during the spring planting seasons of 1976-77. The programme is to be intensified in appropriate regions during 1978 in spring, *adsali* and autumn planting seasons.

कालेजों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निधि

3523. **श्री यशवन्त बोरोले**
श्री माधवराव सिन्धिया } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वैज्ञानिक शिक्षा देने वाले कालेजों के विकास के लिए बड़ी मात्रा में धन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कालेजों को सहायता दी जायेगी; और

(ग) कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कालेजों की कुल संख्या क्या है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार आयोग ने हाल ही में पुस्तकें तथा वैज्ञानिक उपस्कर खरीदने के लिए, कालेजों को अतिरिक्त अनुदान मन्जूर करने का निर्णय किया है । इनमें से किसी एक के लिए अनुदान की राशि 10,000 तथा 40,000 के बीच अलग-अलग होगी जो दाखिले पर निर्भर करेगी । देश के वे सभी सम्बद्ध कालेज जोकि आयोग की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, इस अनुदान के पात्र होंगे । 1977-78 में, इस प्रयोजन हेतु 450.00 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

दिल्ली में उर्दू माध्यम से पढ़ाई वाले स्कूल खोलना

3524. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लड़कों के लिये उर्दू माध्यम से पढ़ाई वाले एक अथवा दो और उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने की मांग की गई है;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में इस समय लड़कों तथा लड़कियों के लिये उर्दू माध्यम से पढ़ाई वाले उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या क्या है;

(ग) नियमों के अनुसार स्कूल के लिए विद्यार्थियों की अपेक्षित संख्या की तुलना में प्रत्येक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या क्या है; और

(घ) सरकार का विद्यार्थियों की उर्दू माध्यम के और अधिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने की मांग को पूरा करने तथा वर्तमान स्कूलों में विद्यार्थियों की अत्याधिक संख्या को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन ने यह सूचित किया है कि हाल ही में लड़कों के लिए उर्दू माध्यम के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की मांग के अनुसरण में, पटौदी हाउस, दरियागंज नई दिल्ली में एक ऐसा नया स्कूल शुरू किया गया। बताया गया है कि इस समय लड़कों के लिए उर्दू माध्यम के और अधिक उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोलने की कोई मांग लंबित नहीं पड़ी है।

इस समय संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में उर्दू माध्यम के नौ उच्चतर माध्यमिक स्कूल कार्य कर रहे हैं। इन संस्थाओं के ब्यौरे तथा दाखिल छात्रों की संख्या निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	स्कूल का नाम	छात्रों की संख्या
1.	राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली	148
2.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, चश्मा भवन, बल्लिमारान, दिल्ली	397
3.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बुलबुली खाना, दिल्ली	852
4.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, जीनत महल, संख्या 2 लाल कुआं, दिल्ली	775
5.	मज-हारुल इस्लाम उच्चतर माध्यमिक स्कूल, फराशखाना, दिल्ली	253
6.	फतेहपुरी मुस्लिम उच्चतर माध्यमिक स्कूल, फतेहपुरी	831
7.	शफीक स्मारक उच्चतर माध्यमिक स्कूल, बाड़ा हिन्दू राव, दिल्ली	289
8.	एंगलो अरबी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, अजमेरी दरवाजा, दिल्ली	1302
9.	कौमी उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ईदगाह	287
10.	इसके अलावा निम्नलिखित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उर्दू माध्यम के अनुभाग हैं :—	

क्रम सं०	स्कूल का नाम	उर्दू माध्यम अनुभाग में छात्रों की संख्या
1.	राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नया सीलमपुर	19
2.	राजकीय बाल उच्चतर माध्यमिक स्कूल, राष्ट्रपति एस्टेट	31
3.	राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक स्कूल, नया सीलमपुर	10

छात्रों की वह संख्या जो कि एक स्कूल को दाखिल करनी चाहिए, किसी भी नियम के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गई है। यह अन्य बातों के साथ-साथ इलाके की आवश्यकताओं, स्थान तथा उपलब्ध अन्य भौतिक सुविधाओं तथा आर्थिक व्यवहार्यता पर भी निर्भर करती है।

उर्दू माध्यम के अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की मांगों तथा विद्यमान स्कूलों में भीड़भाड़ कम करने के सुझावों पर जब कभी भी यह प्राप्त होंगे, दिल्ली प्रशासन द्वारा विधिवत् विचार किया जाएगा।

केरल में सिंचाई परियोजनाएं

3525. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कितनी सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार के विचाराधीन हैं जिनके लिए केरल सरकार ने वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) केरल में 'पेरियार घाटी' के बायें और दाहिने किनारे के नहर सिंचाई कार्यों को पूरा होने में कितना समय लगेगा?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) केरल सरकार के अनुरोध पर चालू वर्ष के दौरान केरल को पम्बा, पझहासी, कन्हीरापुझा और कल्लाडा परियोजनाओं के लिए अग्रिम योजना सहायता देने का निश्चय किया गया है। तत्पश्चात राज्य सरकार ने पेरियार घाटी और कुट्टियाडी स्कीमों के लिए भी इसी प्रकार की सहायता का अनुरोध किया है। उक्त अनुरोध पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) केरल सरकार को परियार घाटी स्कीम के अन्तर्गत वाह तट की नहर का निर्माण का काम काफी हद तक पूर्ण हो गया है और इसकी शाखाओं और वितरण नहरों का निर्माण कार्य चल रहा है। दाएं तट की नहर का निर्माण इडामलयार सिंचाई स्कीम के अन्तर्गत इडामलयार जल-विद्युत परियोजना के टेल रेस जल के इस्तेमाल के लिए किया जाना है। चूंकि स्कीम को अभी अनुमोदित नहीं किया गया है इसलिए यह बताना संभव नहीं है कि दाएं तट की नहर का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा।

केरल की आवास परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता

3526. **श्री जार्ज मैथ्यू :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार द्वारा भेजी गई कितनी आवास परियोजनायें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को भेजी गई केरल सरकार की सभी आवास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) केरल सरकार की कोई परियोजना केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। किन्तु केरल राज्य आवास बोर्ड की दो योजनायें और केरल राज्य विकास निगम की एक योजना आवास तथा नगर विकास निगम के पास विचाराधीन है। यदि ये योजनायें आवास तथा नगर विकास निगम के मार्गदर्शन में निर्धारित सभी मानदण्डों एवं शर्तों को पूरा करती हैं, तो वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

चीनी कारखानों द्वारा निर्यात की गई चीनी और अर्जित विदेशी मुद्रा

3527. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन चीनी वर्षों के दौरान प्रत्येक चीनी कारखाने ने उत्पादन में से लेवी चीनी तथा लेवी मुक्त चीनी का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया, कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और ऐसे निर्यात से कितने रुपये का लाभ अथवा हानि हुई?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : राज्य व्यापार निगम (रा० व्या० नि०) के माध्यम से 10 अप्रैल, 1974 से चीनी के निर्यात किए गए हैं। इस प्रकार चीनी फैक्ट्रियों ने राज्य व्यापार निगम को निर्यात के लिए चीनी सप्लाई की थी। विवरण (1) जिसमें प्रत्येक चीनी फैक्ट्री द्वारा निर्यात के लिए दी गई चीनी की मात्रा बतायी गई है; और विवरण (2) जिसमें अर्जित विदेशी मुद्रा तथा लाभ और हानि रुपयों में बतायी गई है, संलग्न है। **[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1334/77]**

गन्ने की उत्पादन लागत

3528. **श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन की इस समय की लागत का पता लगाने के लिए कोई व्यवस्थित अध्ययन किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अध्ययनों के क्या परिणाम निकले और विभिन्न राज्यों में गन्ना उत्पादन की वर्तमान लागत पिछले तीन वर्षों की उत्पादन लागत से किस प्रकार तुलनीय है, और

(ग) भारत सरकार द्वारा नियत गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य क्या है और गत तीन वर्षों में गन्ने की वास्तविक उत्पादन लागत क्या थी?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए एक वृहत् योजना क्रियान्वित कर रही है। इस योजना के अन्तर्गत अध्ययन के लिए क्रमबद्ध ढंग से चुने गए कृषकों के एक नमूने से गन्ना सहित विभिन्न फसलों के आदानों और उत्पादन के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1973-74 से 1976-77 तक की अवधि के दौरान महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, वर्ष 1973-74 से 1975-76 तक की अवधि के दौरान पंजाब और तमिलनाडु और 1976-77 के दौरान बिहार में गन्ना के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है।

वर्ष 1977-78 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में भी अध्ययन किया गया।

(ख) तथा (ग) वृहत् योजना के अन्तर्गत उपलब्ध गन्ना की खेती उत्पादन की लागत के नवीनतम अनुमान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1973-74 के दौरान 8.5 प्रतिशत या इससे कम की मूल वसूली के लिए गन्ने का सांविधिक मूल्य न्यूनतम मूल्य 8/- रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। वर्ष 1974-75 में न्यूनतम मूल्य बढ़ा कर 8.50 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया था। जिसमें तब से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दोनों मामलों में वसूली में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि के लिए न्यूनतम मूल्य में आनुपातिक वृद्धि हुई है।

विवरण

महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में गन्ने की खेती की उत्पादन लागत

(रुपयों में)

राज्य	वर्ष	प्रति हैक्टार खेती की लागत	प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत
महाराष्ट्र	1973-74	6062.84	7.67
	1974-75	7057.34	7.78
पंजाब	1973-74	4128.82	7.97
	1974-75	4481.43	8.63
	1975-76	4500.26	8.50
तमिलनाडु	1973-74	5605.22	7.13
	1974-75	6323.47	7.27
उत्तर प्रदेश	1973-74	3337.31	7.81
	1974-75	3001.18	7.18
	1975-76	2919.91	7.65

टिप्पणी: (1) प्रति हैक्टार खेती की लागत में अदा की गयी लागत आदान सम्बन्धी सामग्री पर नगद तथा वस्तु के रूप में लगाया गया व्यय, किराये पर लिया गया मानव-श्रम, बैल और मशीन का श्रम (किराये का और निजी) क्रियागत पूंजी पर ब्याज पट्टे की जमीन का किराया, निजी भूमि की निवेशित किराये का मूल्य, निजी निर्धारित पूंजी पर व्यय और पारिवारिक श्रम के निवेश का मूल्य शामिल है।

(2) प्रति क्विंटल उत्पादन की लागत प्रति हैक्टार खेती की लागत (उप-उत्पाद का वास्तविक मूल्य) को प्रति हैक्टार पैदावार से भाग देकर प्राप्त किया जाता है।

(3) वर्ष 1973-74 के लागत अनुमान पंजाब और तमिलनाडु के अतिरिक्त अनंतिम हैं।

ALLOTMENT OF STALLS IN MOHAN SINGH MARKET, R. K. PURAM, NEW DELHI

3529. SHRI MAHI LAL : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) whether the Directorate of Estates had allotted some stalls in the Mohan Singh Market in R. K. Puram on the 11th July, 1976 by draw of lot;

(b) whether it is a fact that some allottees have not been given possession of stalls so far, though they are paying the rent of stalls regularly; and

(c) if so, the reasons for not giving actual possession of stalls to such allottees and when they are likely to be given possession thereof ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) No, Sir.

(b) No, Sir.

(c) The question does not arise.

निरक्षरता समाप्त करने के लिए पश्चिम बंगाल की सहायता

3530. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात उनके ध्यान में लाई गई है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य निरक्षरता समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के लिए केन्द्रीय सरकार यदि कोई सहायता पश्चिम बंगाल सरकार को दे रही है तो वह क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में चाय बागान मजदूरों के लिए आवास योजनाएं

3531. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में चाय पैदा करने वाले दार्जिलिंग और तराई क्षेत्रों में चाय बागान श्रमिकों के लिए कुल कितने मकानों की आवश्यकता है ?

(ख) चाय बागान मजदूर आवास योजना के अन्तर्गत अब तक कितने मकानों का निर्माण किया गया है;

(ग) गत 10 वर्षों में इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई, बांटी गई और वास्तव में व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार इस प्रगति से सन्तुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस धीमी प्रगति के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) 45878 एकक ।

(ख) 5739 एकक।

(ग) 292.75 लाख रुपये की स्वीकृति राशि की तुलना में, वस्तुतः 158.68 लाख रुपये की राशि खर्च की गई।

कृषि सम्बंधों के लिये कृतिक बल

3532. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **कृषि और सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन योजना आयोग ने कृषि सम्बन्धों के लिए एक कृतिक बल की नियुक्ति की थी;

(ख) क्या उक्त कृतिक बल ने 1973 में तत्कालीन केन्द्र सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, यदि हां, तो कृतिक बल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या पिछली सरकार ने प्रतिवेदन को ताक पर रख दिया था; और

(घ) यदि हां, तो कृतिक बल के उक्त प्रतिवेदन पर यदि कोई कार्रवाई की जा रही है तो वह क्या है;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। मुख्य सिफारिशें संक्षेप में संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) कृतिक दल ने भूमि सुधार की प्रगति का मूल्यांकन करने और भूमि सुधार के उपायों के क्रियान्वयन के लिए पांचवीं योजना में अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में सुझाव देना था। वास्तव में जोत की अधिकतम सीमा, पट्टेदार की सुरक्षा, चकबन्दी और भू-अभिलेखों को अगतन बनाने के सम्बन्ध में कृतिक दल द्वारा की गई मुख्य सिफारिशों को उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पांचवीं योजना के प्रलेख में शामिल कर लिया गया है। अब ये उद्देश्य राज्य सरकारों को वैधानिक और प्रशासनिक उपायों द्वारा प्राप्त करने हैं, जो कि भूमि सुधारों के क्रियान्वयन के लिए "मुख्य एजेंसी" है।

(घ) भूमि सुधार सम्बन्धी राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्त पूर्णतः कृतिक दल की सिफारिशों के अनुरूप हैं। वर्तमान सरकार भूमि सुधारों को "गति और ईमानदारी" के साथ क्रियान्वित करने के लिए पक्की तरह से वचनबद्ध है।

विवरण

भूमि सुधार सम्बन्धी कृतिक दल की मुख्य सिफारिशों का संक्षिप्त सार :

कृतिक दल ने पिछली योजना के अनुभव का आलोचनात्मक मूल्यांक करके भूमि सुधार की प्रगति और समस्याओं का अनुमान लगाने के पश्चात् सिफारिश की है कि,

(1) स्वीकृत नीति और कानून तथा बनाये गए कानूनों और उनके क्रियान्वयन के बीच के वर्तमान अन्तर दूर किया जाएं।

(2) जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में तैयार किए गए राष्ट्रीय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार जोत की अधिकतम सीमा संबंधी कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। एक तेज अभियान के जरिये बेनामी या गुप्त हस्तांतरणों का पता लगाया जाना चाहिए।

(3) फालतू भूमि सरकार के कब्जे में आने पर 12 महीनों के अन्तर्गत शीघ्र वितरित की जानी चाहिए।

(4) पट्टेदारी के सुधार के क्षेत्र में बटाईदारों और होमस्टेड काश्तकारों की सुरक्षा के प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया गया था। अवैधानिक बेदखली, अत्याधिक लगान और स्वैच्छिक हस्तान्तरण तथा "नौकोर-नामा" के जरिए बेदखली से बटाईदारों और होमस्टेड काश्तकारों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देकर यह कमी दूर की जानी है।

(5) वर्तमान पट्टेदारी के कानूनों की त्रुटियां दूर की जानी चाहिएं, ताकि पट्टेदारी की पूर्ण सुरक्षा हो सके और समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार खेती करने वाले काश्तकारों और बटाईदारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान किए जा सकें।

(6) पट्टेदारी का रिकार्ड तैयार करने और उसे बनाये रखने के वृहत कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(7) चकबन्दी का कार्य पट्टेदारों को पट्टेदारी की सुरक्षा प्रदान करने के कार्य के साथ-साथ होना चाहिए।

(8) भूमि सुधार के क्रियान्वयन में किसी भी स्थिति में न्यायपालिका को रुकावट नहीं बनने देना चाहिए। प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत अपील करने की व्यवस्था की जा सकती है। केवल सिविल के अधिकार क्षेत्र को समाप्त करना ही काफी नहीं है। जहां तक भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों का सम्बन्ध है, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के सिविल अधिकार क्षेत्र को समाप्त करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।

(9) पांचवीं योजना में भूमि सुधार की वित्तीय सहायता करने (जिसमें सहायता सम्बन्धी सेवाओं और फालतू भूमि के आवंटियों को ऋण की व्यवस्था करना भी शामिल है) के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि भूतपूर्व भूस्वामियों साहूकारों या व्यापारियों को भूमि का फिर से हस्तान्तरण न हो सके।

(10) भूमि सुधार के क्रियान्वयन में कृषकों के संगठनों, किसान सभाओं और व्यक्तियों के संगठनों से सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि बटाईदार और असुरक्षित काश्तकार अपने हितों की सुरक्षा करने में समर्थ हो सकें।

7—986 L SS/77

(11) ग्रामों/तहसीलों/ज़िला/राज्य स्तरों पर उपर्युक्त उल्लिखित कार्य करने के लिए एक कारगर प्रशासनिक मशीनरी तैयार करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक पृथक प्रशासनिक मशीनरी, जिसे क्रियान्वयन की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाये तथा जिसमें मन्त्री तक शामिल हों, तैयार होने से क्रियान्वयन के कार्य को अपेक्षिक गति मिलेगी और उसमें सुधार होगा।

(12) आदिवासी क्षेत्रों में भूमि हस्तान्तरण और ऋणग्रस्तता सम्बन्धी मुख्य समस्यायें उपयुक्त कानूनी उपायों के जरिये हल की जानी चाहिएं।

(13) आदिवासी क्षेत्रों में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त के कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

पटसन की उत्पादन लागत

3533. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पश्चिम बंगाल, आसाम और उड़ीसा में कच्चे पटसन के उत्पादन लागत के बारे में नवीनतम और विश्वसनीय आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त आंकड़े किस एजेंसी के माध्यम से एकत्र किये गए हैं; और

(घ) पटसन उत्पादकों के लिये लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिये यदि कोई कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) भारत सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित की जा रही प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने के लिए व्यापक योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा राज्यों के लिए कच्चे पटसन की खेती की लागत के आंकड़े उपलब्ध हो गए हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा राज्यों में कच्चे पटसन की प्रति हैक्टार खेती की औसत लागत के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के विषय में एक विवरण संलग्न है।

(ग) कच्चे पटसन की खेती की लागत के आंकड़े पश्चिम बंगाल में विधान चन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, कल्याणी, असम में असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट तथा उड़ीसा में उड़ीसा कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर द्वारा एकत्रित और संकलित किए गए हैं।

(घ) कच्चे पटसन के सांविधिक न्यूनतम मूल्य समय-समय पर कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। मूल्य निर्धारित करते समय आयोग, अन्य बातों के साथा-साथ आदानों तथा प्रतियोगी फसलों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों व विभिन्न बातों को ध्यान में रखता है। यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि समर्थन मूल्यों के लाभ वस्तुतः उत्पादकों को मिलें, भारतीय पटसन निगम ने पटसन पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों में खरीद केन्द्रों तथा उप-केन्द्रों का एक जाल बिछा दिया है। निगम ऐसे राज्यों में यथासम्भव सहकारी विपणन समितियों का भी उपयोग कर रहा है।

विवरण

(रु० प्रति हैक्टार)

मदें	पश्चिम बंगाल 1975-76	असम 1975-76	उड़ीसा 1974-75
संक्रियागत लागत	1671.44	904.93	826.52
मानवश्रम			
आकस्मिक	297.41	196.19	156.83
संलग्न	207.96	90.79	58.07
परिवार	428.22	344.01	320.06
योग	933.59	630.99	534.96
बैलों का श्रम			
किराए पर लिया गया	12.88	—	0.13
निजी	344.60	180.51	111.76
योग	357.48	180.51	111.89
बीज	49.18	42.12	22.88
उर्वरक तथा खाद			
उर्वरक	214.55	6.55	75.94
खाद	75.36	27.76	55.46
योग	289.91	34.31	131.40
कीटनाशी दवायें	0.71	—	3.71
सिंचाई शुल्क	2.90	—	6.33
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	37.67	17.00	15.35
निर्धारित लागत	772.75	426.53	506.31
निजी भूमि का लगान योग्य मूल्य	636.52	346.58	390.02
पट्टे पर ली गई भूमि के लिए दिया गया लगान	32.99	28.90	41.70
भू-राजस्व, उपकर एवं कर	13.09	6.61	3.46
उपकरणों तथा फार्म की इमारतों पर मूल्य ह्रास	7.56	11.44	16.55
स्थायी पूंजी पर ब्याज	82.59	33.00	54.58
कुल लागत	2444.19	1331.46	1332.83

टिप्पणी—ये आंकड़े अनंतिम हैं ।

राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों का सम्मेलन

3534. श्री आर० बी० स्वामीनाथन
श्री माधवराव सिन्धिया } : क्या **कृषि और सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के हुए सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि राज्यों से नदी योजनाएं तैयार करने को कहा जाये और इन योजनाओं को केन्द्रीय सरकार के पास भेजें;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने अपने प्रस्ताव भेज दिये हैं; और

(ग) राज्यों के कितने मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां । राज्यों के सिंचाई मंत्रियों का दो दिन का सम्मेलन 8 और 9 नवम्बर, 1977 को हुआ था । इसने सिफारिश की थी कि राज्यों द्वारा विभिन्न नदी बेसिनों के लिए विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार करने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाए और यह काय अगले पांच वर्षों में पूरा किया जाए ।

(ख) चूंकि यह सम्मेलन पिछले ही महीने हुआ था इसलिए इस बारे में राज्य सरकारों से प्रस्तावों के प्राप्त होने की इतनी जल्दी आशा नहीं की जा सकती ।

(ग) इस सम्मेलन में 23 मंत्रियों ने भाग लिया था ।

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES AMONG REFUGEES FROM SINDH

3535. SHRI BHANU KUMAR SHASTRI : Will tye Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state :

(a) the number of people belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes among the refugees who crossed over to India from Sindh during the Indo-Pak War;

(b) the ration per unit per day given to them by way of relief, and the per unit cost thereof; and

(c) whether they have been supplied blankets etc., for the winter by the Government of India and if so, the number supplied per person and the dates on which supplied?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The present position is reported to be as follows:—

	Rajasthan	Gujarat
Scheduled Castes . .	11,077	1,732
Scheduled Tribes . . .	568	26

(b) The scale of rations etc., being given to the displaced persons in camps is indicated at Annexure. The per unit cost, depending upon the market price of the items of rations is estimated to be Rs. 36/- per month per head on an average.

(c) The needy displaced person families in the camps are supplied one blanket per adult (8 years and above),subject to a maximum of 3 blankets per family.

Most of these displaced persons are reported to have been supplied blankets at the prescribed scale already, and the remaining families are also expected to be covered during the current financial year.

Statement

Scales of relief assistance in camps to the displaced persons from the Pakistan who crossed over into Gujarat/Rajasthan during Indo-Pak Conflict, 1971 :—

1. Free Rations

	Adult	Child (Between 1 and 8 years)
Items (in gms) (daily)		
*Rice/Wheat/Atta/Bajra/Milo .	400	200
Pulses	100	50
Edible Oil	25	12
Sugar	25	15

*The quantity of rice in the free rations is restricted to 100 grams/50grams per day for the adults/children respectively.

2. Cash

30 paise per day per adult and 20 paise per day per child (upto 8 years of age) for daily necessities.

3. **Clothing** (supply once a year).

		(Monetary ceiling) (in Rs.)
(*a*) *Cotton clothing*		
(*i*) for adults (above 12 years of age)		
Men : 1 Dhoti and one Kurta .	14/-	
Women : Saree and blouse . .	14/-	
(*ii*) for Minors (12 years or below) :		
Boys : 1 Shirt and a pair of shorts . .		10/-
Girls : Frock and underwear . . .		10/-
(*b*) *Warm clothing for children :*		
Woollen sweater or bundies made of shoddy wool		7/- per child (Gujarat) 15/- per child (Rajasthan)

***Woollen blankets/quilts :* One blanket/quilt per adult (8 years and above) subject to a maximum of 3 per family.

**The last supply was sanctioned in November. 1976.

The above items of relief assistance are to be provided only to the needy families.

5. *Shelter*

Subsidy was provided for construction of the "*Jhompas*" in Rajasthan and tarpaulins were issued once in Gujarat for covering the grass huts of the displaced persons.

6. *For last rites* :

(i) upto Rs. 30/- in the case of those above 12 years.
(ii) upto Rs. 20/- in the case of those upto 12 years,

भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन

3536. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम का पुनर्गठन करने पर विचार कर रही है जो गत छः वर्षों से बहुत असंतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित परिवर्तनों का मुख्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके मुख्य क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) से (ग) हालांकि भारतीय खाद्य निगम का कार्य, कुल मिलाकर, काफी संतोषजनक है, लेकिन निगम के संगठनात्मक ढांचे और उसके कार्य की बराबर समीक्षा की जाती है। तथापि, निगम के ढांचे का प्रमुख रूप से पुनर्गठन करने संबंधित कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

गुजरात में भंडारण सुविधाएं

3537. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम गुजरात राज्य में तथा अन्य राज्यों में भी अब तक भंडारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सका है ; और

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों के भंडारण में सुधार करने तथा गुजरात राज्य में अधिक स्थान उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) गुजरात में खाद्यान्नों का भण्डार करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पास कुल मिलाकर काफी भण्डारण स्थान है। कुछ राज्यों म उपलब्ध भण्डारण क्षमता पर भार रहा है लेकिन स्थिति से निबटने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) गुजरात राज्य में विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध सभी 'कवर्ड स्टोरेज' क्षमता का प्रयोग करने के लिए ठोस प्रयास किये जाते हैं। नये गोदाम बनवाकर भी भण्डारण क्षमता में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, 3 से 5 वर्ष की गारंटीशुदा धारिता के आधार पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राइवेट पार्टियों द्वारा गोदाम निर्माण करने के लिए एक योजना चालू की गई है।

IRRIGATION SCHEME FOR HAZARIBAGH AND GIRIDIH DISTRICT

†3538. SHRI R. L. P. VERMA : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether the Government of Bihar propose to implement with the Central grant and under Central Plan the Tilaiya Diversion scheme (the Damodar river) and the Sakari Reservoir Scheme by taming major rivers of Hazaribagh and Giridih district to bring about two lakh acres of land under irrigation which involves an outlay of about Rs. 200 crores;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether a serious situation is likely to arise in regard to the rehabilitation of displaced persons; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b). Irrigation is a State subject and irrigation projects are planned, investigated, formulated, constructed, maintained and operated and financed by the State Governments themselves. The Central assistance is given in the form of block loans for the State Plan as a whole and is not related to any sector of development or individual project. The Government of Bihar had submitted to Central Water Commission the Tilaiya Diversion Scheme which envisages diversion of 0.18 m.a.f. of water during July-October from the existing Tilaiya reservoir of Damodar Valley Corporation to the Dhandhar river in the Ganga basin. The diverted water is proposed to be picked up by a weir on the river Dhandhar which with canals on either bank will provide irrigation facilities to an area of 47,970 ha. for kharif crops. The estimated cost of the project is Rs. 14.76 crores. Comments of Central Water Commission on the scheme had been forwarded to the State Government in May and September, 1976. The reply from the State Government has not yet been received. The project proposals of Sakari Reservoir Scheme has not yet been received from the State Government.

(c) & (d). Tilaiya Diversion Scheme does not involve any submergence and consequent displacement. As regards Sakari Reservoir Scheme, this can be examined when detailed project proposal is received from the State Government.

आयातित गायों और सांडों में रोग

3539. **श्री ईश्वर चौधरी**
श्री के० मालन्ना } : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा देश में पशुओं की नस्ल सुधारने के लिये आयात की गई गायों तथा सांडों को गम्भीर पशु रोग हो जाने की आशंका है जिसका उन्मूलन करने में कई पीढ़ियां लग सकती हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में जांच की है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी नहीं ।

भारत में विदेशी पशुओं के आयात की अनुमति पशु आयात अधिनियम तथा संगरोध नियमों के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही दी जाती है । इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी देश से आयात होने वाले पशुओं के बारे में एक प्राधिकृत पशु चिकित्सा अधिकारी इस आशय का विधिवत प्रमाण-पत्र देता है कि जहाज पर लादने से पूर्व 30 दिन के भीतर उनकी जांच कर ली गई थी और वे संक्रामक रोगों के चिन्हों व लक्षणों से मुक्त थे ।

(ख) पशु-फार्मों में, जहां पशुओं का रख-रखाव किया जाता है और विदेशी रोगों के लिये विशेष सतर्कता बरती जाती है, आयातित गायों तथा सांडों के स्वास्थ्य के बारे में अनुवर्ती उपाय किए जाते हैं ।

बिहार में रबी की फसल के लिये धनराशि तथा रसायनिक उर्वरक का आवंटन

3540. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा रबी की फसल के लिये चलाय गये व्यापक अभियान के लिये केन्द्र सरकार से अधिक धनराशि और रसायनिक उर्वरकों के अतिरिक्त आवंटन के लिए कोई अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) बिहार के लिए 1977-78 के लिये लगभग 10 करोड़ रुपयों का अल्प अवधि का ऋण स्वीकृत किया गया है । राज्य सरकार ने यूरिया, डाइ-अमोनियम फास्फेट, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की अतिरिक्त मात्राएं मांगी हैं। राज्य सरकार की प्रार्थना के अनुसार यूरिया और डाइ-अमोनियम फास्फेट की अतिरिक्त मात्राओं का आवंटन कर दिया गया है और उनकी पूर्ति की जा रही है। अमोनियम सल्फेट के 2000 मीट्रिक टन की अतिरिक्त मात्रा भी आवन्टित की जा रही है। तथापि, सीमित उपलब्धि के कारण कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के अतिरिक्त मांग की जा सकी है।

सुवर्णरेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर कार्य पुनः आरम्भ किया जाना

श्री समर गुह : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भतपूर्व सिंचाई मंत्री, डा० के० एल० राव ने उड़ीसा के बालासोर जिले और पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले को बचाने हेतु सुवर्णरेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को अन्तिम रूप दिया था;

(ख) क्या कुछ स्थानीय बाधाओं के कारण परियोजना का निर्माण कार्य स्थगित कर दिया गया था;

(ग) क्या यह वचन दिया गया था कि परियोजना का कार्य कुछ मामूली परिवर्तन किये जाने के बाद आरम्भ किया जायेगा ;

(घ) क्या 10 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना, इसका निष्पादन आरम्भ होने के बाद लगभग पांच वर्षों तक स्थगित रही ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(च) बार-बार आने वाली बाढ़ों से होने वाले विनाश से उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बहुत बड़ी संख्या में निवासियों तथा वहां की कृषि भूमि बचाने के लिये सुवर्णरेखा परियोजना का कार्य कब तक पुनः प्रारम्भ किया जायेगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (च) योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए 1.28 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्वर्णरेखा नदी के बाएं किनारे पर तटबंधों के निर्माण की एक स्कीम 1971 म मंजूर की थी। यह स्कीम

उड़ीसा सरकार द्वारा बालासोर जिले के अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए उक्त नदी के किनारों पर 10.48 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से तटबंधों के निर्माण के लिए तैयार की गई एक स्कीम के साथ तालमेल बिठाकर क्रियान्वित की जानी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परिणामस्वरूप पहले से अधिक क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और तटबंधों के अन्दर स्थित 173 गावों की लगभग 52,800 की जनता के पुनर्वास की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यह सुझाव दिया गया था कि बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए स्वर्णरेखा की ऊपर की पहुंचों में जल-संचयन जलाशयों के निर्माण की संभावना का अन्वेषण किया जाना चाहिए। भूतपूर्व सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा गठित स्वर्णरेखा समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ इस पहलू की भी जांच की और यह सिफारिश की कि बाढ़ के जल के डिस्चार्ज के लिए बिहार में स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल में प्रस्तावित बांध में बाढ़ के जल के संचलन की व्यवस्था की जाए और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा म तटबंधों का निर्माण किया जाए। हालांकि पश्चिम बंगाल ने स्वर्णरेखा नदी के बाएं किनारे पर तटबंधों की संशोधित स्कीम तैयार की है, लेकिन स्थानीय जनता और उड़ीसा की सरकार द्वारा, उनके इलाके में बाढ़ की समस्या के और बिगड़ जाने की आशंका के कारण, की गई आपत्तियों को देखते हुए इस स्कीम को शुरू नहीं किया जा सका। रेल विभाग ने भी इस स्कीम के बारे में इस आधार पर आपत्ति की कि चांडिल में संचय-जलाशय के निर्माण से पहले तटबंधों के निर्माण से राजघाट में रेल पुल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे जलाशय में बाढ़-माडरेशन की अनुपस्थिति में तटबंधों का रेल-पुल पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका पता लगाने के लिए बाढ़ के मार्ग के बारे में अध्ययन करें और अपने इलाके में तटबंधों में ब्रीचिंग सेक्शनों की व्यवस्था करने की सम्भावनाओं की जांच करें। पश्चिम बंगाल सरकार से इन विषयों पर रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

अभी तक केन्द्र को उड़ीसा में तटबंधों के निर्माण की संशोधित स्कीम प्राप्त नहीं हुई है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संशोधित स्कीमों को बिहार के चान्डिल नामक स्थान पर प्रस्तावित बहु-प्रयोजनी बांध के निर्माण के साथ तालमेल बिठाकर, अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही तटबंधों के निर्माण के कार्य को हाथ में लिया जा सकता है।

स्वर्णरेखा बहु-प्रयोजनीय परियोजना के बारे में बिहार सरकार से प्राप्त परियोजना रिपोर्ट की इस समय केन्द्र में जांच की जा रही है। लेकिन बेसिन के अन्य सम्बन्धित राज्यों के बीच औपचारिक रूप से समझौता हो जाने पर ही परियोजना की मंजूरी दी जा सकेगी। हालांकि उड़ीसा और बिहार की सरकारों के बीच सहमति हो चुकी है, लेकिन बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच समझौता होने की प्रतीक्षा की जा रही है।

आपात स्थिति के दौरान सेवा से निकाले गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारी

3542. **श्री रामचरण** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के 23 कर्मचारियों की सेवाएं भूतपूर्व वाइस चेयरमैन (श्री जगमोहन) द्वारा अवैध रूप से समाप्त कर दी गई थी ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन कर्मचारियों को सेवा में बहाल करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब तक सेवा में बहाल कर दिया जाएगा ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) से (ग) आपातकाल के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के 24 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। इनमें से 4 कर्मचारियों को पहले ही बहाल कर दिया गया है और 8 कर्मचारियों के मामले विचाराधीन हैं। शेष 12 कर्मचारियों के बारे में, इनमें से कुछ ने कोई अपील दायर नहीं की और बाकी कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अपीलों को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गुणावगुण के आधार पर विचार करने के पश्चात् अस्वीकार कर दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्य के लिए भोजन" योजना

3543. **श्री समर गुह** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम न होने वाले महीनों में 'कार्य के लिए भोजन' योजना के अन्तर्गत भोजन और नकद धनराशि के सम्बन्ध में दी;

(ख) यदि हां, तो उक्त सहायता देने की शर्तें क्या हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दिए गए खाद्य और नकद धनराशि सम्बन्धी अलग-अलग आकड़े क्या हैं ;

(घ) विभिन्न राज्यों ने केन्द्र द्वारा दी गई इस खाद्य और नकद राशि सहायता का उपयोग किन-किन एजेन्सियों के माध्यम से किया; और

(ङ) विभिन्न राज्यों में उक्त योजनाओं से लाभ पाने वालों के आकड़े क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ग) खाद्यान्नों के उपयोग के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करने की योजना 1 अप्रैल, 1977 से शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र शासित सरकारों को बिना लागत के चालू योजना तथा योजनाभिन्न स्कोपों, पूंजीगत राज्यों की नई मदों, लोक निर्माण कार्यों के रख-रखाव तथा बाढ़ों से सम्बन्धित तटवर्ती कार्यों पर लगाए गए मजदूरों को पूर्ण या आंशिक मजदूरी की अदायगी के लिए उपयोग में लाने के लिए राज्यों के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु गेहूं तथा माइलो की अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई जाती है। कार्य परियोजनाएं पूरे वर्ष सम्पादित की जा सकती हैं। योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कोई भी नकद सहायता नहीं की जाती है।

योजना के अन्तर्गत आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से 5,13,822 मीटरी टन गेहूं तथा 21,688 मीटरी टन माइलो के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके मुकाबले में असम, बिहार, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की राज्य

सरकारों को पहली किस्त के रूप में 96,840 मीटरी टन गेहूं तथा 1,850 मीटरी टन माइलो दिया गया है। राज्यवार ब्योरा निम्न प्रकार है :—

राज्य	आबंटित की गई मात्रा	
	गेहूं (मी० टन)	माइलो (मी० टन)
1. असम	7,500	—
2. बिहार	10,000	—
3. कर्नाटक	1,000	1,000
4. केरल	3,000	—
5. महाराष्ट्र	1,200	450
6. हिमाचल प्रदेश	940	—
7. उड़ीसा	10,000	—
8. उत्तर प्रदेश	22,000	400
9. पश्चिम बंगाल	41,200	—
कुल	96,840	1,850

(घ) व (ङ) चूंकि योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है, अतः योजना के कार्यान्वियन के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उपयोग में लाई गई एजेन्सियों से संबंधित रिपोर्ट तथा योजना के अन्तर्गत लाए गए लाभभोगियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

1974 और 1975 में दिल्ली विकास प्राधिकरण में सि की प्रतिनियुक्ति

3544. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या निर्माण और आवास तथा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1974-75 में दिल्ली विकास प्राधिकरण में कुछ, सिविल इंजीनियर और अधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये लोग दिल्ली विकास प्राधिकरण में नियमित और स्थायी कर दिए गए थे ;

(ग) उनके स्थायी किए जाने से किन लोगों के भविष्य पर प्रभाव पड़ा; और

(घ) उनकी वरिष्ठता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए एक अधीक्षक इंजीनियर, एक कार्यपालक इंजीनियर तथा 9 सहायक इंजीनियर दिल्ली विकास प्राधिकरण में स्थायी रूप से नियुक्त कर लिए गए हैं।

(ग) तथा (घ) मामला दिल्ली विकास प्राधिकरण के विचाराधीन है।

गुजरात में चीनी कारखाने की स्थापना

3545. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में चीनी कारखाने की स्थापना हेतु कोई आवेदन-पत्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु विचाराधीन है;

(ख) आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन पड़ा है और उसम कौन-से स्थान का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) इस मामले के अनिर्णीत पड़े रहने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) से (ङ) गुजरात राज्य में चीनी फैक्टरी स्थापित करने से संबंधित कोई भी प्रार्थना-पत्र विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण विकास के लिए बैंकों का योगदान

3546. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई बैंक ग्रामीण विकास के लिए काफी मात्रा में धनराशि दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) और (ख) संस्थागत वित्तदायी एजेंसियां ग्रामीण इलाकों में कृषि उत्पादन, पशुपालन, लघु सिंचाई आदि के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए ऋण देती हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटियों तथा भूमि विकास बकों द्वारा दिए गये कुल ऋण निम्न प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये में)

	1974-75 (उपलब्धियां)	1975-76 (उपलब्धियां)	1976-77 (अनुमान)
दिये गये ऋण	1081.58	1238.00	1430.00

वाणिज्यिक बैंकों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए वित्त प्रदान करने हेतु पर्याप्त रूप में भाग लिया है।

(करोड़ रुपयों में)

	जून, 1972	जून, 1975	जून, 1976
लेखाओं की संख्या	18,38,778	23,89,393	34,35,360
बकाया धनराशि	585.68	768.21	1004.16

काजू की खेती

3547. **श्री डी० बी० चन्न गौडा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बड़े पैमाने पर काजू की खेती करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो, इस योजना का ब्यौरा क्या है तथा इसको कब तक लागू किया जाएगा ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार ने विभागीय क्षेत्रों अर्थात् राज्य सरकार की भूमि तथा गैर-विभागीय क्षेत्रों अर्थात् गैर-सरकारी भूमियों में काजू के नये बागान लगाने के लिए 1976-77 से एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना की स्वीकृति दी है। इस योजना में काजू के अन्तर्गत क्रमिक अवस्था में 6 वर्ष की अवधि में 60,000 हैक्टार विभागीय भूमि और 85,000 हैक्टार गैर-सरकारी भूमि का क्षेत्र लाने का विचार है। विभागीय क्षेत्रों के लिए 500 रु० प्रति हैक्टार और गैर-विभागीय क्षेत्रों के लिए 300 रु० प्रति हैक्टार की राज-सहायता दी गई है। यह राज-सहायता दो वर्ष की अवधि में निम्न रूप से दी गई है :—

	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
	रु०	रु०
विभागीय बागानों को	300	200
गैर-विभागीय बागानों को	120	180

काजू के अंतर्गत लाए गए क्षेत्र का लक्ष्य तथा स्वीकृति राज-सहायता की राशि के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

राज्य	विभागीय भूमि		गैर-विभागीय भूमि	
	हैक्टार	लाख रु०	हैक्टार	लाख रु०
तमिलनाडु	5,000	25.0	10,000	30.0
कर्नाटक	5,000	25.0	10,000	30.0
उड़ीसा	25,000	125.0	10,000	30.0
आंध्र प्रदेश	10,000	50.0	5,000	15.0
केरल	10,000	50.0	25,000	75.0
महाराष्ट्र	—	—	20,000	60.0
गोवा	5,000	25.00	5,000	15.0
कुल	60,000	300.00	85,000	255.0

सांगली, महाराष्ट्र की नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कार्यवाही समिति का ज्ञापन

3549. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र राज्य के सांगली स्थान की नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी कार्यवाही समिति से कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में की गई विभिन्न मांगों पर सरकार की पृथक-पृथक रूप से क्या प्रतिक्रिया है ।

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) नगर भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धी कार्यवाही समिति सांगली ने नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 के बारे में अनेक संशोधन सुझाय हैं और विशेषकर यह कहा है कि यह अधिनियम को सांगली नगर संकुलन में लागू नहीं होना चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने समिति के सुझावों पर महाराष्ट्र सरकार की सिफारिशें मांगी हैं ।

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन

3550. **श्री के० लकप्पा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का यह विचार है कि बाढ़ योजना जोनिंग तथा बाढ़ का पूर्वानुमान बाढ़ की घटनाओं की पुनरावृति को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ?

(घ) यदि हां, तो क्या वर्तमान सरकार का विचार ऐसी कोई कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) यह प्रश्न सम्भवतः केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के संबंध में है जिसका गठन 1954 में किया गया था । बोर्ड ने 9 नवम्बर, 1977 को हुई अपनी 16वीं बठक में यह फैसला किया कि चूंकि सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जलनिकास के पहलुओं के बारे म कार्यवाही एकांगी रूप से नहीं की जा सकती और लगभग सभी राज्यों में सिचाई के कार्यकारी मंत्री बाढ़ नियंत्रण के भी इंचार्ज हैं इसलिए बाढ़ नियंत्रण के विषय पर राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाए और केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड को इस सम्मेलन में मिला दिया जाए । इससे समय एवं श्रम की बचत भी होगी ।

(ग) से (ङ) बाढ़ क्षेत्र सीमांकन (फ्लड प्लेन जोनिंग) में, उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ आती हैं, विकास कार्यों को आपस में जोड़ने की परिकल्पना की गई है जिससे उन क्षेत्रों में सम्भाव्य क्षति को कम करने में सहायता मिलने की आशा है । इससे पहले बाढ़ क्षेत्र विनियमन की आवश्यकता पर 1964 में केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा, 1972 में बाढ़ों और बाढ़ सहायता विधेयक मंत्रियों की समिति द्वारा और पांचवीं योजना के दस्तावेज में भी बल दिया गया था । इस समस्या पर राज्यों के सिंचाई मत्रियों के जुलाई

1975 एवं सितम्बर 1976 में हुए पहले और दूसरे सम्मेलन में भी विचार किया गया था और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था और बाढ़ क्षेत्रों का सीमांकन करने और उपयुक्त विधान बनाने के लिए शीघ्र कदम उठाएं। इस प्रयोजन से भारत सरकार द्वारा एक माडल विधेयक भी परिचालित किया गया था। केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने नवम्बर 1977 में अपनी 16वीं बैठक में बाढ़ प्लेन जोनिंग प्रणाली शुरू करने के लिए राज्यों द्वारा अपनाए जाने वाले मार्ग दर्शक सिद्धांतों का अनुमोदन भी किया है।

बाढ़ पूर्वानुमान से बाढ़ के अनुमानित स्तरों और उसके आने के समय के संबंध में अग्रिम चेतावनी मिल जाती है और इससे बाढ़ से मरने वाले व्यक्तियों और पशुओं की संख्या को और चल सम्पत्ति को होने वाली हानि की मात्रा को कम करने में सहायता मिलती है। इससे राज्यों के प्राधिकारियों की स्थानीय जनता को चेतावनी देने में और प्रशासन को बचाव और राहत कार्यों की योजना बनाने में और बाढ़ सुरक्षा कार्यों के खराब होने से बचाने में सहायता मिलती है।

केन्द्रीय जल आयोग ने 1959 में दिल्ली में यमुना नदी पर प्रयोगात्मक आधार पर बाढ़ पूर्वानुमान कार्य की शुरूआत की थी। 1969 की बाढ़ों के पश्चात मुख्य अन्तर्राज्यीय नदियों के बारे में भी इस कार्य का विस्तार कर दिया गया है। इस समय उत्तर प्रदेश एवं बिहार में गंगा और उसकी सहायक नदियों, गुजरात में नर्वदा और ताप्ती, असम एवं उत्तरी बंगाल में ब्रह्मपुत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियों, उड़ीसा में प्रमुख नदियों, पश्चिम बंगाल में दामोदर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में आने वाली बाढ़ों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। मौजूदा संगठन को और सुदृढ़ करने, उसका विस्तार करने और उसे आधुनिक बनाने का विचार है।

SANCTUARY IN DISTRICTS

3551. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Goyernment propose to set up a sanctuary to protect wildlife in each district; and

(b) if so, since when ?

THE MINISTER FOR AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) Government have no proposal to set up sanctuaries to protect wildlife in each district. We are, however, encouraging the States to set up more sanctuaries and national parks for the protection, conservation and propagation of wildlife and their habitat by assisting the States financially.

(b) Does not arise.

NOTIFICATION FOR ACQUISITION OF LAND FOR NEHRU COMPLEX NEW DELHI

3552. SHRI SURENDRA BIKRAM : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to the reply given to unstarred question No. 88 on 14th November, 1977 and state :

(a) when the notification for acquisition of the land was issued;

(b) whether 15,000 square yard-water tank and car parking shed have been constructed on the land near Kalka temple near Nehru Complex and if so, who was the owner of this land and whether notification for the acquisition of the above land was issued;

(c) if not, the reasons therefor and the time by which compensation is likely to be paid to the owner of this land; and

(d) whether the owners of the land near Kalka temple had submitted an application to the Minister in October or November, 1977 and if so, the demands contained in the application and when it is likely to be disposed of and the compensation calculated for the said land ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) The land for Nehru Complex was notified for acquisition through several notifications between September, 1957 and May, 1963.

(b) Yes, Sir, a water tank and a car parking shed have been constructed near Nehru Complex. The recorded owner of the land are Shri Bhola Nath and others S/o Mool Chand. For a part of the land, notification had been issued in 1968. For the other it is still to be issued.

(c) The process of acquisition will be expedited. Compensation will be paid after the declaration of the award by the Land Acquisition Collector.

(d) Yes; an application had been submitted in October. The request made in the application was either to vacate the land or appoint an arbitrator to decide the matter. The action proposed to be taken has been indicated in reply to part (c).

आर० के० पुरम में खाली पड़े सरकारी क्वार्टर

3553. **श्री एम० ए० हनान अलहाज**
श्रीमती मृणाल गोरे } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर० के० पुरम में ई–I, ई-II और ई-III श्रेणी के सरकारी क्वार्टर बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, नहीं । रामकृष्णपुरम में सामान्य पूल वास में ई-I, ई-II तथा ई-III जैसे वर्गीकरण के कोई क्वार्टर नहीं हैं । सामान्य पूल वास में टाइप-I, टाइप–II, टाइप–III आदि जैसे वर्गीकरण हैं । जब स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा सम्पदा निदेशालय को किसी क्वार्टर के खाली होने की सूचना दी जाती है तो उसे प्रतीक्षा सूची में उल्लिखित अधिकारी को आवंटित कर दिया जाता है । यदि वह उसे स्वीकार नहीं करता तो सूची में उससे अगले पात्र अधिकारी को आवंटित कर दिया जाता है । कोई क्वार्टर बिना आवंटित किए नहीं रहते ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों को बकाया राशि का भुगतान

3554. **श्री एम० ए० हनान अलहाज**
श्रीमती मृणाल गोरे } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के अध्यापकों के वेतन की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है और वह भी कई वर्षों से ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अध्यापकों के बकाया राशि के कुछ दावे उनके पास अनिर्णीत पड़े हैं तथा संबंधित कर्मचारियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ग) दिल्ली प्रशासन में बकाया राशि के बिलों के निपटान के संबध में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु संबंधित स्कूलों के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा बकाया राशि के इन दावों के निपटान की प्रगति पर नजर रखी जा रही है।

कब्जाधारियों के हक में मकानों का निर्धारण

3555. **श्री कंवर लाल गुप्त**
श्री पी० राजगोपाल नायडू } : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अगस्त, 1963 में गन्दी बस्तियों के सभी मकानों का निर्धारण उनके कब्जाधारियों के हक में करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक गन्दी बस्तियों में कितने मकानों का निर्धारण किया गया और उसमें कितनी राशि वसूल हुई;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि गन्दी बस्ती संबंधी विभाग तथा निर्माण और आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय, दोनों ने विक्रय विलेख तथा पट्टा नामा के गैर अनुमोदित होने के कारण अब तक भारत सरकार के निर्णय की अपेक्षा की है और यदि उस कारण किस्तों के रूप में एक बड़ी राशि वसूल नहीं की गई है जो कि परिवाही होती और अधिक परिवारों के पुनर्वास के लिए और अधिक गन्दी बस्ती मकान बनाने के लिए उपलब्ध होती;

(घ) निर्णय को क्रियान्वित करने में असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) न्यू मोतीनगर (गन्दी बस्ती) के कब्जाधारियों के सभी मकान निर्धारित करने के लिए निश्चित तिथि क्या है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अन्तर्गत निर्मित मकानों के उनके ही आवंटियों को बेचने के लिए भारत सरकर ने 1963 में यह निर्णय किया था।

(ख) पैरा (क) में उल्लिखित आदेश के अनुक्रम में झिलमिल, तहिरपुर गन्दी बस्ती टेनामेन्टों के एक मामले में टेनामेन्ट के लागत के रूप में 4650 रुपये अदा करने पर पटटा विलेख निष्पादित किया गया था।

(ग) तथा (घ) मामले को निपटाने में देर हो गई है क्योंकि लागत निकालने, पट्टा विलेख आदि को अन्तिम रूप देने जैसी कतिपय अनौपचारिकताओं को पूरा किया जाना है।

(ङ) कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती तथापि, मामले को यथाशीघ्र संभव अन्तिम रूप देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अविच्छिन्न शिक्षा के लिए केन्द्र

3556. **श्री के० राम मूर्ति :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत बनाने के लिए प्रस्तावित 100 अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्र स्थापित कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी स्थापना किन राज्यों और किन स्थानों पर की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) से (ग) सतत् शिक्षा के प्रस्तावित 100 केन्द्रों में से इस वर्ष के लिए 51 केन्द्रों की स्थापना को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के परामर्श से अन्तिम रूप दे दिया गया है । जिन स्थानों पर ये केन्द्र स्थापित किए जाने हैं उसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–1335/77**] । कुछ राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों ने इन केन्द्रों को स्थापित करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया है । इस मामले के संबंध में उनसे लिखा पढ़ी की जा रही है ।

मध्य प्रदेश के सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों के लिये योजना

3557. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान मध्य प्रदेश के चिर सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) व (ख) मध्य प्रदेश में सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम पहले से ही चल रहा है । कार्यक्रम के मुख्य घटक सिंचाई, भू-संरक्षण, पशुपालन, वनरोपण तथा कृषि हैं । कार्यक्रम में स्वतः आवश्यक समझे गये संशोधनों और समन्वित ग्राम विकास की नई पहुंच द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों के अधीन रहते हुए, इस कार्यक्रम की अगली योजना में जारी रखा जाएगा ।

राज्यों में ग्रामीण लोगों की ऋण-ग्रस्तता

3558. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन किसानों और अन्य ग्रामीण निर्धनों को आपात स्थिति के दौरान ऋण दाताओं से बचाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिये गये उनकी संख्या कितनी है ;

(ख) कितने राज्यों ने ग्रामीण ऋण-ग्रस्तता को पहले ही समाप्त कर दिया है; और

(ग) प्रगति का राज्यवार और विशेषतः मध्य प्रदेश का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि अग्रिमों के आंकड़ों का हिसाब-किताब रखते हैं जिन्हें त्रैमासिक आधार पर संकलित किया जाता है ।

भारतीय स्टेट बैंक ग्रुप तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सितम्बर, 1976 तक कृषि के लिए 5 एकड़ भूमि वाले व्यक्तियों को दिए गए सीधे अग्रिम (बकाया) 248.93 करोड़ रुपये थे, जबकि कृषि के लिए कुल सीधे अग्रिम 813.23 करोड़ रुपये थे। उसके बाद की अवधियों के लिए इसी तरह के आंकड़े अभी उपलब्ध होने हैं।

(ख) व (ग) अभी तक 11 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल और चण्डीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी, अण्डेमान तथा निकोबार, दादरा तथा नागर हवेली तथा लक्ष्यद्वीप के केन्द्र शासित क्षेत्रों ने 2400 रुपये से कम वार्षिक आय वाले सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों की ऋण से पूर्ण मुक्ति तथा छोटे किसानों के कर्जों को कम करके और ऋणों की वसूली पर ऋण-स्थगन लागू करके निजी साहूकारों से ग्रामीण ऋणग्रस्तता को हटाने के लिए पूरी विधायी कार्यवाही की है। असम, मध्य प्रदेश, पंजाब तथा केरल के राज्यों ने ऋण स्थगन लागू करने तथा ऋणों से पूर्ण मुक्ति के लिए कार्यवाही कर ली है। बिहार सरकार ने 4 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को ऋणों से पूर्णतया मुक्ति दिलाने के लिए कार्यवाही की है। मणिपुर, मेघालय तथा उड़ीसा के राज्यों और गोवा; दीव तथा दमण के केन्द्र शासित क्षेत्रों ने ऋणों की वसूली पर ऋण-स्थगन लागू करने के लिए कार्यवाही कर ली है। जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने कृषकों को राहत देने के लिए जम्मू तथा काश्मीर ऋण-राहत अधिनियम, 1976 बनाया था। नागालैंड तथा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के केन्द्र शासित क्षेत्रों में ऋण-ग्रस्तता की समस्या नहीं है।

मध्य प्रदेश के मामले में, मध्य प्रदेश ग्रामीण ऋण विमुक्ति तथा ऋण स्थगन अधिनियम 1975 (13-5-1976, 7-10-1976 तथा 24-11-76 को संशोधित) में भूमिहीन श्रमिकों, सीमान्त किसानों तथा ग्रामीण कारीगरों को ऋण से पूर्ण मक्ति तथा लघुकिसानों के ऋणों की वसूली पर ऋण-स्थगन का प्रावधान है। अधिनियम में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के मामले में दुगुनी भूमि जोत मानदण्डों को अपनाने का प्रावधान है।

माध्यमिक स्कूलों में गांधी जी पर पाठ

3559. **श्री वी० के० नायर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में गांधी जी के जीवन और मरण तथा उनके उपदेशों के बारे में पाठ देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो क्या महात्मा गांधी के जीवन पर लिखी गई पृथक पुस्तकें पाठ्यक्रम में अनिवार्य अध्ययन के लिए रखी जायेंगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) महात्मा गांधी के जीवन और उपदेशों की प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक कक्षाओं के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा विकसित पाठ्य विवरणों तथा पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त महत्व तथा उचित स्थान दिया गया है। अतः महात्मा गांधी के जीवन के बारे में अलग से पुस्तकें तैयार करने और उनको पाठ्यचर्या में निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

धान के बीज की वसूली कीमत से कम कीमत पर सप्लाई

3560. **श्री बी० के० नायर :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि केरल में धान उत्पादकों को खुले बाजार में धान की 110 रुपये तक का प्रति क्विंटल का मूल्य मिलता है जबकि उन्हें वसूली मूल्य 25 रुपये प्रति क्विंटल ही मिलता है; और

(ख) क्या भारतीय राष्ट्रीय बीज निगम धान के बीज के लिये 220 रुपये प्रति क्विंटल ले रहा है और क्या सरकार प्रौसेसिंग खर्च को स्वयं वहन करके धान के बीज को उस मूल्य पर सप्लाई करने का प्रबन्ध करेगी जो बसूली मूल्य से अधिक न हो ?

कृषि और सिंचाई मंत्री **(श्री सुरजीत सिंह बरनाला) :** (क) वर्ष 1977-78 के खरीफ विपणन मौसम के लिये मोटी किस्म के धान की अधिप्राप्ति कीमत 77 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। अन्य किस्मों की अधिप्राप्ति कीमत को अनुपातिक तौर पर 1976-77 के निर्धारित मूल्यों से ऊपर 3 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। धान और चावल के आवागमन पर क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के हटाने से किसानों को अपने उत्पादों के लिये अधिक कीमत मिल सकती है। वर्तमान बाजार कीमत 110 से 120 रुपये प्रति क्विंटल है।

(ख) राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बेचे जाने वाले धान के बीजों का विक्रय मूल्य किस्म के अनुसार 180 से 222 रुपये के बीच है। सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि परिसंस्करण लागत वहन करके धान के बीजों के विक्रय मूल्य के लिये आर्थिक सहायता दी जाए।

PROMOTION IN CENTRAL SCHOOLS

†3561. SHRI DAYA RAM SHAKYA : Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that teachers are not promoted on the basis of seniority based on the date of appointment in the Central Schools; and

(b) if so, the reasons therefor and the action being taken by Government in this regard ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SMT. RENUKA DEVI BARAKATAKI) : (a) and (b) In accordance with the Kendriya Vidyalaya Sangathan Appointment, Promotion, Seniority etc. Rules 1971, promotion to teaching posts is effected in the following manner :—

(1) In the case of non-selection post, on the basis of seniority subject to rejection of the unfit;

(2) In the case of selection post, on the basis of merit with due regard to seniority.

The inter-se seniority of employees selected for appointment to a post and placed in a particular panel is determined by the order of merit in which their names appear in that panel. Where no such merit panel is available, seniority is determined by the date of regular appointment.

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त दुग्ध चूर्ण और बटर आयल

3562. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976-77 के दौरान वर्षवार विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी मात्रा में दुग्ध चर्ण और बटर आयल प्राप्त हुआ तथा लाभ प्राप्तकर्तावार आवंटन क्या है और उसका क्या मूल्य लगाया गया तथा कितना वसूल किया गया ;

(ख) दुग्ध चूर्ण तथा बटर आयल की बिक्री से प्राप्त आय का वर्षवार तथा कार्यक्रम वार क्या उपयोग हुआ तथा इंडियन डेरी कारपोरेशन/नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड ने भिन्न-भिन्न मूल्यों पर अपनी सेवाओं के लिए कितना धन लिया,

(ग) दूध बनाने अथवा उपयोग करने के लिए ठीक न पाये स्टाक का निपटान कैसे किया गया तथा उसकी मात्रा कितनी है और वर्ष-वार उसकी क्या कीमत वसूल की गई, और

(घ) क्या सरकार को विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त डेरी उत्पादों की वाणिज्यिक बिक्री पर असहमति के बारे में कोई विरोध अथवा पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस विरोध अथवा पत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ) तक : जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

. राष्ट्रीय डायरी विकास बोर्ड और भारतीय डेयरी निगम

3563. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और भारतीय डेयरी निगम का गठन किस प्रकार का है—उनकी मुख्य बातें, उद्देश्य एवं प्रयोजन, प्रबन्ध व्यवस्था और निकाय क्या हैं ;

(ख) इन सरकारी संगठनों का गुजरात मिल्क कारपोरेशन फैडरेशन से क्या सम्बन्ध है और इसका संचालन कैसे होता है ; और

(ग) उनके संयुक्त उद्देश्य और हित क्या हैं, लाभ का बटवारा विशेषज्ञता, कृत सेवाओं के लिए पारिश्रमिक और कार्य पर आई लागत का बंटवारा कैसे किया जाता है और क्या किन्हीं सरकारी एजेंसियों द्वारा इनकी लेखा परीक्षा की जाती है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 और बम्बई पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1960 के अधीन एक पंजीकृत निकाय है। बोर्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य डेरी विज्ञान और कार्यप्रणाली का उन्नयन करना तथा तकनीकी जानकारी का प्रसार करना था । बोर्ड की समय-समय पर सरकार द्वारा अपेक्षित गैर-वाणिज्यिक आधार पर कोई भी सम्बद्ध उपाय करना और कोई भी कार्य करना होता था । भारतीय डेरी निगम की स्थापना 1970 में कम्पनी एक्ट, 1956 के अधीन एक लिमिटेड कम्पनी के रूप में की गई थी। निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य भारत में डेरी उद्योग को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन सहित डेरी उद्योग के समेकित उन्नयन के उद्देश्य से सभी सम्बद्ध कार्य करना था । निगम को विशेषकर राज्य सरकारों और इससे संबंधित अन्य संगठनों की सहायता करनी थी । निगम को भारत सरकार के एक उद्यम के रूप में वाणिज्यिक आधार पर कार्य करना था । भारतीय डेरी निगम के निदेशक मण्डल और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की सदस्यता समय-समय पर बदली गई है किन्तु इस समय दोनों की सदस्यता "कामन" है ।

(ख) डा० वी० कुरियन जो भारतीय डेरी निगम तथा राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, वे ही गुजरात सहकारिता दुग्ध विपणन संघ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी हैं । गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ का नियंत्रण सदस्य संघों द्वारा गठित निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है । राष्ट्रीय

डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम भारत के अन्य भागों के किसानों, तकनीशनों और प्रशासकीय कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए सदस्य सहकारी संघों के पास उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हैं जिससे कि अन्य स्थानों पर भी आनन्द के प्रतिमान को अपनाया जा सके।

(ग) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ और भारतीय डेरी निगम विभिन्न संस्थाएं हैं। इनकी समान विचारधारा देश के अन्य भागों में आनन्द की तरह की सहकारी डेरी संस्थाएं बनाना है। इनके एक दूसरे के लाभों में भागीदार बनने का प्रश्न ही नहीं होता। भारतीय डेरी निगम के खातों की लेखा-परीक्षा कम्पनी कानून बोर्ड और भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के खातों की लेखा-परीक्षा भारत सरकार की स्वीकृति से बोर्ड द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है।

कर्नाटक और केरल की नादियों के बहाव को मोड़ने के बारे में तकनीकी समिति की सिफारिशें

3564. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री कर्नाटक और केरल की नदियों के बहाव को मोड़ने के बारे में तकनीकी समिति की सिफारिशों के बारे में 14 नवम्बर, 1977 के अतरांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम की ओर बहने वाली किन-किन नदियों के संबंध में तमिलनाडु और केरल की सरकारों के बीच समझौते हो चुके हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : पश्चिम की ओर बहने वाली चार नदियों अर्थात्, चलियार, पोनानी, चलाकुडी और पेरियार के सम्बन्ध में तमिलनाडु और केरल के बीच पहले ही समझौते हो चुके हैं।

RELAXATION OF RULES FOR PURPOSES OF TAKING POSSESSION OF THE GOVERNMENT ACCOMMODATION

3565. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 93 on the 14th November, 1977 and state :

(a) the reasons why Shri R. K. Maheshwari mentioned at S. No. 1 was allowed to take possession of the house allotted on the 19th November, 1975;

(b) the authority which allowed this relaxation and whether similar relaxation was also allowed earlier or this was the first case; and

(c) the general policy of the Government in regard to such cases as also the rule governing such relaxation ?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : (a) and (b) The officer had represented against the allotment of type IV ground floor flat No. G-6, 'A' Block, Peshwa Road on the grounds that the flat was surrounded by Dhobi Ghats and huts. He also attached a certificate of the CPWD to this effect. Subsequently, however, he took possession of the same quarter on 19-11-75. The date for occupying the aforesaid quarter was extended by the competent authority.

(c) When the CPWD intimate that a particular house is not fit for occupation, the rules provide for allowing extension of time to the allottee for occupation, till it is certified by the CPWD that the accommodation is fit for occupation.

IMPORT OF GRASS CARP FISH TO CHECK WEEDS

† 3566. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) whether Government have conducted an experiment with the imported grass carp fish to protect from weeds the water tanks built under the Chambal Irrigation system; and

(b) if so, full details in this regard and how far the object has been achieved ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b). The Government of Rajasthan have reported that some experiments for the eradication of weeds in the Chambal Command area with Chinese fish named grass carp, were conducted and the results were found encouraging. A fish pond for the development of fisheries has since been constructed at Soo Sagar and hatching has been started. As the work has been taken up recently, no final conclusion could be drawn at this time.

स्नातक स्तर पर मानव-विज्ञान

3567. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विश्वविद्यालयों में स्नातक-स्तर पर पाठ्यक्रम में मानव-विज्ञान (एन्थ्रापोलाजी) जैसे कुछ विषयों को शामिल नहीं किया गया है जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर उन्हें शामिल किया गया है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह त्रुटि ठीक करने के लिए निर्देश जारी किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातकोत्तर स्तर पर बहुत से पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं जिनमें किसी व्यापक विषय अथवा क्षेत्र के विशेष भाग का अध्ययन भी शामिल होता है, यद्यपि सामान्य अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में ऐसे विशेष अध्ययनों का केवल परिचय ही शामिल होता है । मानव विज्ञान के मामले में, बहुत से विश्वविद्यालयों में यह विषय अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर चलाए जाने की व्यवस्था है । यद्यपि जो विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाते हैं जरूरी नहीं कि उनके पास अवर स्नातक कार्यक्रम भी हों ।

(ख) अध्ययन के पाठ्यक्रम और उनके पाठ्य विवरण विश्वविद्यालयों द्वारा, जो स्वायत्त निकाय हैं, स्वयं निर्धारित किए जाते हैं । इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों को निदश देने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

मकानों के निर्माण के लिए बैंक ऋण की मंजूरी

3568. **श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गावों में ग्रामीण आवास के लिए कोई धनराशि नियत की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करने के लिए ऋण देने के बारे में बैंकों को निर्देश देने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) ग्रामीण आवास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता का कोई विशेष नियतन नहीं किया जाता है । आवास सहित राज्य क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों के लिए, केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्य सरकारों को 'समेकित ऋण'

तथा 'समेकित अनुदान' के रूप में दी जाती है जो किसी विशेष योजना अथवा विकास शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होती । राज्य सरकारें अपनी आवश्यकताओं और उनके द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार, ग्रामीण आवास सहित विभिन्न राज्य क्षेत्र कार्यक्रम के निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं ।

(ग) तथा (घ) बैंक से वित्तीय सहायता के लिए ग्रामीण आवास योजनाओं सहित योजनाओं की कतिपय श्रेणी बनाने के लिए सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों को मार्ग दर्शन जारी कर दिए गए हैं ।

दिल्ली दुग्ध योजना को घाटा

3569. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दुग्ध योजना को प्रति वर्ष भारी घाटा हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) उक्त घाटा कब से हो रहा है और इसके क्या कारण हैं, और

(घ) सरकार स्थिति में प्रभावी ढंग से तीव्र गति से सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां ।

(ख) से (ग) तक : दिल्ली दुग्ध योजना बिना लाभ-हानि के आधार पर चलाने हेतु सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के तौर पर प्रारम्भ की गई थी । योजना को 1969-70 और 1970-71 के वर्षों को छोड़कर जबकि इसने कुछ लाभ कमाया था, घाटा होता रहा है । घाटे का मुख्य कारण दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जाने वाले दूध की विक्रय कीमत का वास्तविक उत्पादन लागत से कम रहना है ।

(घ) दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा बेचे जा रहे दूध की विक्रय कीमत में संशोधन के लिये एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इसके अतिरिक्त, संचालन कुशलता में सुधार करने और ऊपरी लागत में कटौती आदि करने के बारे में विचार किया जा रहा है ।

सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था

3570. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था में सुधार करने और उसे सुदृढ़ बनाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और कैसे तथा इससे राजकोष पर कितना भार पड़ेगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय पुस्तकालयों अथवा संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों को छोड़कर संविधान के अन्तर्गत 'पुस्तकालय' एक राज्य विषय है । तथापि, राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से राष्ट्रीय, राजकीय और अन्य पुस्तकालयों के समन्वित विकास हेतु उपाय किए गए हैं । ये केन्द्र और राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के भाग के रूप में हैं । राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालयों के अनुरक्षण तथा विकास के अलावा, केन्द्रीय सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा

राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के माध्यम से उन्हें पुस्तकें भी दे रही है। 1977-78 के दौरान, सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालन करने वाले स्वैच्छिक शैक्षिक संगठनों की सहायता हेतु 10.00 लाख रुपये का प्रावधान है तथा उसी अवधि के लिए राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के पास 20.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

इतिहास अध्ययन सस्थान, कलकत्ता द्वारा राष्ट्रीय जीवनी परियोजना को प्रारंभ किया जाना

3571. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इतिहास अध्ययन संस्थान, कलकत्ता ने पहले से ही प्रकाशित और लोकप्रिय 'नेशनल बायोग्राफी' (राष्ट्रीय जीवनी) के चार खंडों के अलावा अतिरिक्त खण्ड प्रकाशित करने की एक नई परियोजना प्रारम्भ की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान ने उपर्युक्त परियोजना के लिए सरकार से अनुदान अथवा ऋण अथवा दोनों के रूप में वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सहायता कितनी मात्रा में किस प्रकार और कब दी जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) जी, हां। संस्थान ने भारत सरकार से परियोजना के लिए अनुदान हेतु अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार पहले ही 6 वर्ष की अवधि के लिए 2.50 लाख रुपये का कुल अनुदान स्वीकृत कर चुकी है, जिसमें से 50,000 रुपये की पहली किस्त दे दी गई है।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय अनुदान/सहायता

3572. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान सरकार ने एक अथवा अधिक संख्या में स्वैच्छिक एजेन्सियों/संस्थाओं को वित्तीय अनुदान/सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त भावना को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में सरकार का और कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) जी, हां। सरकार के अन्य प्रयासों में से एक अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक विनिमय मंडलियों की योजना प्रारम्भ करना रहा है। इस योजना का उद्देश्य भारत के विभिन्न भागों की हमारी जनता के लिए ऐसे

अवसरों का निर्माण करना है जिससे कि वे संगीत, नृत्य और नाटक के प्रदर्शनों द्वारा दूसरे भाग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें तथा सीख सकें।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस योजना को छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान जारी रखने तथा कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान देश में अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक एकता की भावना को बढ़ावा देने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता/अनुदान के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम		दिए गए अनुदान की राशि
	1975-76		
			रुपये
1.	नया थियेटर, नई दिल्ली		5,500.00
2.	रंगा श्री लिटिल बैले ट्रुप, ग्वालियर		8,500.00
3.	यक्षगण केन्द्र, उदिपि (कर्नाटक)		15,000.00
		कुल	29,000.00
	1976-77		
1.	बैले यूनिट ट्रुप, बम्बई		17,706.00
2.	यक्षगण केन्द्र, उदिपि		16,633.85
		कुल	34,339.85
	1977-78		
1.	नया थियेटर, नई दिल्ली		9,789.00
2.	बैले यूनिट, बम्बई		15,000.00
3.	दर्पण अकादमी, अहमदाबाद		17,000.00
		कुल	41,789.00

SCHEMES IN GORAKHPUR AND DEORIA FOR DEVELOPMENT OF GANDAK PROJECT AREAS

†3573. SHRI UGRASEN : Will the MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the schemes undertaken in Gorakhpur and Deoria (Uttar Pradesh) for the development of Gandak Project areas; and

(b) whether Government propose to provide irrigation facilities in the Gandak Project reas through tube-wells also ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) : (a) & (b) The revised estimate of Gandak Project, as approved by the Planning Commission in October 1969, provides for annual irrigation of 3.12 lakh hectares in Gorakhpur and Deoria districts. It has been emphasised on the Government of Uttar Pradesh to instal tubewells in the command area of Gandak project with a view to resorting to the conjunctive use of available surface and ground water.

गृह निर्माण ऋण की मंजूरी के लिए मानदण्ड के परिवर्तन के लिए मांग

3574. **श्री उग्रसेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम० आई० जी० फ्लैटों के आवंटन के लिये पंजीकरण करते समय डी० डी० ए० पति और पत्नि दोनों की कुल आय को हिसाब में रखता है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि फ्लैट खरीदने के लिये ऋण पति या पत्नि में से एक को ही दिया जाता है और मंजूर किए जाने वाले ऋण की राशि एम० आई० जी० फ्लैट की वास्तविक कीमत की तुलना में बहुत कम है; और

(ग) यदि हां, तो क्या फ्लैट खरीदने के लिये पति और पत्नि दोनों को ही ऋण देने का सरकार का विचार है, क्योंकि पंजीकरण दोनों की आय को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) : फ्लैटों की खरीद के लिये अग्रिम केवल एक ही आदमी को दिया जाता है और दिया जा सकता है । यह अग्रिम फ्लैट के मूल्य से कम है या नहीं, यह फ्लैट के मूल्य पर निर्भर करेगा लेकिन वेतन के 75गुणा होने के कारण अग्रिम की दर को कम नहीं कहा जा सकता ।

मध्यम आय वर्ग के फ्लैटों की आवंटन राशि जमा करने के लिए आय का जोड़ा जाना

3575. **श्री उग्रसेन :** क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किराया खरीद आधार पर फ्लैट के आवंटन के समय मध्यम आय वर्ग के फ्लैट की 50 प्रतिशत कीमत डी० डी० ए० में जमा करनी होती है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि पति और पत्नी दोनों की आय को जोड़ने के बाद और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के जो व्यक्ति मध्यम आय वर्ग में आते हैं उनके लिए इतनी बड़ी राशि जमा कराना बहुत मुश्किल है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) आवंटी अधिकांश रूप से समय पर प्रारम्भिक राशि जमा कर देते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राईमरी स्कूल के अध्यापकों की व्यवसायगत और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये सहायता

3576. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों की व्यवसायगत और वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये उनकी सहायता करने के लिये उन्होंने कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर प्राइमरी स्कूल अध्यापकों की स्थिति में सुधार की योजना तैयार करने में वे प्राइमरी स्कूल अध्यापकों से परामर्श करेंगे ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी) : (क) तथा (ख) : प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की सेवा कालीन शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा भी ऐसे कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रा० शि० अ० तथा प्र० परिषद् ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अन्तर्गत राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में सतत शिक्षा के 100 केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और जिनके माध्यम से प्राथमिक तथा माध्यमिक दोनों प्रकार के स्कूल शिक्षकों के लिये सेवा कालीन शिक्षा के कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव है। ऐसे 51 केन्द्र स्थापित करने के प्रस्तावों को पहले ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है और शेष को अगले वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दे दिया जायगा। रेडियो तथा दूर दर्शन जैसे जन संचार माध्यमों के प्रयोग द्वारा सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना भी बनाई जा रही है।

(ग) प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिये कार्यक्रम, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये जाते हैं, प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के प्रतिनिधियों से परामर्श करना, जहां भी आवश्यक हो, राज्य सरकारों का ही काम है।

आन्ध्र प्रदेश में "आपरेशन मिल्क फूड"

3577. **श्री जी० एस० रेड्डी :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "आपरेशन मिल्क फूड" की आन्ध्र प्रदेश में कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे स्थानीय पशुओं की नस्लों में सुधार करने में कोई सहायता मिली है, जो देश भर में मशहूर हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां। गन्तूर जिले के संगमजागरलमुड्डी में प्रतिदिन 1.5 लाख लीटर दूध संभालने की एक ब्रीडर बेलेन्सिंग डेरी की स्थापना की गई है। और अधिक दूध संभालने के लिये विजयवाड़ा स्थित डेरी का भी विस्तार किया गया है। 150 ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है।

(ख) कार्यक्रम के अन्तर्गत 2 बुल मदर फार्मों की स्थापना की गई थी । आन्ध्र प्रदेश सरकार को एक स्टड फार्म शुरू करने के लिये 12 जर्सी सांड सप्लाई किए गए थे । पशुओं के आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम में समय लग सकता है। अतः इस स्थिति म स्थानीय पशुओं की नस्ल में इसके प्रभावी सुधार का मूल्यांकन करने के बारे में इस समय कुछ बताना कठिन है ।

मोटे अनाज का उत्पादन

3578. **श्री जी० एस० रेड्डी : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में वर्ष 1971 से ज्वार जैसे अनाज का उत्पादन घटता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) : वर्ष 1970-71 से 1976-77 के लिये मोटे अनाज (जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी और छोटा कदन शामिल है) को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों का उत्पादन और मोटे अनाजों का कुल उत्पादन भी प्रति वर्ष घटता-बढ़ता रहा है और उससे निरन्तर वृद्धि या ह्रास की कोई प्रवृत्ति प्रतीत नहीं होती । इसका मुख्य कारण यह है कि मोटे अनाजों को वर्षा आश्रित परिस्थितियों के अन्तर्गत उगाया जाता है, अतः उन पर वर्षा की मात्रा और मौसमिक परिस्थितियों के परिवर्तन का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ।

विवरण

(000 मीट्रिक टनों में)

फसल	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74	1974-75	1975-76	1976-77
ज्वार	967.3	1139.5	1230.2	1290.8	1570.8	1019.7	1010.4
बाजरा	290.1	228.2	179.8	365.2	307.9	351.1	247.0
मक्का	344.1	293.6	292.4	420.1	484.4	498.3	292.9
रागी	230.6	265.1	220.9	274.3	318.2	370.4	290.3
छोटे कदन	327.4	256.6	218.8	326.5	268.6	294.7	269.4
कुल मोटे खाद्यान्न	2159.5	2183.0	2142.1	2676.9	2949.9	2534.2	2110.0

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली/नई दिल्ली में प्लाटों का विकास

3579. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्लाटों का विकास किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बात क्या है और उक्त प्लाट कब तक जनता को बिक्री के लिये उपलब्ध हो जायेंगे और आवंटन का क्या मानदण्ड होगा; और

(ग) क्या कुछ प्रतिशत प्लाट दिल्ली में नौकरी कर रहे ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जिनके पास अपना कोई मकान नहीं है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी, हां ।

(ख) यमुनापुरी, रोहतक रोड, शालीमार बाग, पीतमपुरा और बोडेला में प्लाटों का विकास किया जा रहा है । पिछले दो वर्षों के दौरान बहुत से प्लाटों का निपटान किया गया है और शेष प्लाटों का जब कभी विकास होगा उनका निपटान कर दिया जायगा ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चट्टा लगाने सम्बन्धी शुल्क का समाप्त किया जाना

3580. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवन के निर्माण संबंधी योजना को प्रस्तुत करते समय 500 रुपये से 1000 रुपये की अतिरिक्त राशि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा चट्टा लगाने (स्टाकिंग) सम्बन्धी शुल्क के रूप में वसूल की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो प्लाटों की लागत के अलावा प्लाट धारियों से इतनी ज्यादा राशि वसूल करने के क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार का लोगों के लिये इस कष्टप्रद शुल्क को समाप्त करने का विचार है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) से (ग) : सार्वजनिक भूमि, नालियों आदि पर भवन निर्माण सामग्री रखने या मलवा डालने के लिये या ऐसी भूमि, नाली आदि को संभावित क्षति पहुंचाने की दृष्टि से भण्डारण प्रभार अदा किए जाने अपेक्षित हैं ।

प्रभार इस प्रकार है :—

(1)	100 वर्गगज तक के प्लाटों के लिए	250 रुपये
(2)	101 वर्गगज से 200 वर्गगज तक के प्लाटों के लिए	500 रुपये
(3)	201 वर्गगज से 500 वर्गगज तक के प्लाटों के लिए	1000 रुपये

वे प्लाट होल्डर जो अपनी भूमि पर निर्माण सामग्री/मलवा रखने का विकल्प देते हैं उन्हें केवल जमानत की राशि जमा करानी होती है जिसे कार्य समापन प्रमाण पत्र जारी करने के बाद लौटा दिया जाता है । भण्डारण प्रभार को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्रुप डी० और सी० के कर्मचारियों में से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए मकानों का आरक्षण

3581. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार ग्रुप डी के पदों में (स्थाई कर्मचारियों को अलग करके) 1 जनवरी, 1972 को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की कुल संख्या 22.53 प्रतिशत और ग्रुप सी पदों में 11.49 प्रतिशत थी ;

(ख) क्या सम्पदा निदेशालय ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मिलाकर टाइप-I के सरकारी मकानों के लिये 10 प्रतिशत तक आरक्षण दिया है जिनमें सफाई कर्मचारियों सहित ग्रुप डी के कर्मचारी शामिल हैं, टाइप-II में 10 प्रतिशत जिसमें ग्रुप डी और सी के कर्मचारी शामिल हैं और टाइप-III में 5 प्रतिशत का आरक्षण दिया है जिसमें ग्रुप सी के कर्मचारी आते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकारी मकानों के आवंटन के मामले में आरक्षण लागू करने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है तथा क्या आरक्षण की यह प्रतिशतता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल प्रतिशतता ग्रप 'सी' में 11.49 तथा ग्रुप 'डी' में (झाड़ूकशों के अतिरिक्त) 22.43 है ।

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पात्र कर्मचारियों को ऐसे वास के लिये दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के टाइप-I तथा टाइप-II म स्पष्ट रिक्तियों का 10% और टाइप-III तथा टाइप-IV में स्पष्ट रिक्तियों का 5 प्रतिशत आवंटन आरक्षित रखा जाता है ।

(ग) तथा (घ) : प्रतिशतता सामान्य पूल वास के लिये अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पात्र कर्मचारियों की संख्या उनमें से उन्हें जिन्हें पहले ही सरकारी वास और वास की कुल मिलाकर उपलब्धता तथा परितुष्टि की प्रतिशतता को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है। आरक्षित कोटे के अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचरियों के मामले में उनकी बारी आने पर सामान्य कोटे से वास के लिये विचार किया जाता है। उपर्युक्त प्रतिशतता को बढ़ाने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

खरीफ की फसल के दौरान अधिक मात्रा में खाद्यान्न की वसूली

3582. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मात्रा में खरीफ के खाद्यान्न की वसूली हुई है जैसा कि 18 नवम्बर, 1977 के 'फाइनेंशियल एक्सप्रैस' में छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस का मुख्य कारण थोक व्यापारियों के लिये खाद्यान्न भण्डार की सीमा निर्धारित करना है; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह नीति रबी की फसल के लिये भी लागू रहेगी ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) और (ख): 7 दिसम्बर, 1977 तक उपलब्ध वसूली के आंकड़ों के अनुसार, इस मौसम में, पिछले मौसम की इसी अवधि की तुलना में खरीफ की कुल वसूली अधिक हुई है। ऐसा मुख्यतया मंडी में अधिक आमद, सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अधिक वसूली मूल्यों और सरकार की सुगम स्टाक स्थिति होने के कारण हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूंगफली सम्बन्धी परीक्षण

3583. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे अनुसंधान केन्द्र में विकसित मूंगफली की किस्मों के बारे में किये गए खेतों में परीक्षणों से एच० पी० एस० किस्म की मूंगफली का विकास करने में सफलता मिली है ;

(ख) क्या भारत तेल उत्पादक तथा निर्यात कर्ता संघ को इन परीक्षणों के साथ सहयोजित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस एच० पी० एस० मूंगफली का निर्यात करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार का इस संघ के प्रति कोई दायित्व है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) 1976 में आयोजित तिलहन अनुसंधान कार्यकर्ताओं की वार्षिक कार्यशाला की सिफारिश पर, 1976 की खरीफ के दौरान मोटे दानों की किस्मों (एच० पी० एस०) के लिये एक प्रथक बहु-स्थानीय परीक्षण किया

गया। ट्राम्बे में विकासित टी जी-3 तथा टी जी-7 भी एम-13 जैसी अन्य मोटे दानों की किस्मों के साथ सम्मिलित की गयी थी।

परीक्षण के परिणामों ने दर्शाया कि लगभग सभी केन्द्रों पर पंजाब की एम-13 ने प्रथम स्थान पाया, उत्तर प्रदेश द्वारा चुनी गयी टी 64 द्वितीय तथा टीजी-7 और टीजी-3 (ट्राम्बे की किस्में) तृतीय व चतुर्थ रहीं। क्योंकि केवल एक मौसम के आंकड़ों पर कोई निश्चित परिणाम नहीं निकाला जा सकता था। अतः ये बहु-स्थानीय परीक्षण 1977 के दौरान भी दुबारा से किये गये। 1977 के आंकड़ों का अभी कार्यशाला में विश्लेषण व उन पर चर्चा होनी है।

(ख) वनस्पति निर्माता संघ को भी जोकि भारतीय तेल उत्पादक संघ की सहयोगी संस्था है, इन परीक्षणों के साथ सम्बन्ध किया गया है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

HOUSING AS A MEANS OF EMPLOYMENT

3584. SHRI DAULAT RAM SARAN : Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state whether it is a fact that the implementation of housing schemes on large scale will help in solving the unemployment problem and in setting up of many industries ?

THE MINISTER OF WORKS & HOUSING & SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT) : Yes, Sir.

सैक्टर 'डी' डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली में पानी की सप्लाई में वृद्धि करने संबंधी प्रस्ताव

3585. **श्री चतुर्भुज : क्या निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर 'डी' डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में पेय जल की सप्लाई में वृद्धि करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने नई दिल्ली नगरपालिका को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) क्योंकि पानी की सप्लाई इस समय सामान्य है अतः ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में अभिलेखागार के लिए तकनीकी जानकारी

3586. **श्री दुर्गाचन्द : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राज्यों में अभिलेखागार की स्थापना के लिए वित्तीय तथा तकनीकी 'जानकारी' सहायता उपलब्ध कराती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई सुविधाएं प्रदान की गई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) : जबकि राज्य अभिलेखागारों के वित्तीय प्रावधान को राज्य के बजट में दर्शाया जाता है, राज्य सरकारों को तकनीकी "जानकारी" अथवा परामर्श-भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा संबंधित विषय पर अपेक्षित साहित्य के रुप में तथा अपने अधिकारियों को प्रतिनियुक्त करके प्रदान किया जाता है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) राज्य अभिलेखागार को स्थापित करने के लिये "राज्य रिकार्ड कार्यालय की न्यूनतम आवश्यकताओं से संबंधित एक नोट" सहित संगत साहित्य हिमाचल प्रदेश सरकार को सितम्बर, 1976 में तथा फिर अप्रैल, 1977 में भेजा गया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि यदि हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए एक अभिलेखागार कार्यालय की मूल आवश्यकताओं से परिचित होने हेतु अपना एक अधिकारी राष्ट्रीय अभिलेखागार में भेजना संभव न हो तो इन समस्याओं पर मौके पर विचार-विमर्श करने हेतु भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को वहां भेज देगा।

हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन

3587. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात प्रयोजनों के लिये हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार निर्यात हेतु राज्य में सेब का उत्पादन बढाने के लिये हिमाचल प्रदेश को कौन-कौन सी सुविधायें प्रदान कीं, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार प्रत्येक देश को हिमाचल प्रदेश में उत्पादित कितनी मात्रा में सेब का निर्यात किया गया और इस अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई और जमा हुए स्टाक को निपटाने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) विशेषकर निर्यात प्रयोजनों के लिये ही सेब का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) निर्यात को बढ़ावा देने के लिये वाणिज्य मंत्रालय द्वारा सेब के निर्यात पर पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत के लिये नकद प्रतिपूरक सहायता दी जाती है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश से निर्यात किए गए सेब की मात्रा तथा मूल्य को संलग्न विवरण में दिया गया है। जमा हुए स्टाक को निपटाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई सहायता नहीं दी गई है। तथापि सेबों के निर्यात पर पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत के लिए नगद प्रतिपूरक सहायता दी जाती है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश से निर्यात किये गये सेब की मात्रा को प्रदर्शित करने वाला विवरण

देश का नाम जिनको निर्यात किया गया	1975-76		1976-77		मात्रा : स्टैन्डर्ड बक्सों की अनुमानित मात्रा 18 कि०ग्रा० 1977-78 (8 दिसम्बर, 1977 तक)	
	मात्रा (स्टैन्डर्ड बक्सों में)	मूल्य (रु०)	मात्रा (स्टैन्डर्ड बक्सों में)	मूल्य (रु०)	मात्रा (स्टैन्डर्ड बक्सों में)	मूल्य (रु०)
ईरान	शून्य	शून्य	6618	3,87,854	शून्य	शून्य
दुबई	शून्य	शून्य	500	43,000	1058	79,416
दोहा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	416	36,608

उत्तर प्रदेश में चीनी कारखानों की लागत

3588. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने कि कृपा करगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लखनऊ से प्रकाशित होने वाले नेशनल हेरल्ड के 5 सितम्बर, 1977 के अंक में इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि उत्तर प्रदेश में चीनी कारखाने की लागत सबसे अधिक है और उत्तर प्रदेश की चीनी कारखानों के लिए हाट वाटर प्लांट खरीदने के मामले में धांधली होती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है ; और

(ग) इस जांच का क्या परिणाम निकला तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि अपना निर्णय लेने के लिए सभी प्राप्त टेंडरों और अन्य मुख्य-मुख्य बातों पर विचार

करने के बाद उत्तर प्रदेश की राज्य स्तर की सलाहकार समिति की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी फैक्ट्रियों के लिए सभी संयंत्र खरीदे गए थे। भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने दोनों परियोजनाओं की लागत ऊंची बतायी है। चीनी फैक्ट्रियों में लगाए गए गर्म पानी के संयंत्र कई एक फर्मों स खरीदे गए थे और इन संयंत्रों की लागत का अंदाजा उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी फैक्ट्रियों द्वारा आमंत्रित किए गए टेंडरों के आधार पर लगाया गया था और इन संयंत्रों की कार्यकुशलता और उनकी लागत दोनों ही तकनीकी सलाहकार द्वारा प्रमाणित की गई थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकार इन दो संयंत्रों की ऊंची लागत के बारे में जांच कर रही है और यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है। राज्य सरकार का यह मत है कि चीनी फैक्ट्रियों में लगाए गए गर्म पानी के संयंत्रों की लागत के बारे में जांच करना आवश्यक नहीं है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कालेजों में दाखिला

3589. **श्री रामानन्द तिवारी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 50 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कालेजों में दाखिला नहीं मिल सकता ;

(ख) क्या इस मानदंड के लागू होने के कारण बहुत से नौकरी पेशा व्यक्ति इस सुविधा से वंचित हो जाते हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार या तो सभी छात्रों को दाखिला देने के लिए अनुमति देने अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ छात्रों के लिए पत्राचार पाठ्क्रम शुरू करने का हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है, और सभा पटल पर यथासमय रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय मुख्यालय संबंधी प्रस्ताव

3590. **श्री पूर्ण सिन्हा :** क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम के आसाम तथा शिलांग क्षेत्रों को मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी स्थान पर भारतीय खाद्य निगम का एक क्षेत्रीय मुख्यालय खोलने के लिए भारतीय खाद्य निगम, आसाम क्षेत्र के श्रमिकों से कोई मांग प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या सरकार का धान की वसूली के लिए समस्त आसाम राज्य को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा विचार है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्दर धान की वसूली, भंडारण तथा वितरण के बेहतर आयोजन तथा देश के अन्य राज्यों में व्यापार के विस्तार और प्रसार हेतु आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

मणिपुर तथा नागालैण्ड राज्यों को मिलाकर भारतीय खाद्य निगम के एक पृथक ज़ोन का गठन किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए यह ज़ोन कब तक बनाने का है ?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) फिलहाल, वर्तमान पूर्वी ज़ोन से गौहाटी और शिलांग में स्थित दो क्षेत्रीय कार्यालयों को अलग कर असम का अलग ज़ोन बनाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव भारतीय खाद्य निगम से प्राप्त नहीं हुआ है । प्रस्तावित क्षेत्र में कार्य की मात्रा नये प्रस्तावित ज़ोन को बनाने की इजाज़त नहीं देती ।

(ग) उपर्युक्त (ख) की दृष्टि में, प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों की अधिक लागत

3591. **श्री एम० ए० हनान अलहाज** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित दुकानों की लागत पहुंच से अधिक है और नीलामी में यह जनसाधारण तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर व्यक्तियों की पहुंच से परे है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार जनसाधारण को और विशेष रूप से सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं, ऐसी दुकानें आवंटित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) तथा (ख) दुकानें नीलामी द्वारा दी जाती हैं । दुकानों की लागत भूमि विकास और निर्माण पर किए गए खर्च पर आधारित होती है किन्तु नीलामी में यह लागत आरक्षित मूल्य के निर्धारण से ही संबंधित है, वास्तविक आबंटन बोलियों के आधार पर किया जाता है । दुकानों का 12.8 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों के ही मध्य सीमित नीलामी के द्वारा आबंटन के लिए निर्धारित किया जाता है । उपर्युक्त दो किस्म की नीलामी से दुकानें दी जाती हैं, इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास दुकानों के निपटान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

निजी तौर पर गन्ना पेरने वाले व्यक्ति

3592. **श्री सुरेन्द्र बिक्रम** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू मौसम के दौरान निजी तौर पर गन्ना पेरने वाले अधिकांश व्यक्ति कार्यरत नहीं हैं और इसके परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों के लिए गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो निजी तौर पर गन्ना पेरने वाले मालिकों की मांगें क्या हैं; और

(ग) क्या गन्ना पेरने वाले परिचालकों ने प्रत्येक संसद् सदस्य और सरकार को एक मांग पत्र भेजा है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह): (क) भारत सरकार द्वारा निजी क्रशरों (अनुमान है कि ये खंडसारी यूनिटों से संबंधित है) को उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं लेकिन उन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्य के कानूनों के अन्तर्गत लाइसेंस दिए जाते हैं। केन्द्रीय सरकार उनके कार्यचालन को विनियमित नहीं करती है।

(ख) हाल ही में देश भर के खंडसारी उत्पादकों की विभिन्न एसोसिएशनें खंडसारी चीनी से उत्पादन शुल्क की दर में कमी करने के लिए मांग कर रही हैं। इन आभ्यावेदनों की कृषि और सिंचाई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों द्वारा बारीकी से जांच की गई है और कम से कम इस समय ,उन पर कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता दिखाई नहीं देती ।

(ग) हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि क्रशर आप्रेटरों ने प्रत्येक संसद् सदस्य को अलग-अलग मांग पत्र भेजा है । जहां तक खाद्य विभाग का संबंध है, खंडसारी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली विभिन्न एसोसिएशनों से कई एक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मुख्यता खंडसारी चीनी पर उत्पादन शुल्क की वर्तमान दर में कमी करने के लिए प्रार्थना की गई है और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उसमें कमी करना आवश्यक नहीं समझा जाता है ।

ब्रह्मपुत्र में बाढ़

3593. **श्री पूर्ण सिन्हा : क्या कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, जिससे इसके तटों पर स्थित गांवों तथा कस्बों को भारी हानि हुई है तथा गत ग्रीष्म ऋतु में लोगों की जानें गई हैं तथा पशु मर गये हैं ; भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार डिहोंग तथा सुवनसिरो नदियों में बांधों का निर्माण करने का है जैसा कि कुछ विशेषज्ञों ने सिफारिश की है कि ब्रह्मपुत्र में बाढ़ रोकने का, जिससे भारी क्षति होती है, यही एकमात्र तरीका है; और

(ग) क्या भारत सरकार का विचार नदी में बाढ़ रोकने के लिए विश्व के अन्य देशों से ऋण अथवा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्राप्त करने का है?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) बाढ़-नियंत्रण राज्य-सैक्टर का भाग है और बाढ़ सुरक्षा कार्यों की शुरूआत करने, उनके आयोजन और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और भूमि-कटाव की गंभीर समस्या को देखते हुए, असम सरकार ने जुलाई, 1970 में, इस घाटी में बाढ़

नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार करने और बाढ़ नियंत्रण कार्यों के क्रियान्वयन के लिए ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण आयोग नामक एक अलग संगठन की स्थापना की । इस आयोग के कार्य के लिए नीतियां निर्धारित करने और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने केन्द्रीय कृषि और सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है । बाढ़ नियंत्रण की व्यापक योजना तैयार होने तक आयोग द्वारा नए तटबंधों के निर्माण, मौजूदा तटबन्धों को ऊंचा उठाने एवं सुदृढ़ बनाने तथा भू-कटाव-रोधी कार्यों के निर्माण जैसे सुरक्षात्मक कार्य किए गए हैं । अब तक ब्रह्मपुत्र घाटी में ब्रह्मपुत्र के साथ-साथ 777 किलोमीटर लम्बे तटबंधों, इसकी सहायक नदियों के साथ-साथ 235 किलोमीटर लम्बे तटबंधों, 464 किलोमीटर लम्बी जल-निकास नालियों, 32 सुरक्षा स्कीमों, ब्रह्मपुत्र तटबन्धों पर 52 स्लुइसों और सहायक नदियों के डाइकों पर 316 स्लुइसों के निर्माण का काम पूरा किया जा चुका है । भारत सरकार ने, आयोग को ब्रह्मपुत्र नदी की चुनी हुई पहुंचों में भू-कटाव-रोधी उपायों के रूप में प्रयोगात्मक तलकर्षण (ड्रेजिंग) का काम हाथ में लेने के लिए दो ग्रैजर भी दिए हैं। चिमनियां और अलीकाश के निकट, जहां नदी द्वारा भू-कटाव हो रहा था, तलकर्षण किया गया है और सामाचार मिले हैं कि चेनलों में जहां तलकर्षण किया गया है, स्थिति सन्तोषजनक है।

पांचवीं योजना के शुरू होने के समय से, उन निर्माण-कार्यों के क्रियान्वयन के लिए, जो तत्काल किए जाने जरूरी हैं और जिन्हें व्यापक योजना के बनने तक रोके नहीं रखा जा सकता, भारत सरकार द्वारा ऋण प्रदान करके पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। अब तक दी गई धनराशि इस प्रकार है :—

1974-75	6.00	करोड़ रुपए
1975-76	4.89	,, ,,
1976-77	6.00	,, ,,
1977-78 (प्रस्तावित)	7.75	,, ,,

इस सहायता में, व्यापक योजना तैयार करने के लिए आयोग द्वारा किए जाने वाले अन्वेषणों के लिए अपेक्षित रकम भी शामिल है।

(ख) भारत सरकार को विशेषज्ञों द्वारा दी गई ऐसी किसी राय की जानकारी नहीं है लेकिन यह महसूस किया जाता है कि ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ की समस्या का कारगर ढंग से मुकाबला करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से बांधों और इसके साथ-साथ तटबंधों, जल-निकास चैनलों और कटाव-रोधी-कार्यों का निर्माण किया जाना जरूरी है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अलीगढ़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रों द्वारा नशीले पदार्थों का उपयोग

3594. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि अलीगढ़ तथा

दिल्ली विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में रहने वाले छात्र, शराब, अफीम, बीड़ी तथा सिगरेट का उपयोग न करें ;

(ख) क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के 80 प्रतिशत छात्र इन चीजों का उपयोग करते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विगत दो वर्षों में इन दो विश्वविद्यालयों से कितनी मात्रा में अफीम तथा चरस आदि बरामद की और इस संबंध में कितने छात्र दोषी पाए गए ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र) : (क) और (ख) संबंधित विश्वविद्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ;

(ग) प्रश्न के भाग (क) में संदर्भित दो विश्वविद्यालयों से सरकार ने अभी तक कोई अफीम या चरस आदि नहीं पकड़ी है।

योरुपीय आर्थिक समुदाय के देशों से सात वर्षीय खाद्य सहायता

3595. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योरुपीय आर्थिक समुदाय के देश भारत के लिए सात वर्षीय खाद्य सहायता परियोजना पर विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां।

(ख) यह परियोजना, 'आपरेशन फ्लड I' पर आधारित है तथा इसमें 483.49 करोड़ रु० का परिव्यय होगा। यह परियोजना आठ वर्षीय समेकित डेरी विकास कार्यक्रम की है जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। आशा है कि इस परियोजना के अन्तर्गत योरुपीय आर्थिक समुदाय के देश स्किम्ड दुग्ध चूर्ण और बटर-आयल देंगे तथा विश्व बैंक से कुछ ऋण उपलब्ध होगा। योरुपीय आर्थिक समुदाय के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श हो चुका है तथा विश्व बैंक पूर्व-मूल्यांकन मिशन इस परियोजना के संबंध में इस समय देश में आया हुआ है। राज्यों तथा अन्य सम्बद्ध एजेंसियों से परामर्श करके सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

KALYAN SONA WHEAT

3596. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state :

(a) the names of the countries where Kalyan Sona wheat developed by Indian Scientists is still being grown; and

(b) the parts of this country where it is still grown and the reasons for which area under its cultivation has declined ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) :

(a) Kalyan Sona seed developed by the Indian Scientists has been supplied to Bangla Desh and the People's Democratic Republic of South Yemen in commercial quantities. Small

quantities of seed of this variety were also supplied to Afganistan, Mangolia and also to the U.S.S.R. and it is reported that this variety has been released for cultivation in some of the Asian Republics of that country.

(b) Kalyan Sona was officially released on the recommendation of the 6th All India Wheat Research Workers' Workshop held at New Delhi in the year 1967 for cultivation all over India. It is still grown in U.P., Rajasthan, Punjab, Haryana, Gujarat, Maharashtra, M.P., Orissa, Andhra Pradesh and Himachal Pradesh. Since last 2 to 3 years Kalyan Sona has started showing susceptibility to a number of new races of yellow rust, brown rust and black rust. The area under this variety in almost all states excepting M.P., Gujarat and Maharashtra has also been declining slowly. Indian Scientists have already developed varieties like Arjun, HD 2122, HD 2177, HD 2204, WL 711, WL 410, IWP 72, Pratap, Janak etc. which show a reasonable measure of field resistance to rusts under field conditions when Kalyan Sona shows high susceptibility. Seeds of these varieties have been made available to farmers through mini-kit demonstration trials. Varietal diversity is essential for avoiding extensive damage under conditions which are favourable to the pathogen.

अतारांकित प्रश्न संख्या 1083 दिनांक 21-11-77 के उत्तर की शुद्धि करने वाला विवरण

STATEMENT CORRECTING ANSWER TO USQ NO. 1083 DATED 2-11-1977

आगरा में ऐतिहासिक स्थानों पर टिकटों के बेचने से प्राप्त धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में श्री रामजी लाल सुमन द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 1083 के 21-11-1977 को लोक-सभा में दिये गये उत्तर में प्रथम अनुच्छेद को संशोधित करके निम्न रूप में पढ़ा जाए :

(क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा में केन्द्र द्वारा संरक्षित चार स्मारकों पर प्रति दर्शक से केवल पचास पैसे प्रवेश शुल्क वसूल करता है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1968 के अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया जाता है। इस प्रकार वसूल की गयी धनराशि राजस्वरूप में सरकार को दी जाती है। स्मारकों के रख-रखाव के लिये बजट में अलग से व्यवस्था है।

प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* P.M.s VISIT TO NEPAL

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जैसा कि सदन को मालूम है मैं कल नेपाल से लौटा। यह उचित है कि मैं अपने पड़ौसी मित्र देश के बारे में एक संक्षिप्त बयान सदन को पेश करूं।

इस साल पिछले सितम्बर में नेपाल में सरकार बदली और उसके बाद माननीय कीर्ति निधि बिष्ट ने मुझे नेपाल आने का निमंत्रण दिया। अपने पड़ौसी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निमंत्रण तुरन्त स्वीकार कर लिया। मेरे साथ विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी भी गये और उनकी सलाह मुझे प्राप्त थी।

हम भौगोलिक और आपसी आर्थिक हितों की दृष्टि तथा परस्पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से इस तरह जुड़े हैं, जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलेगी।

भारत सरकार की ओर से नेपाल नरेश तथा उनकी सरकार तथा जनता को यह बताने का मुझे मौका मिला कि भारत इस प्रचीन राज्य के साथ मैत्री रखता है और अपने संबंध इस तरीके से बढ़ाना चाहता है जिससे एक दूसरे की स्वतंत्रता के प्रति आदर-भाव हो, हम दोनों आपसी हित के लिए काम करें और जिसमें दोनों को फायदा हो। नेपाल की जनता तथा नरेश तथा उनकी सरकार की ओर से जो मेरा हार्दिक स्वागत हुआ इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं नेपाल नरेश से मिला और प्रधान मंत्री बिष्ट से मैंने व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया। इस यात्रा के आखिर में जो विज्ञप्ति जारी की गई वह सदन की मेज पर रख दी गई है, जिससे इस बात का पता चलता है कि कितने व्यापक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ और आपसी लाभ के समझौते हुये।

इस संयुक्त विज्ञप्ति से माननीय सदस्यों को पता चलेगा कि दोनों पक्ष इस बात की जरूरत समझते हैं कि समता और आपसी हित के आधार पर अपने आर्थिक संबंध और मजबूत किये जायें। इसी भावना से हम लोगों में इस बात पर सहमति हो गई कि उन नदियों की योजनाओं को तरजीह दी जाये जो हमारे दोनों देशों की जोड़ती हैं और जिनसे हम दोनों को कई फायदे हैं। देवीघाट योजना को भी तरजीह दी जायेगी, जिसे नेपाल सरकार बहुत महत्व देती है। इस संयुक्त प्रयास की जरूरत और महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इस काम में देर करने से दोनों को नुकसान होगा। हिमालय में असीम सम्पदा हो सकती है और इसकी उपेक्षा से भविष्य में हम दोनों के हितों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। करनाली, महाकाली राप्ती और त्रिसूली नदी योजनाओं को तुरन्त लागू करने के खास उपायों पर समझौते हो गये हैं।

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि 1971 की भारत-नेपाल व्यापार तथा पारगमन संधि अगस्त में खत्म हो चुकी है, परन्तु जब तक इसकी जगह पर कोई नये प्रबंध नहीं किये जाते, इसे चलते रहने दिया जायेगा। नये प्रबंधों के संबंध में अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श हो चुके हैं। अपनी यात्रा के दौरान पहले जो बातचीत हुई है उसकी समीक्षा की गई और इस बात पर सहमति हुई कि हालांकि व्यापार द्विपक्षीय मामला है, तीसरे देशों के साथ नेपाल का व्यापार प्रबंध एक अलग विषय है।

हमारे आर्थिक संबंधों में समान सीमा का होना एक खास बात है। यद्यपि, इसमें शक नहीं कि प्रत्येक देश की अपनी आर्थिक तथा व्यापार संबंधी नीतियों को निर्धारित करने का स्वतंत्र अधिकार है, फिर भी नेपाल के प्रधान मंत्री तथा मैंने तुरन्त इस बात को माना है कि दोनों देशों के हित में ऐसे सामान के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। अतः हमने निश्चय किया है कि इस संबंध में एक अलग करार किया जाना चाहिए जिसमें हमारी खुली सीमा पर समान के अनधिकृत आवागमन को रोकने के लिए प्रभावी उपायों की व्यवस्था होगी। इन दो समझौतों तथा एक अलग करार करने के निर्णय से यह पता चलता है कि दोनों देश एक दूसरे की स्वतंत्रता तथा संवेदनशीलता का इतना आदर करते हैं कि एक देश की आर्थिक नीतियां दूसरे देश को कोई नुकसान न पहुंचा सकें।

माननीय सदस्य इस बात से भली भांति परिचित हैं कि भारत तथा नेपाल दोनों देश गुटनिरपेक्षता तथा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति के प्रति वचनबद्ध हैं। दोनों सरकारें एक

दूसरे के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करने के लिए कटिबद्ध हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास के वातावरण को तैयार करने तथा एक दूसरे की खुशहाली में अपनी मैत्री भावना का आश्वासन प्रदान करने के लिए ये नीतियां बहुत सहायक हैं। भारत-नेपाल संबंधों को इस आधार पर और मजबूत किया जायेगा कि हम दोनों के बीच सच्चा सहयोग हो और इस प्रकार सारे प्रदेश में शांति और स्थायित्व रहे।

इस अवसर पर महामहिम की सरकार तथा नेपाल के प्रधान मंत्री के प्रति मैं अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा जिन्होंने मेरी नेपाल यात्रा के दौरान मुझे तथा मेरे प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों का हार्दिक तथा सद्भावपूर्ण स्वागत किया। मैं नेपाल नरेश तथा महारानी को उनके सत्कार तथा उनके साथ समान विषयों पर बड़े सद्भावपूर्ण तथा स्पष्ट विचार-विमर्श के लिए आभार प्रकट करता हूं। अपनी यात्रा, विचार-विमर्श तथा मैत्री और सद्भाव के सुन्दर वातावरण से मुझे इस बात पर विश्वास हुआ है कि भारत के रवैये के बारे में जो आशंकाएं तथा गलतफहमियां थीं वह दूर हो गयी हैं। हम दोनों देशों के बीच एक सच्चे मित्र की तरह संबंध फिर कायम होने चाहिएं जैसा कि उन देशों के बीच होना उचित है जिन्हें शांति और प्रगति में पूरी आस्था है।

पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* APPOINTMENT OF COMMITTEE ON PANCHAYATI RAJ INSTITUTIONS

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण की जांच करने के लिए आज एक समिति नियुक्त की है जिसके चैयरमैन श्री अशोक मेहता होंगे। संकल्प की प्रति, जिसमें समिति के गठन और उसके विचारार्थ विषयों की जानाकारी दी गई है, सभा पटल पर रखी गई है।

संकल्प

कृषि उत्पादन को बढ़ाने, रोजगार के अवसर जुटाने, गरीबी को हटाने तथा ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिए सरकार ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार का विचार है कि इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों क्षेत्रों, आयोजन तथा उसके कार्यान्वयन, में सर्वाधिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। तदनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मशविरा करके, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली की जांच करने तथा उनको सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है ताकि आयोजन और विकास की विकेन्द्रीकृत प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सके।

2. समिति का गठन निम्न प्रकार से किया गया है :—

1. श्री अशोक मेहता — अध्यक्ष
2. श्री कर्पूरी ठाकुर, मुख्य मंत्री, बिहार
3. श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्य मंत्री, पंजाब
4. श्री एम० जी० रामचन्द्रन, मुख्य मंत्री, तमिलनाडु

5. श्री बी० शिवरामन्, सदस्य, योजना आयोग
6. श्री मंगल देव, संसद् सदस्य
7. श्री कंवर महमूद अली खां, संसद् सदस्य
8. श्री अन्ना साहिब पी० शिन्दे, संसद् सदस्य
9. श्री ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद, त्रिवेन्द्रम
10. श्री एस० के० डे०, नई दिल्ली
11. श्री सिद्धराज ढड्डा, जयपुर
12. प्रो० इकबाल नारायण, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
13. श्री वल्लभभाई पटेल, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजकोट

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) राज्यों तथा राज्य क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध में वर्तमान स्थिति और जिला से गांव स्तर तक पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण ताकि कमियों तथा त्रुटियों का पता लगाया जा सके। विशेषकर निम्नलिखित के संदर्भ में इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली का जांच करना।

(क) संसाधन जुटाना।

(ख) ग्रामीण विकास की स्कीमों का यथार्थ तथा आशावादी ढंग से और समाज के कमजोर वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए आयोजन और कार्यान्वयन।

(2) चुनाव प्रणाली सहित, पंचायती राज संस्थाओं की गठन पद्धति की जांच करना तथा पंचायती राज प्रणाली के कार्य निष्पादन पर उनके प्रभावों का मूल्यांकन।

(3) भविष्य में समेकित ग्रामीण विकास के लिये पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका तथा उनके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देश्यों संबंधी सुझाव देना।

(4) पंचायती राज संस्थाओं को अपनी भावी भूमिका निभाने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से उनके पुनर्गठन एवं कमियों और त्रुटियों को पूरा करने के उपाय सुझाना।

(5) पंचायती राज्य संस्थाओं, सरकारी प्रसाशन-तंत्र तथा ग्रामीण विकास में संलग्न सहकारी तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच बने रहने वाले संबंधों के रूप तथा प्रकार संबंधी सिफारिशें देना।

(6) पंचायती राज संस्थाओं को सौंपी जाने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिये पर्याप्त धन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वित्त संबंधी मामलों सहित, अन्य सिफारिशें देना।

4. समिति को छः महीने की अवधि के भीतर जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देनी चाहिये तथा यदि वे ऐसा करना आवश्यक समझे अथवा सरकार उनसे ऐसी अपेक्षा करे, तो समिति अपनी अन्तरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर सकती है।

5. समिति को सचिवालय संबंधी तथा अन्य सहायता कृषि और सिंचाई मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाएगी।

———

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कुछ राज्यों के कृषि उद्योग निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के बारे में विवरण

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जिसमें लेखा वर्ष की समाप्ति के बाद नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर विवरण में उल्लिखित वर्षों के आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के राज्यों में कृषि उद्योग निगमों के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे सभा-पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1316/77**]।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1974-75 के प्रभावित लेखे तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का वार्षिक प्रतिवेदन, भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड के वर्ष 1976-77 का वार्षिक प्रतिवेदन, आदि

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चन्द्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1974-75 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1317/77**]।

(2) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1318/77**]।

(3) (एक) भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता के न्यासधारी बोर्ड के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार की सहमति सम्बन्धी ब्यौरा देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये सं० एल० टी० 1319/77**]।

(4) (एक) प्रतिष्ठान के ज्ञापन पत्र तथा नियमों के नियम 41(घ) और 42 के अन्तर्गत राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1976-77 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सरकार की सहमति सम्बन्धी ब्यौरा देने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये सं० एल० टी० 1320/77**] ।

— ——

चीनी वर्ष 1976-77 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण द्वितीय संशोधन आदेश, 1977 तथा पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह) : मैं सभापटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत चीनी (वर्ष 1976-77 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) संशोधन आदेश, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 अगस्त, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 556 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये सं० एल० टी० 1321 77**] ।

(2) पशु कल्याण बोर्ड (प्रशासन) नियम, 1962 के नियम 24 के उपनियम (4) के अन्तर्गत पशु कल्याण बोर्ड मद्रास के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन । [**ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए सं० एल० टी० 1322/77**] ।

दिल्ली विक्रय कर चौथा सशोधन नियम, 1977 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं श्री जुल्फिकार उल्लाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली विक्रय कर अधिनियम, 1975 की धारा 72 के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर नियम (चौथा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1977 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(8)/76–फिन्न (जी) में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 1323/77**] ।

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सं० नि० 726 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 1 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [**ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए सं० एल० टी० 1324/77**] ।

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"मुझे लोक सभा को यह जानकारी देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 8 दिसम्बर 1977 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 1977 को पास किये गये बैंककारी सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 1977 पर विचार किया है और राज्य सभा विधेयक से सहमत नहीं हुई है क्योंकि राज्य सभा ने विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है।"

धेयक पर अनुमति

ASSENT TO BILL

सचिव : महोदय, मैं चालू सभा के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर विधेयक सभा पटल पर रखता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सीमाओं के बारे में पीकिंग रेडियो का कथित प्रसारण

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (सोनीपत) : महोदय, आप पहले मंत्री महोदय को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में वक्तव्य देने के लिए कहें, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि जिन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है उनमें से किसी भी सदस्य को वक्तव्य की प्रति नहीं दी गई है। वास्तव में हमें पहले ही एक-एक प्रति दी जानी चाहिए थी। मैंने मैसेंजर से प्रति के लिए कहा था और उसने कहा है कि अभी तक विदेश मंत्रालय से सूचना कार्यालय में प्रतियां नहीं पहुंची हैं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब तक हमें यह नहीं मालूम हो जाता है कि सरकार को क्या कहना है हम इस पर सभा में कैसे चर्चा कर सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : चीन विरोधी गुट अभी भी सक्रिय है।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैसेन्जर कहता है कि सूचना कार्यालय ने कहा है कि आज कोई ऐसा वक्तव्य नहीं मिला है।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी बाजपेयी) : विदेश मंत्रालय की ओर से मैं सभा से क्षमा मांगता हूं किन्तु मेरा विचार है कि वक्तव्य परिचालित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आगे प्रति परिचालित की जाती है।

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : Sir, I call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a Statement :

"Reported broadcast of a talk in Peking recently emphasising China's determination to defend its borders and its being interpreted in the world press as a warning for India."

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : महोदय, आपने शुक्रवार को हमारे दल अर्थात् कांग्रेस दल के सदस्य श्री अलगेसन को नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण मामला उठाने की अनुमति दी है । यह मामला विदेश मंत्री श्री वाजपेयी द्वारा इन्दौर में दिये गये वक्तव्य के बारे में है। .... (**व्यवधान**) ... मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव का हवाला दे रहा हूं।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के बाद वे इसे उठा सकते हैं।

श्री वयालार रवि : मैं उससे पहले उसे उठाना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय को तब तक नहीं सुनूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि वह वस्तुतः व्यवस्था का क्या प्रश्न उठा रहे हैं। क्या यह प्रश्न से सम्बन्धित है ।

श्री वयालार रवि : यह मंत्री से सम्बन्धित है।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह मंत्री के आचरण पर इस प्रकार चर्चा नहीं कर सकते हैं ।

श्री वयालार रवि : गैर-जिम्मेदार बातें कही गई हैं। हम उन्हें नहीं सुनेंगे। हम उन्हें बोलने नहीं देंगे। प्रधान मंत्री उन्हें निर्देश दें (**व्यवधान**) ।

श्री कंवर लाल गुप्त : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : अध्यक्ष महोदय उन्हें सुने और उसके बाद निर्णय करें ।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मंत्री द्वारा वक्तव्य देने में उनके आचरण के बारे में यह बात है इसमें कांग्रेस दल को आनन्द मार्ग के साथ बराबरी करने के बारे में कहा गया है। अतः यह संसद् का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है। जब तक मंत्री महोदय के विचार मिलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैंने मंत्री को कहा है। विशेषाधिकार का प्रस्ताव आज सुबह मिला है। इस पर मैं नियम पूर्वक विचार करूंगा।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : क्या मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर सकता हूं कि वे अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार चलें। उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत किया है। उसे भी उचित ढंग से स्वीकार करेंगे। अनावश्यक रूप से बातें करने से सभा की गरिमा भंग होती है ।

श्री वयालार रवि : यदि मंत्री महोदय अपने विचार व्यक्त करते हैं तो बात यहीं पर समाप्त हो जाती है।

डा० कर्णसिंह (ऊधमपुर) : हमें इस सभा में उच्च संसदीय परम्पराएं स्थापित करनी हैं। कहा गया है कि यदि आनन्द मार्ग पर प्रतिबन्ध लगाना है तो कांग्रेस पर भी लगाना है। इस सभा में कांग्रेस के 150 सदस्य हैं। प्रश्न यह है कि सभा में विरोध है। यदि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें तो यह सब समाप्त हो जायेगा।

विदेश मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : मुझे खेद है कि जब श्री अलगेसन ने यह बात उठाई तो मैं यहां नहीं था। मेरा अपने कांग्रेसी मित्रों से यह निवेदन है कि वे मुझे चीन के प्रसारण के बारे में वक्तव्य पढ़ने की अनुमति दें। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव समाप्त हो जाये फिर मैं सारी बात को स्पष्ट करूंगा।

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न प्रक्रिया के बारे में है। आपको बीच में चर्चा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके बारे में इतनी तकनीकी दृष्टि से क्यों विचार करते हैं ?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE) : Government's attention has been drawn to a broadcast over Radio Peking in English on 27th November, 1977. According to the text of the broadcast that is available with us, the broadcast gave an account of the qualities of Chinese People's Liberation Army and, in this context, referred to China's border clashes with India in October-November, 1962, with Soviet Union, in March, 1969 and with the then Republic of Vietnam in January, 1974. The broadcast *inter alia* briefly recapitulated the events of the October-November, 1962 on India-China border in terms of the well-known Chinese version of the hostilities on the border.

The stand of the Government of India on the India-China border question is well known. Our common border is clearly depicted on our maps and the official report of 1961 put forward ample evidence in support of India's stand *vis-a-vis* the India-China border.

The House is also fully familiar with the facts relating to the 1962 conflict between India and China. There is no question of India launching an invasion across the traditional border. On the contrary it is well known that the opposite is the case.

It would seem that the November, 27th broadcast over Radio Peking is only a reiteration of the familiar Chinese version of border conflicts in which the Chinese Peoples' Libration Army is involved between 1962 and 1974. Apart from India the USSR and the Democratic Republic of Vietnam are also referred to in the broadcast in a similar vein.

We cannot but regret that such a statement should have been made on the official Chinese media, particularly when, while maintaining our position on the Sino-Indian border, we have obtained an improvement in our bilateral relations. Consistent with our territorial integrity and national dignity and on the basis of peaceful co-existence and the goal of mutually beneficial bilateral relations between our two countries, we hope that the process of improvement in our relations with China will not be jeopardised by such factually incorrect and needlessly provocative statements.

SHRI BRIJ BHUSHAN TIWARI (Khalilabad) : Mr. Speaker, Sir, the terminology of the statement of the Minister of External Affairs received just now is good but it is not as clear as it should have been and this broadcast has not been taken with full seriousness. This is a national problem and we have to consider it in that context. But the Chinese have all along been considering it a border dispute. According to them the boundary between India and China has never before been clearly demarcated. It has also been reported that efforts have been made to improve Indo-China relations. They are also reported to have conveyed their conditions through Mr. Tito and Mr. Vance and are also reported to have expressed their anger over the interview given to a newspaper of Japan by our Prime

Minister and the meeting of Dalai Lama with him. In 1962 this House had passed a resolution unanimously that Indian people have resolved to drive away the aggressor from the sacred soil of India, however long and hard the struggle may be. We still adhere to it. I do not want that we should be aggressors but I want to ask as to what basis you should have with China for a talk, if any, with that country, (*interruption*). One lakh sq. mile land has been occupied by China. Then there is the question of Tibet. I would like to know whether Government have made an effort to review the foreign policy in this context and whether Government would call a meeting of Government, non-Government and Parliamentary experts and consider their policy towards China. This is an important matter and we should find out a basic solution to it. If this is not done our relations can deteriorate.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : There is no difference in our words and actions nor is it true that we have not taken this matter with full seriousness. In regard to our territory in possession of China, our stand in the talks with China whenever it takes place would be that we should get it back. But our Prime Minister has clarified that this would be done by negotiations. Secondly, in regard to convening a seminar, we have consultative committee. If the Hon'ble Member has any particular suggestion he may make the same and we will seriously consider it.

SHRI MUKHTIAR SINGH MALIK : Sir, this is a delicate matter and the Hon'ble Minister should have not taken it so lightly. In his statement he has on the one hand stated about the official media and on the other hand about a provocative statement, I do not know whether our present Government also want to follow the previous Government. It has been stated that there has been an improvement in our relations. I do not understand whether there has been any improvement. Whenever a reference is made of 1962 clash then they make a provocative statement. Our Prime Minister wants a peaceful solution but I do not understand as to how long we will be seeking peaceful solution.

I want to know whether the Chinese diplomats in India were called by our External Affairs Ministry to clarify the position in regard to the provocative statement of 27th November. I would like to impress upon, the hon. Minister that China does not pay any heed to civilized and polite language.

The hon. Minister has stated today that Tibet belongs to China. But he has not clarified his stand about that land which has been under occupation of China. I want to know how and by whom talks on this issue will be initiated. China will not take initiative in this matter. It seems that India has become a little demoralised after the war of 1962.

May I also know whether our forces have been equipped with modern and sophisticated armaments. Whether hon. Minister was in the opposition he used to demand for manufacturing nuclear weapons.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Mr. Speaker, I agree with the hon. Member that we should not shift our stand just on the basis of a smiling gesture of a diplomat on one occasion. But on the other hand I am not going to accept the plea for revising our entire foreign policy just after listening a provocative broadcast. We have already conveyed to China our reaction in strong words in regard to that broadcast. The Government is already vigilant and conscious about safeguarding our national interests and upholding the national honour and as such there is no need to give any assurance to this House in this direction. We were having two alternatives. Firstly, we might have told the Chinese Government that we would not establish any relation with China until our border disputes with it were settled. We would have followed this course in case this House would have supported it. The second alternative was to make efforts for normalising our relations with China by sticking to India's stand in this regard. The Government have decided to follow the second course and progress is being made in that direction.

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : उन्होंने सीमा निर्धारण के विषय में कुछ नहीं कहा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने सीमा के बारे में कहा लेकिन यह नहीं बताया कि यह सीमा किसके द्वारा निर्धारित हुई है।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : The hon. Minister has stated that our Government are making efforts to strike at an agreement with China by sticking to our stand in regard to Sino-Indian border. I want to know how much improvement has been achieved in our bilateral relations with China. In view of the facts that the one-third population of the world live in China and India and we can save 500 to 1000 crores of rupees by withdrawing our forces from Sino-Indian border, nobody would object to our improving bilateral

relations with China. But the efforts in this direction cannot be a one-way traffic. The Prime Minister has upheld the national honour by stating categorically that China has to take initiative for settlement of border dispute with our country since it has been keeping some area of our territory under its occupation and our relations with China cannot improve unless if restores our territory. Reacting to this statement China made propaganda against our country and tried to send to us a protest against the meeting of Dalai Lama with our Prime Minister. I want to know from the hon. Minister whether it was proper on our part to give explanation to China about the issues discussed by Dalai Lama in his meeting with our Prime Minister instead of asking China not to interfere in the internal matters of our country. We went to that extent that we gave a statement recognising the suzerainty of China over Tibet.

In view of continuous anti-India attitude of China, I want to know what improvements in our bilateral relations with China have been noticed.

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब हमने सदन में यह स्वीकार कर लिया है कि जिस देश को हमने मित्र माना है और जिसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध बने हुए हैं उसे बदनाम नहीं करेंगे। इसके अलावा, हमारे देश को दलाई लामा पर 1962 के बाद भारी रकम खर्च करनी पड़ी है। अत: यह मामला और अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

SHRI VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, it was unanimously resolved in this House that we would take back our territory which had been occupied by China, but there are certain people in India who are pleading that China should be allowed to have suzerainty over its occupied Indian territory. Are we not playing down what China is wanting to do? While making efforts to improve our relations with China, the same mistakes as were committed during the past 30 years should not be repeated now.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : The present Government have resolved that instead of repeating the past mistakes efforts will be made to rectify them.

We have already sent our reply to China's protest over Dalai Lama's meeting with the Prime Minister that we have allowed Dalai Lama to reside in India with a view to preserve Tibetan culture and his meeting with the Prime Minister was a courtesy call to which China should not have any objection.

The Farakka issue has been resolved through bilateral talks with Bangladesh and no third party has been allowed to intervene.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

[The Lok Sabha then adjourned for lunch till 14-05 hours of the clock].

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.12 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at twelve minutes past fourteen of the clock.

[**श्री त्रिदिब चौधरी पीठासीन हुए**
SHRI TRIDIB CHAUDHURI in the Chair]

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तीसरा प्रतिवेदन

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1974-75 के प्रतिवेदन (संघ सरकार) (रक्षा सेवायें) के पैराग्राफ 11 और 43 पर लोक लेखा समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की परिषद्

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3-1-1 के साथ पठित संस्थान की सम्पत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध की योजना के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें आगामी 1 जनवरी, 1978 से आरम्भ होने वाली कार्यावधि के लिये भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"भारतीय विज्ञान संस्था, बंगलौर के विनियमों के विनियम 3.1 और 3-1-1 के साथ पठित संस्थान की सम्पत्तियों और निधियों के प्रशासन और प्रबन्ध की योजना के खण्ड 9 (1) के उपखण्ड (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें आगामी 1 जनवरी, 1978 से आरम्भ होने वाली कार्यावधि के लिये भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की परिषद् के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

चाय बोर्ड

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ बेग) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों तथा अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चाय नियम, 1954 के नियम 4 (1) (ख) के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 की धारा 4 की उपधारा (3) (च) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य

ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें उक्त नियमों तथा अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्याधीन श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, चाय बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिये अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

नियम 377 के अधीन मामले

MATTERS UNDER RULE 377

(1) सरकारी सेवा में नियुक्ति से पूर्व मार्क्सवादी और मार्क्सवादी लेनिनवादी अभ्यर्थियों के चरित्र की जांच के बारे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया कथित परिपत्र

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, मेरे पास एक गोपनीय परिपत्र है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि मार्क्सवादी और मार्क्सवादी-लेनिनवादी लोग सशस्त्र सेनाओं और पुलिस में घुसपैठ करने में दिलचस्पी ले रह हैं। अतः भविष्य में इनमें नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों के चरित्र और विगत कार्यकलापों की जांच भलीभांति की जाए।

यह बड़ा ही गम्भीर मामला है, क्योंकि यह दो राजनीतिक दलों के विरुद्ध है। यह कुछ दलों के प्रति भेदभाव बरतने की बात है। यह बड़ा ही अलोकतन्त्रीय ढंग है। अतः सरकार इस बारे में सत्र समाप्ति से पूर्व सभा में एक श्वेतपत्र पेश करे।

(2) रेलवे के स्कूल अध्यापकों द्वारा प्रदर्शन

DR. RAMJI SINGH (Bhagalpur) : Mr. Chairman, Sir, I would like to draw your attention to the rally organised by the All India Primary Teachers Association. About two lakh primary teachers participated therein. Their main demand is to include the education in the concurrent list. The condition of Primary Teachers in the country is pitiable. Not even a single commission has been appointed for Primary Teachers or primary education so far. I also suggest that a National Autonomous Education Board at Primary and Secondary stage should be set up. I also request that the demand of the Primary Teachers to include education in the concurrent list should be accepted.

(3) गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का बन्द होना

SHRI OM PRAKASH TYAGI (Bahraich) : Mr. Chairman, Sir, I would like to bring to your notice that a big education centre Gurukul Kangri University, Hardwar has been closed down. It has been received and occupied by goondas. I have received two telegrams in this regard. About 250 persons have been arrested there. I would also like to inform you that it is a great institution of Arya Samaj and Arya Samaj will never tolerate such a situation. It will launch Satyagraha at All India level. This institution has been ruined completely. The pharmacy there has also been raided. The Central Government should intervene and take some timely action in this matter.

(4) लक्ष्मी काटन मिल्स, अहमदाबाद का बन्द होना

श्री प्रसन्नभाई मेहता (भावनगर) : सभापति महोदय, लक्ष्मीकाटन मिल्स, अहमदाबाद 12 अगस्त, 1977 से बन्द पड़ी है और लगभग 2000 कर्मकार बेकार हो गए हैं। वे वास्तव में भूख से मर रहे हैं। मेरे पास एक तार आया है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि कर्मचारी बहुत क्षुब्ध हैं उन्हें जून से वेतन नहीं मिला है तथा हिंसा की वारदात भी हो सकती है। लाखों रुपये का कपड़ा वहां पड़ा हुआ है। मैं वित्त मन्त्री, उद्योग मन्त्री और श्रम मन्त्री से अपील करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में शीघ्र ही समुचित कदम उठायें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मेरा एक निवेदन है। मैं चुनावों में हेराफेरी के बारे में मामला उठाना चाहता था। में केवल यही निवेदन करना चाहता था।

बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक —जारी

PAYMENT OF BONUS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

सभापति महोदय : अब हम बोनस संदाय (संशोधन) विधेयक पर आगे खंडशः विचार शुरु करेंगे। 16 खंड स्वीकृत हो चुके हैं। खंड 17 के संशोधन पहले ही पेश किए जा चुके हैं। यदि कोई बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है, अन्यथा मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूगा ।

श्री वयालार रवि : मैंने तीन संशोधन पेश किए हैं और मैं कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आप एक ऐसे खण्ड को पेश कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों और नियोक्ताओं में समझौता होने के बावजूद कर्मचारियों को सरकार के पास जाकर स्वीकृति लेने की व्यवस्था की गयी है। इससे तो मालिक अधिक मजबूत होंगे और कर्मचारी अधिक कमजोर हो जायेंगे। मेरे विचार में तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इससे तो उनके बीच में हुए समझौतों का कोई लाभ नहीं होगा। उन्हें तो समझौते की शर्तों के अनुसार बोनस दिया जाये।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : मैंने भी एक संशोधन पेश किया है। मैं इस पर बोलना चाहूंगी ।

सभापति महोदय : आपने कोई संशोधन पेश नहीं किया है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : श्री राजन ने मेरी ओर से पेश किया था। मेरा संशोधन भी रवि के संशोधन के समान ही है। एक ओर तो आप कर्मचारियों को मालिकों से समझौते करने की अनुमति दे रहे हैं और दूसरी ओर सरकार की स्वीकृति की बात कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है। हम जिस सिद्धान्त के लिए लड़ रहे हैं वह यह है कि बोनस कर्मचारियों और नियोक्ताओं के बीच हुए समझौते के अनुसार दिया जाए जो कम से कम 8.33% हो। नहीं तो नियोक्ता कहेंगे कि उन्हें घाटा है और इसलिए वे बोनस नहीं दें सकते। सरकार को उनके समझौते में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अपील करती हूं कि वह हमारे संशोधन को स्वीकार करें।

संसद् कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : सभापति महोदय माननीय सदस्यों ने जो दलीलें दी हैं, उनको मैंने बड़ी दिलचस्पी के साथ सुना है।

जहां तक इस खंड का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि आपात स्थिति के दौरान जिस खंड को वापस ले लिया गया था उसकी पुनः व्यवस्था की जा रही है।

यह भी कहा गया है कि हम इसे कुछ शर्तों के साथ ला रहे हैं। तो यह बात सही है। इसमें एक नया परन्तुक यह जोड़ा गया है कि न्यूनतम 8.33 प्रतिशत के सूत्र से बाहर किसी भी समझौते के लिए अब पूर्वानुमति लेना आवश्यक होगा। मैंने यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है। श्रीमती पार्वती कृष्णन ने कहा है कि यह परन्तुक विपक्षीय समझौते के अधिकार को छीन लेता है। तो एसी बात नहीं है मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब न्यूनतम बोनस को निर्धारित करना विपक्षीय समझौते के साथ हस्तक्षेप करना नहीं है तो अधिकतम

बोनस को निर्धारित करना इसके साथ हस्तक्षेप कैसे होगा। यदि आप कहते हैं कि कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तो न्यूनतम बोनस भी नहीं होना चाहिए। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि न्यूनतम बोनस के लिए सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए तो आपको अधिकतम बोनस के लिए भी सरकार के हस्तक्षेप के अधिकार को स्वीकार करना चाहिए।

सरकार ने इस विधेयक को पेश करने के उद्देश्य को भलीभांति स्पष्ट कर दिया है कि इस विधेयक से 1976 से पहले की स्थिति को लाना है। पिछली बातों के लिए हम जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता और भविष्य के लिए अपने वायदों के लिए हम जिम्मेदार होंगे।

श्री वयालार रवि : इस वर्ष होने वाले समझौतों का क्या होगा ?

श्री रविन्द्र वर्मा : जब यह कानून लागू हो जाएगा तब यह इस वर्ष होने वाले सभी समझौतों पर लागू होगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 और 8 सभा में मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 7 and 8 were put and negatived

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 9 सभा में मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 9 was put and negatived

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 16 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 34 विपक्ष में 70

Ayes Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 17 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 17 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खण्ड 18 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 18 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 18 was added to the Bill

सभापति महोदय: खण्ड 19 और 20 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 19 और 20 विधेयक के अंग बने"।

प्रस्तावव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 19 और 20 विधेयक में जोड़े गये

Clauses 19 and 20 were added to the Bill

सभापति महोदय: खण्ड 21, प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 21 was added to the Bill

सभापति महोदय: अब मैं खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक के नाम का प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक नाम का विधेयक के अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रवीन्द्र वर्मा: म प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक पारित किया जाये"।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर): संशोधन संख्या 17 पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि उद्योग घाटे में चल रहा है फिर भी उद्योग को 8.33 प्रतिशत बोनस देना पड़ेगा। सुदूर भविष्य में इससे कर्मचारियों को लाभ नहीं होगा। इससे उद्योग को भारी बोझ उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग को धन भी उधार लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इसके लिए 8.33 प्रतिशत बोनस देना मुश्किल होगा। इससे इस उद्योग का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा और कर्मचारियों को भी बेकारी का सामना करना पड़ेगा। बम्बई में 20,000 कर्मचारी बेकार हो गए हैं। उद्योग बोनस न देने की वजह से बन्द हो गए हैं। अतः घाटे में चल रहे ऋणग्रस्त उद्योगों से बोनस देने के लिए कहना उचित नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस संशोधन पर पुनर्विचार किया जाए। उद्योग में जब बचत हो, उद्योग को जब लाभ हो तभी कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। घाटे म चलने वाले उद्योगों से बोनस देने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

श्री पूर्ण सिन्हा: मेरे राज्य में कुछ कम्पनियों ने कर्मकारों को बोनस देने की अभी तक घोषणा नहीं की है क्योंकि उनके तुलन-पत्र अभी तक तैयार नहीं हो पाए हैं। जो कम्पनियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आठ मास के अन्दर बोनस के प्रश्न या समाधन नहीं करते

उनके लिए कुछ दण्डात्मक उपबन्ध किए जाने चाहिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बोनस की अदायगी हर हालत में दुर्गापूजा या दिवाली पर अवश्य हो जाए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : विपक्ष इस विधेयक के महत्व को कम करने की कोशिश में है। हम जो कुछ कर रहे हैं वे इसकी अनदेखी और अनसुनी कर रहे हैं। श्री दामानी का तर्क है कि न्यूनतम बोनस देना कानूनी नहीं होना चाहिए।

श्री एस० आर० दामानी : आपने मुझे गलत समझा है। मेरा अभिप्राय था कि घाटे में चलने वाले प्रतिष्ठान जो बिजली का बिल देने की स्थिति में भी न हो, उनको बोनस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उपक्रमों की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ कर्मकारों की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब प्रबन्ध अपने कर्मचारियों को उनके वेतन और अन्य प्रकार की देय रकमों का भुगतान नहीं करते तो यह जरूरी हो जाता है कि सरकार उसमें इन तथ्यों की उपेक्षा कर रहे हैं और ऐसी धेक बोनस को अदायगी के विपरीत है।

जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

कम्पनी (संशोधन) विधेयक

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

सभापति महोदय : अब हम कम्पनी (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधयक पर विचार किया जाए"।

यह एक छोटा सा विधयक है। कम्पनी अधिनियम गत 1974 में संशोधित किया था। सरकार ने कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार और निर्बन्धित व्यापार व्यवहार, अधिनियम, 1969 की समीक्षा हेतु एक समिति नियुक्त की है। यह समिति इस समय इन दोनों अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों का अध्ययन कर रही है। आशा है यह अपनी रिपोर्ट कुछ ही महीनों में दे देगी। इस रिपोर्ट के मिलने के बाद इन अधिनियमों के सम्बन्ध में एक व्यापक विधान सभा में पेश किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम में 1974 में जो संशोधन किया गया था उसमें कम्पनियों द्वारा ली गई जमा रकमों तथा इन रकमों को वापस करने सम्बंधी अवधि के बारे में उपबन्ध किए गए थे। यह व्यवस्था की गई कि यदि कम्पनियां इन रकमों को विहित अवधि में वापस नहीं करेंगी तो इसे दण्डनीय अपराध माना जायेगा। यह देखा गया है कि कई मामलों में इस

उपबन्ध को लागू नहीं किया जा सकता है। हड़ताल तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कई कम्पनियों के लिए इन उपबन्धों पर अमल करना सम्भव नहीं होता। अतः प्रश्न पैदा होता है कि क्या इस प्रकार का कोई उपबन्ध होना चाहिए जिसके अनुसार इस बात की जांच की जा सके कि इन उपबन्धों पर अमल करने में जो कठिनाइयां आई हैं, वे वास्तविक हैं या कानून की अपेक्षाओं का जानबूझ कर उल्लंघन किया जा रहा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए यह संशोधन लाया गया है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति धारा 58क की अपेक्षाओं का पालन नहीं कर सकता है तो उस दशा में उसे सरकार के समक्ष आना पड़ेगा और सरकार इस धारा के उपबन्धों से छूट देने या समयावधि बढ़ाने का फैसला करेगी। यह व्यवस्था भी की गई है कि इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से सलाह करने के उपरान्त ही आदेश जारी किया जा सकेगा। अतः इस प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य समयावधि बढ़ाना या छूट देना है। पर यह कुछ विहित शर्तों के अध्यधीन ही किया जाएगा।

कम्पनी अधिनियम 1972 की धारा 108 (ज) में 'एक ही प्रबन्ध' शब्दों का वही अर्थ है जो कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा निर्बन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम में है। वह विधेयक एक संयुक्त समिति को सौंपा गया था। तब 'एक ही प्रबन्ध' के दो अर्थ लिए गए—एक कम्पनी अधिनियम के प्रयोजनार्थ और दूसरा एकाधिकार और निर्बन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रयोजनार्थ। संयुक्त समिति ने उपबन्ध किया कि धारा 108क से 108ग तक के उपबन्ध केवल एकाधिकारी कम्पनियों के शेयरों पर ही लागू होंगे। यदि ये उपबन्ध केवल एकाधिकारी कम्पनियों पर ही लागू होते हैं तो यह उचित होगा कि 'एक ही प्रबन्ध' शब्दों का वही अर्थ होना चाहिए जो एकाधिकार तथा निर्बन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम के प्रयोजन के लिए लिया गया है। इसीलिए यह संशोधन जरूरी है।

दूसरा संशोधन किसी कम्पनी के तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि के लेखे प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के 1973 के निर्णय के कारण जरूरी हो गया है। इसके मुताबिक अपेक्षा यह है कि सामान्य वार्षिक बैठक के उपरान्त लाभ और हानि सम्बन्धी लेखे तथा तुलन-पत्र रजिस्ट्रार के यहां दायर करने होंगे। यह प्रश्न पैदा हो गया कि जब कोई कम्पनी उचित समय पर वार्षिक बैठक नहीं बुलाती तो क्या उसके लिए उक्त विवरण पेश करना जरूरी नहीं है। इस बारे में मतभेद रहा है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि वार्षिक बैठक नहीं होती तो यह अपेक्षा लागू नहीं होगी तथा कम्पनी के विरुद्ध इस अवहेलना के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस खामी को इस संशोधन द्वारा ठीक करने का प्रस्ताव है।

फिर दान स्वरूप अंशदान करने के प्रयोजनार्थ 25,000 रुपये की सीमा के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 293 का संशोधन करने के लिए भी एक संशोधन है। अब यह प्रस्ताव है कि 25,000 रुपये की सीमा को बढ़ा कर 50,000 रुपये कर दिया जाए ताकि सामाजिक कार्यों के लिए अधिक धन प्राप्त हो सके।

जहां तक कम्पनी अधिनियम, की धारा 620 का सम्बन्ध है उसमें यह उपबन्ध है कि प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी प्रारूप अधिसूचना को 30 दिन की अवधि के लिए संसद की दोनों सभाओं में पेश किया जाएगा और तभी यह प्रभावी होगा। इससे यह कठिनाई अनुभव

हुई कि 1975 के बाद एक सभा की बैठक तीस दिन की अवधि की नहीं हुई। अतः सारी अवधि को हिसाब में लेने के लिए यह संशोधन लाया गया है। अब इस अवधि के प्रयोजनार्थ एक से अधिक सभों की अवधि को मिलाकर हिसाब में लिया जायेगा। कुछ और प्रासंगिक संशोधन हैं जो कम्पनी विधि बोर्ड को अन्तरित शक्तियों से सम्बन्धित हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद (कालीकट) : इस संशोधी विधेयक द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 58क, 180, 293ङ, 620 और 634क का संशोधन का प्रस्ताव है। यह कहा गया है कि कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार निर्बन्धित व्यापार व्यवहार अधिनियम का अध्ययन करने के लिए एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही मिलने की आशा है। तब समझ में नहीं आता कि मन्त्री जी इस समय यह विधेयक किस लिए लाए हैं।

मैं इन प्रस्तावित संशोधनों पर सविस्तार अपनी अभिव्यक्ति नहीं देना चाहता। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी और विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस 50,000 रु० की बढ़ी रकम का दुरुपयोग न हो और इस पर नियंत्रण रखने के लिए समुचित प्रक्रिया और नियम निर्धारित किए जायेंगे।

इतनी मेहनत करने के बाद समझ में नहीं आता कि मन्त्री जी का ध्यान राजनीतिक दलों को कम्पनियों से मिलने वाले चन्दे पर निषेध सम्बन्धी धारा 293 (क) की ओर क्यों नहीं गया। भूतपूर्व विधि मन्त्री ने स्मारिकाओं के प्रकाशन के लिए दान, चन्दा या धन देने सम्बन्धी विषय की कतिपय व्याख्या की थी। वही राय दूसरे जाने माने वकील की भी थी। कानून के इतिहास में कानून के साथ इतना भौड़ा व्यवहार कभी नहीं किया गया। इसलिए अच्छा होता यदि मन्त्री जी इस विषय में कम से कम भविष्य के लिए स्पष्टीकरण दे देते। कम्पनी अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी विधेयक इस विषय में नियुक्त की गई समिति की रिपोर्ट मिलने तक प्रतीक्षा कर सकता था। इस प्रकार के छोटे-छोटे विधान उपयुक्त समय पर ही लाए जाने चाहिए। जनता पार्टी ने चुनावों के दौरान जनता को जो आश्वासन दिये थे उन्हे पूरा करने में वह पूर्णता असफल रही है। आशा है कि इस प्रकार के अनावश्यक और गैरमहत्वपूर्ण विधेयकों को सभा के समक्ष ला कर सभा का समय नष्ट नहीं किया जाएगा।

SHRI GANGA SINGH (Mandi) : I have not much to say in this Bill as the hon. Minister has assured the House that he is going to bring forward a complete legislation regarding company law. The only thing that I want to say is that when a penal provision in any legislation provides for penalty for its non-compliance, it is unfair to bring forth another legislation to waive that penalty in the case of defaulting party. The hon. Minister has just now said that in certain genuine cases the penalty has got to be waived. But I feel that such a provision is abused. Therefore, there is a possibility that this sort of relaxation in penal provisions may be availed of even in such cases which are not genuine. Hence this provision is not a good provision. However, I support it.

श्री आर० वेंकटारमन (मद्रास दक्षिण) : मैं केवल विधेयक के उपबन्धों पर ही अपने विचारों को सीमित रखूंगा। सब से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने इस

विधेयक को लाकर दोषी कम्पनियों के साथ ही सहानुभूति की है न कि बेचारे जमाकर्ताओं के साथ। यदि हम कम्पनी की जमा राशि को तथा उससे उद्भूत विनियम बनाने की आवश्यकता को देखें तो हमें पता चलता है कि धारा 58 (क) तथा पूर्व विनियम सामाजिक बुराइयों को रोकने के लिए ही लाए गए थे। इसमें सन्देह नहीं कि औद्योगिक विकास के लिए साधन जुटाने हेतु कम्पनियों ने राशि इकटठी की और इसी राशि से ही औद्योगिक विकास हुआ किन्तु बाद में वहुत सी कम्पनियों ने जिनके पास काला धन था काल्पनिक लोगों के नाम से वह धन कम्पनियों की जमाराशि के रूप में जमा कर दिया। उस समय रिजर्व बैंक के कम्पनी निक्षेपों सम्बन्धी विनियम के अनुसारु ऐसे लोगों का नाम व पूरा पता देना अनिवार्य था। इसलिए आयकर विभाग ने इस बारे में छानबीन भी की। फिर यह भी पता चला कि निर्धन और दीवालिया कम्पनियों ने लोगों के भोलेपन का लाभ उठाकर 15 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक का अधिक ब्याज देकर उनसे राशि ली और फिर उसे लौटाया नहीं। तब रिजर्व बैंक ने फिर हस्तक्षेप किया और ब्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी। सरकार ने यह भी महसूस किया कि कम्पनियां उस धन को भी भारी ब्याज देकर ले रही हैं जो लघु बचत, बैंक निक्षेप इत्यादि के रूप में सरकारी बचत की राशि में जाता। तब यह कहा गया कि कोई किसी कम्पनी को अपनी पूंजी और आस्तियों की विशिष्ट तुलना से अधिक निक्षेप नहीं लेना चाहिए। अतः धारा 58 (क) का दोहरा उद्देश्य था। पहला उद्देश्य भोली भाली जनता को ब्याज की ऊंची दर देने वाली निर्धन और दिवाला कम्पनियों से बचना था तथा दूसरा उद्देश्य सरकारी निवेश के लिए प्राप्त होने वाले निवेशों को निजी उद्योगों में लगाने से रोकना था। अतः इसका उद्देश्य कम्पनियों को केवल किसी प्रकार की रियायत देना नहीं था, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है, इसका उद्देश्य देश के निवेशयोग्य संसाधनों को सरकारी क्षेत्र की ओर मोड़ना भी था। यही कारण है कि धारा 58 (क) में कहा गया है कि एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 1 अप्रैल 1975 तक वे कम्पनियां जिन्होंने रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक पूंजी ली हुई है वह उसे वापिस कर दें अन्यथा उन्हें अधिनियम में उल्लिखित दण्ड दिया जाएगा।

इतना कहने के पश्चात मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि इस खण्ड के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों पर 1 अप्रैल 1975 से लेकर अब तक मुकदमा चलाया गया है। और उनपर कितना जुर्माना किया गया है।

इस मौके पर मैं सभा को यह भी बताना चाहूंगा कि ऐसी अनेकों कम्पनियां हैं जो उस पूंजी को जो उन्होंने लोगों से ली हुई है उन्हें वापस नहीं लौटा रही हैं। मैंने वित्त मन्त्री को इस बारे में लिखा है तथा उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कम्पनी विधि प्रशासन के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। मैं समझता हूं कि यह धारा जमाकर्त्ताओं को धोखा देने वाली कम्पनियों की मदद करती है न कि उन जमाकर्ताओं की जो लालच में आ कर इन कम्पनियों द्वारा ठगे जाते हैं। अतः मेरा कहना यह है कि इस प्रकार की रियायत का और दुरुपयोग हो सकता है। मैंने एक संशोधन की सूचना दी है जिसमें मैंने सुझाव दिया है कि ऐसी कम्पनियों को 1978 तक का समय दिया जाए और यदि वे कम्पनियां तब भी धारा

58 (क) के उपबन्धों का पालन नहीं करती तो उनपर मुकदमा चला कर इस धारा के अन्तर्गत जुर्माना किया जाना चाहिए।

इसके बाद धारा 220 के संशोधन के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। धारा 219 में यह उपबन्ध है कि कम्पनी अपनी वार्षिक आम बैठक से 21 दिन पहले सभी सदस्यों को तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि के लेखे इत्यादि की एक एक प्रति भेजेगी। उसके लिए यह एक सांविधिक दायित्व है। परन्तु विधि मन्त्री ऐसी कोई व्यवस्था करने नहीं जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत, ऐसी दशा में यदि कम्पनी बैठक न बुलाए तो, उसके लिए अंश-धारियों को लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र भेजना जरूरी हो जाए। अब जो संशोधन लाया गया है उसमें कहा गया है कि यदि कम्पनी वार्षिक आम बैठक नहीं बुलाती है तो वह वार्षिक लेखा पेश करने से 30 दिन पहले तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि के लेखे इत्यादि का विवरण रजिस्ट्रार को भेजेगी। मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं। परन्तु उससे अंशधारियों के दायित्व को ध्यान में नहीं रखा गया है। अतः मेरा यह विचार है कि इसमें कुछ और सुधार किया जाना चाहिए। कम्पनी के लिए तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि लेखा न केवल रजिस्ट्रार को बल्कि अंशधारियों न्यासधारियों, और डिबेंचरधारियों को भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होना चाहिए।

जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा जारी किये गये जन सुरक्षा अध्यादेश के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. PUBLIC SAFETY ORDINANCE ISSUED BY JAMMU AND KASHMIR GOVERNMENT

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा व्यक्तियों को हिरासत में लेने, समाचारपत्रों पर नियंत्रण लगाने आदि के लिए विशेषाधिकार प्राप्त करने हेतु जारी किए गए सुरक्षा अध्यादेश के बारे में गृह मन्त्री द्वारा 2 दिसम्बर, 1977 को सभा पटल पर रखे गए विवरण पर विचार करती है।"

अब मैं जम्मू और कश्मीर अध्यादेश से कुछ महत्वपूर्ण भागों को पढ़कर सुनाऊंगा। उसमें जासूसी और समाचारपत्रों का उल्लेख किया गया है। मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहूंगा कि जासूसी और समाचारपत्रों का क्या सम्बन्ध है। समाचारपत्र जासूसी के मामले को बढ़ावा नहीं दे सकते क्योंकि जासूसी का काम छिदम रूप से होता है। अतः यह एक ऐसा मामला है जिस ओर सदन को अवश्य ध्यान देना चाहिए।

अध्यादेश में 'राज्य की सुरक्षा' शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमने यह देखा है कि इन शब्दों का उपयोग की बजाय दुरुपयोग ज्यादा किया जाता है।

धारा 14 के अन्तर्गत बुरी भावना से कार्य करने वाले अधिकारियों को संरक्षण मिलेगा।

अध्यादेश की धारा 27 में कतिपय मामलों म निरोध की अवधि का उपबन्ध है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात निरोध आदेश को मंसूख करने

की बात है। हम में से बहुत से लोगों को नज़रबन्द किया गया था। मैं अपना ही मामला लेता हूं। जब कभी मेरा वकील लेख यांचिका पेश करता था और उसकी सुनवाई की तारीख निश्चित होती थी उससे पहले दिन शाम को साढ़े छह बजे मेरी रिहाई के आदेश जारी कर दिए जाते थे तथा ज्योंही मैं कारावास से बाहर निकलने लगता था नज़रबन्द करने का नया आदेश दे दिया जाता है और अगले दिन न्यायालय को यह बता दिया जाता था कि हमने श्री बसु को अमुक तारीख के आदेश के अन्तर्गत रिहा कर दिया है। अतः न्यायालयों को इस प्रकार से गुमराह किया जाता था तथा इस बारे में कुछ भी न हो सका था।

इसी प्रकार से धारा 27 (2) कार्यपालिका को असीम अधिकार देती है। ये उपबन्ध बहुत ही खतरनाक और क्रूर हैं। इस लिए हम इनका पूरी तरह से विरोध करते हैं।

मैं गृह मन्त्री के माध्यम से शेख साहब से पूछना चहता हूं कि क्या वह इस व्यवस्था को क्रूर समझते हैं या कि नहीं? क्या यह लोकतन्त्रीय संचालन के सिद्धान्तों के अनुरूप है? जो नजरबन्दी सामान्य स्थिति में मुकदमा चलाए बिना की जाए हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। इतिहास इस बात का साक्षी है कि इससे शक्ति का दुरुपयोग होता है।

हमें इस बात की जानकारी है कि शेख साहब को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर विदेशी जासूसों का अखाड़ा है जिसमें सी० आई० ए० का नाम सब से ऊपर आता है। इसके बावजूद भी मैं जम्मू और कश्मीर सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इसे वापस लें ले और खतरे का मुकाबला लोगों की सहायता से राजनीतिक ढंग से करें।

मैं गृह मन्त्री से पूछना चाहूंगा कि वह हमें बताएं कि जम्मू तथा कश्मीर सरकार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 151 का, जिसमें इस प्रयोजन के लिए विशेष उपबन्ध है, प्रयोग करने की सलाह क्यों नहीं दी गई।

चौधरी साहब को याद होगा कि जनता सरकार को लोगों ने इस लिए बनाया था क्योंकि वह श्रीमती गांधी के क्रूर कार्यों की निन्दा करती थी। जनता सरकार ने लोगों को वचन दिया था कि आंसुका को समाप्त किया जाएगा। इसलिए चौधरी साहब से प्रार्थना है कि वह हमें बतायें कि आंसुका अभी तक कैसे बना हुआ है। मेरे पास एक नोट है जिससे पता चलता है कि अध्यादेश केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से बनाया गया था। अतः गृह मन्त्री इस सम्बन्ध में प्रकाश डाले कि उनसे किस हद तक परामर्श किया गया और उन्होंने किन परि-स्थितियों में अपनी सहमति दी।

चाहिए तो यह था कि जनता सरकार आंसुका को समाप्त करती किन्तु इसके विपरीत उसने जम्मू और कश्मीर में इसको फिर से लागू करने की अनुमति दे दी जबकि सितम्बर 1976 में यह व्ययगत हो गया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस क्रूर कानून को एक वर्ष के पश्चात् क्यों लाया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में लोक सुरक्षा अधिनियम 1959 में बनाया गया था जो 18 वर्ष के पश्चात् अक्तूबर 1977 में व्ययगत हुआ। इसमें मुकदमा चलाए बिना नजरबन्द करने का कोई उपबन्ध न था। लेकिन मध्य प्रदेश का आंसुका वास्तव में बहुत ही खराब है। अतः

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश में लोकतन्त्र कहां है और नागरिकों के मानव अधिकार कहां हैं ?

इस बारे में लोगों की क्या विचारधारा है यह नेशनल डेली के सम्पादकीय लेख को पढ़ने से पता चलता है । लोगों का कहना है कि अध्यादेश इतना सख्त नहीं है जितना कि आंसुका । किन्तु अध्यादेश में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे किसी व्यक्ति को दो बार या तीन बार गिरफ्तार करने से रोका जा सके । इस प्रकार यह नजरबन्दी की अवधि तीन महीने से बढ़ जाती है । मैं चौधरी साहब से अनुरोध करूंगा कि वह इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें ।

क्या गृह मन्त्री ने हाल में कभी यह भी माना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी सलाह नहीं ली थी । यदि यह बात सही है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जनता सरकार कैसे कार्य कर रही है क्योंकि केन्द्र तथा मध्य प्रदेश दोनों जगह जनता पार्टी ही सत्ता म है । ऐसी हालत में वह कैसे कह सकते हैं कि उनकी सलाह नहीं ली गई थी ।

मध्य प्रदेश सरकार ने यह दलील दी थी कि वह इस का प्रयोग नहीं कर रही है । यह बात भी सही नहीं है । हमारे पास जानकारी है कि मध्य प्रदेश सरकार के राज्य विद्युत विभाग के तीन कर्मचारियों को इस आधार पर नजरबन्द किया गया था कि वे संघ के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं । अतः मेरा कहना है कि इन कानूनों को वामपंथी तथा लोकतन्त्रीय आन्दोलनों को दबाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है ।

अब मैं इस सम्बन्ध में कुछ पुरानी बातों की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा । कांग्रेस सरकार 1947 से लेकर जब तक वह सत्ता में रही इन्ही क्रूर कानूनों का सहारा लेती रही । भूतपूर्व गृह मन्त्री डा० काटजू ने निवारक निरोध अधिनियम पर दूसरे संशोधन विधेयक के बारे में यह कहा था कि इस अधिनियम का आशय साम्यवाद को दबाना है । इसी तरह से श्री चव्हाण ने 21 नवम्बर 1966 को निवारक निरोध जारी रहना विधेयक के सम्बन्ध में बोलते हुए कहा था कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह देश में प्रवृत्त स्थिति को देखते हुए सामान्य कानून लागू रखेगी । देखना यह होता है कि देश में स्थिति कैसी है । हम देख सकते हैं कि हमारे आस पास क्या हो रहा है । हमें यह मालूम हो जाएगा कि समूचे देश में हिंसा का वातावरण बना हुआ है । अतः मेरा कहना है कि उन्हें हमेशा हिंसा का वातावरण ही नजर आता है ।

1969 में निवारक निरोध अधिनियम को राजनीतिक कारणों से व्ययगत होने दिया गया था । लेकिन जब 'गरीबी हटाओ' का नारा लगाकर कांग्रेस सरकार फिर दोबारा सत्ता में आई तो उन्होंने फिर काला कानून बना दिया और कहा कि इसका प्रयोग सोचसमझ कर किया जाएगा । लेकिन यदि हम कथनी और करनी को देखें तो हमारा सिर शरम से झुक जाता है ।

आज श्री कुरेशी जम्मू और कश्मीर में बने इस अधिनियम को लेकर राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं परन्तु में उन से पूछना चाहता हूं कि जब सत्ता उनके हाथ में थी तब वह ऐसे कानून के बारे में क्या कर रहे थे । शाह आयोग की कार्यवाही से बहुत सी चीजें स्पष्ट हो गई हैं ।

चौधरी साहब को नौकरशाही संस्थाओं पर बहुत विश्वास है किन्तु मैंने जिलाधीश द्वारा हस्ताक्षरित ब्लैंक नजरबन्दी के आदेश यहां प्रस्तुत कर दिए हैं। ऐसे सैकड़ों मामलें हैं जहां पुलिस ने ऐसे कार्यपालकों को धमकी दी जो हस्ताक्षर करने के लिए हिचकिचाते थे और कुछ से तो बलपूर्वक हस्ताक्षर कराए गए। ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह यह देखें कि आपातकाल के दौरान और उससे पूर्व भूतपूर्व सरकार के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कितनी शक्ति का प्रयोग किया गया। ऐसे आंकड़े इकट्ठे करने के बिना आप यह नहीं कह सकते कि आप को पुलिस पसन्द नहीं है। आपकी पुलिस लोकतन्त्रीय स्वतन्त्र देश के लिए अनुपयुक्त है। विदेशी शासन के लिए तो यह ठीक थी।

इन बातों को देखते हुए तथा यह देखते हुए कि सरकार के पास इन मामलों को गहराई में सोचने का समय नहीं होता है और वह नौकरशाहों पर निर्भर करती है मैं समझता हूं कि इस प्रकार के कानून का दुरुपयोग होने की बहुत सम्भावना है। अतः यदि सरकार चाहती है कि लोकतन्त्र को बचाया जाए तो हमें ऐसे कानून को समाप्त करना होगा। अन्यथा ऐसा ही होगा जैसा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन में रेलवे हड़ताल के सम्बन्ध में हुआ था। इस हड़ताल में रेल कर्मचारियों की कुछ बीवियों से बलात्कार भी किया गया था और उनके सामान को सड़कों पर फैंक दिया गया था।

मैं कुछ बातें डा० कर्ण सिंह से भी पूछना चाहूंगा जो अब लोकतन्त्र के मामलें का समर्थन कर रहे हैं। वह यह बताएं कि जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन मुख्य मन्त्री शेख अब्दुल्ला को तथा अन्य मन्त्रियों को किस लोकतन्त्रीय सिद्धान्त के अन्तर्गत बर्खास्त किया गया था और 11 वर्ष तक जेल में रखा गया था।

हमारे ये कांग्रेसी मित्र थे जिन्होंने ये क्रूर कानून बनाए थे तथा जो आज दूसरों की निन्दा कर रहे हैं।

जहां तक शेख साहब का सम्बन्ध है उनका नाम देश के इतिहास में जाएगा क्योंकि उन्होंने महाराजा के शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली जन आन्दोलन चलाया था। ऐसा आन्दोलन किसी राज्य में नहीं चलाया गया। हम शेख अब्दुल्ला का उस समय समर्थन करते हैं जब वह अनुच्छेद 370 को बनाए रखना चाहते हैं तथा हम उनका समर्थन नहीं कर सकते जो उसको निरसित कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अन्त में मैं गृह मन्त्री से यह पूछना चाहूंगा कि वह स्पष्ट शब्दों में हमें यह बताएं कि क्या वह आंसुका को किसी रूप में रखना चाहते हैं।

SHRI MOHD. SHAFI QUERESHI (Anantnag) : It is true that we respect Sheikh Sahib. But in this matter certain basic principles are involved. It is not a matter which concerns an individual. It is necessary to understand the historical as well as geographical situation of the State of Jammu and Kashmir before we take about it.

It is not Kashmir alone which has borders touching other countries. There are other States such as Gujarat, Punjab and NEFA with borders touching other countries. The Central Government want certain atmosphere of individual freedom and freedom of the press. If certain State Governments take certain steps which are against this policy, then how will the Central Government deal with them? If the ruling party still holds the principle of individual freedom dear, then the Central Government will have to think as to how to deal with those States which claim to enact these legislations after consultation with the Centre.

As regards Article 370, the Indian National Congress has been supporting it and will continue to support. The Jammu and Kashmir State Government can enact laws for its protection. But it has no right to make a law against the aspirations and wishes of the people of India.

In support of this ordinance it has been stated by the Jammu and Kashmir Government that there is a danger of sabotage because of infiltrators. The ruling party in the State (J&K) had stated in their election manifesto that the roads to Rawalpindi and Sialkot should be opened. If there is a threat of infiltration even at present, what will be the position if these roads are thrown open.

There is politics behind this ordinance. The sooner this ordinance is withdrawn better it will be for the people of Jammu and Kashmir and others.

The ordinance has suppressed individual freedom and freedom of the press. Sheikh Sahib has himself been a victim of such a black law. Even then he wants to put such a black law on the Statute Book. Now Azad Kashmir is a Pakistan occupied area and I fail to understand whether this law will be used against those people who come to or go from Jammu and Kashmir to that part of Pakistan to see their relatives. It is also said that many foreigners come to the State and there can be threat to the security on the one hand, the Government took steps to encourage tourism and attracted foreigners to visit the State, on the other, such black laws are enacted to check so-called sabotage. All the arguments given in favour of the ordinance are hollow. The State should have a law to deal effectively with those who indulge in sabotage, but this ordinance is of a different nature. This law is being used for political purposes.

I would also like to know from the hon. Home Minister whether it is not a fact that the cases against those who had hijacked an Indian plane to Pakistan have been withdrawn and they have been freed by the Government of Jammu and Kashmir.

Freedom of the Press has been curbed. Is Jammu and Kashmir State within a State? According to the provisions of this ordinance Press people air being forced to divulge their sources of information. This law hits the basic character of Fundamental Rights. Such an undesirable law should be rescinded immediately.

It is being stated that the Jammu and Kashimr Government had consulted the Central Government before they issued this ordinance. If it true, then there is a wide gap between what the Janata Government did and what it professed.

I would like to request the Home Minister and through him the Government of Jammu and Kashmir also to take early steps to amend the ordinance so as to restore individual freedom and freedom of the Press.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : The Public Safety Ordinance issued by the Jammu and Kashmir Government is worse than MISA and is an anti-people legislation. It pollutes the atmosphere of freedom which has been built up after the removal of emergency. This ordinance is a dangerous precedent for a new political era.

The ordinance suppresses the freedom of Press. Press people will have to divulge their sources of information. Such restrictions do not enhance the prestige of any democratic country. Such a black law did not perhaps exist even during emergency.

Sheikh Abdullah is a man who opposed the imposition of emergency tooth and nail which deserves all praise. It is really unfortunate that the Government headed by such a person has issued an ordinance to curb the freedoms of the people.

The question of preserving the freedoms of the people alongwith protecting the interests of the country by imposing certain reasonable restrictions, if necessary, is a national question. All political parties should discuss this matter and evolve a national consensus. The Central Government should prepare a model draft legislation on this matter for the guidance of the State Governments. The Home Minister should give an assurance to the House that the law like MISA shall be scrapped.

This ordinance hits the basic character of Fundamental Rights. Sheikh Sahib has referred to the problems of infiltration and sabotage. The fact is that a number of people who were under detention in Jammu and Kashmir have been let off. Even certain Pakistanis have been freed. Then Shri Afzal Beg had talked about opening Rawalpindi Road and other roads. How can infiltration be checked this way. It appears that there is political motive

behind the issue of this ordinance which has created apprehensions in the minds of the people about the real intentions behind this ordinance.

I will request the Home Minister to give an assurance to the House that Janta Party Government will not allow to suppress the freedom of Press and freedom of individual.

The Government should exert pressure on the Jammu and Kashmir Government to change this law. If Sheikh Abdullah withdraws this ordinance, it will enhance his prestige. If it is not done so, these are apprehensions that the law will certainly be misused.

श्री बी० सी० काम्बले : (बम्बई-दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, यह ठीक है कि जम्मू और काश्मीर राज्य की एक विशेष स्थिति है और उसका एक अलग संविधान है। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या उस राज्य के संविधान की धारा 90 के अधीन यह अध्यादेश जारी किया जा सकता है? धारा 90 का सम्बन्ध वहां के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति से है। राज्यपाल ऐसा अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब राज्य में संवैधानिक बिगाड़ पैदा हो जाये। अन्यथा ऐसे किसी अध्यादेश की उद्घोषणा नहीं की जा सकती जिस के अधीन किसी नागरिक की स्वतन्त्रता और लोगों के अन्य संवैधानिक आश्वासनों को निलम्बित किया जा सके।

प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिन के कारण इस अध्यादेश को उचित ठहराया जा सके? यह तर्क कि जम्मू और कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है, ठीक नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु भी सीमावर्ती राज्य हैं।

मेरे विचार में नागरिकता का विषम संघ सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और यदि यह ठीक है, तो संघ सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह वहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा करे। इसके साथ साथ यह भी देखे कि इस अध्यादेश के अधीन किन्हीं प्रकाशनों पर या व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गए हैं या किन्हीं व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है। इस अध्यादेश के उपबन्धों की क्रियान्वयन के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है, उससे हमें अवगत कराया जाये?

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में जो उपबन्ध हैं वैसे ही उपबन्ध जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान के अनुच्छेद 92 में हैं। हमारा अनुच्छेद 352 आपातकाल के सम्बन्ध में है। ऐसा लगता है कि जम्मू और कश्मीर के संविधान के कतिपय उपबन्धों को आंशिक रूप से निलम्बित किया जा रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत में आपातकाल के दौरान लोगों को कष्ट सहना पड़ा है और शायद इस अध्यादेश का भी वैसा ही प्रभाव पड़े। अतः इस अध्यादेश को जारी करना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि अन्ततः इसका भी वही परिणाम निकल सकता है जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान लागू की गई आपात स्थिति का हुआ। अतः मैं चाहता हूं कि इस बारे में जम्मू और कश्मीर विधान मंडल या वहां की सरकार तथा संघ सरकार की वास्तव में जो शक्तियां हैं उन्हें निश्चित किया जाये।

अन्त में मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह अध्यादेश जम्मू और कश्मीर की समस्या के परिणामस्वरूप जारी किया जा रहा है या इसके लिए कुछ अन्य परिस्थितियां विद्यमान हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू और कश्मीर की समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ है। अन्यथा इस अध्यादेश का कोई औचित्य नहीं है। जम्मू और कश्मीर समस्या को हल कर लेना चाहिए अन्यथा यह भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ी खतरनाक सिद्ध होगी।

SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN (Balaghat) : It appears that an emergency has been imposed in the State of Jammu and Kashmir through the Jammu and Kashmir Public Safety Ordinance which has been promulgated there recently.

If we look at our past history, we will find that the people of our country are always ready to undergo any punishment including capital punishment in accordance with the provisions of a law of the country but they cannot tolerate any excess and injustices which may be committed against them without any legal authority. A number of instances can be quoted to prove this contention. First of all I will refer to the British rulers who ruled this country for two centuries.

They started detaining our freedom fighters in jails without any authority of law, but they were ultimately made to face the consequences. Similarly the Congress Government has recently been voted out because they also indulged in unlawful activities. They also started detaining people in jails without any legal authority. The consequences which they are facing now are before you.

It is good that Shri Chandra Shekhar, the President of Janata Party has also opposed the Jammu and Kashmir Public Safety Ordinance. The members of the Janata Government might have not yet forgotten the days when they were detained in jails and the members of their families were made to suffer a lot. Even some detenus lost their lives in jails. The facts about the happenings were not allowed to appear in newspapers. Atrocities and cruelties were perpetrated on the people by the followers of the former Prime Minister openly. In spite of all this, it is regretted that this black law is again being enacted. I hope that the Minister of Home Affairs will come to the rescue of the residents of Jammu and Kashmir who are, after all, citizens of India.

Shri Sheikh Abdullah is a great leader. He was detained for a pretty long time. It is strange that he has now forgotten all this and brought forward a black law because he is unable to carry on the administration without such a black law.

Moreover the Central Government cannot absolve itself its responsibility by saying that it is a State affair. The Government should see to it that it is withdrawn because the people of this country will not tolerate it under any circumstances.

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकील) : इस संकल्प के प्रस्तावक, श्री ज्योतिर्मय बसु यह भूल गए हैं कि निवारक निरोध अधिनियम इस देश में बहुत पहले बनाया गया था। 1970-71 में जब श्री मोरारजी देसाई कांग्रेस सरकार में मन्त्री थे तब भी यह अधिनियम लागू था। आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम या भारत सुरक्षा नियम बहुत पहले से लागू थे। इस बीच केरल और पश्चिम बंगाल में साम्यवादियों ने भी, जब वे सत्ता में आये, इन्हीं अधिनियमों के अधीन लोगों को गिरफ्तार किया था। मेरी समझ में नहीं आता कि यदि कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ऐसे कानूनों का विरोध करती थी, तो तब उनके नेता ने केरल में इन्हें कैसे लागू किया था ? प्रस्तावक ने आपातकालीन स्थिति के दौरान पश्चिम बंगाल में अत्याचारों का उल्लेख तो कर दिया है, परन्तु मैं उन से पूछना चाहता हूं कि अब तो उनका दल वहां पर सत्ताधारी है अब पुलिस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को उचित क्यों बताया जा रहा है ? क्या उन्होंने किसी पुलिस अधिकारी को निलम्बित किया है ? पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने पुलिस अधिकारियों का ही पक्ष लिया है।

यहां तो कहा जाता है कि हम बहुराष्ट्रीय निगमों का विरोध करते हैं परन्तु दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री, श्री ज्योतिबसु ने उनको अपने राज्य में आमन्त्रित किया है !

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उनका विरोध करता हूं और यही मेरे दल की नीति है।

श्री वयालार रवि : श्री ज्योतिर्मय बसु जी जो कुछ कहते हैं और जो कुछ उनका दल कहता है उनमें कोई सम्बन्ध नहीं है।

जम्मू और कश्मीर लोक सुरक्षा अध्यादेश के सम्बन्ध में मेरे मित्र, श्री मोहम्मद शफी कुरेशी ने जो कुछ कहा है मैं उससे सहमत हूं । शेख साहिब का मैं सम्मान करता हूं। राष्ट्रीय प्रगति में उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। इसके बावजूद मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, कि वह इस मामले पर पुनर्विचार करें।

गृह मन्त्री और प्रधान मन्त्री इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि वे आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम जैसा कोई अधिनियम बनाना चाहते हैं क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलने का है । हैरानी इस बात की है कि एक ओर तो कांग्रेस सरकार को गाली दी जाती है कि उसने हमें आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अधीन जेलों में ठूंस दिया था और दूसरी ओर वैसा ही एक और अधिनियम बनाने की कार्यवाही की जाती है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है ? वहां जनता दल की सरकार है। वहां पर मिनि-मीसा के अधीन रेलवे कर्मकारों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया है । मेरठ में विद्यार्थियों को होस्टल के अंदर पीटा गया । यहां तक कि वहां पर रिवाल्वर और पिस्तौल का प्रयोग भी किया गया । हालांकि वहां पर आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत रक्षा नियमों का सहारा नहीं लिया गया । एक विद्यार्थी अभी भी अस्पताल में है जिसे गोली लगी थी। यह सब वहां के पुलिस अधिकारियों ने अब किया है जब हम दुहाई दे रहे हैं कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत रक्षा नियमों का पहले दुरुपयोग किया गया है । एक 16 वर्षीय विद्यार्थी को, जिसे हथकड़ी पहनाई गई थी, जब न्यायालय में लाया गया तो वहां पर यह पाया गया कि उसके विरुद्ध कोई मामला ही नहीं बनता है। इसी प्रकार विद्यार्थियों का एक नेता, श्री के० के० शर्मा अब भी जेल में है। मेरी समझ में नहीं आता कि पुरानी सरकार और विद्यमान सरकार में क्या अन्तर है।

कानपुर में सभी श्रमिक नेताओं को जेल में डाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने 'बन्द' के लिए आह्वान किया था । इसके बावजूद यह एक बड़ी खेदजनक बात है कि श्री ज्योतिर्मय बसु इस सरकार का समर्थन करते हैं । पंजाब में कई सरकारें बनी हैं परन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ । वहां पर बिना किसी जांच के कांग्रेस के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जान से मारने का यत्न किया गया है । यह सब आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम और भारत सुरक्षा नियमों के बिना हो रहा है। कांग्रेस सरकारों ने अन्य दलों के नेताओं को भ्रष्टाचार के नाम पर कभी गिरफ्तार नहीं किया है। परन्तु यह सब अब हो रहा है । मैं गृह मन्त्री से अपील करता हूं कि वह ऐसा कोई विधान न लायें जो आसुंका और भारत सुरक्षा नियमों की तरह का हो। मुझे आशा है कि उनके सौजन्य से शेख साहिब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे और विवादग्रस्त अध्यादेश को वापस ले लेंगे।

SHRIMATI AKBAR JAHAN BEGUM (Srinagar) : Mr. Chairman, Members of the Janata Party and the Congress Party have given their comments in regard to the promulgation of Ordinance in Jammu and Kashmir. But I want to say that the Ordinance has been promulgated out of compulsion. All the existing preventive detention laws have already expired and there should be some or the other preventive detention laws to face any situation because certain complains are used to be received in the state. But do not think that I am supporting the Ordinance because Shri Sheikh Abdullah happens to be my husband. वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनका व्यक्ति की स्वतन्त्रता में अटूट विश्वास है और वह मुख्य-मन्त्री पद को बनाये रखने के लिए कभी भी उस स्वतन्त्रता को छीनना नहीं चाहेंगे और न ही वह समाचार पत्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध ही लगाना चाहेंगे।

जब इस अध्यादेश को विधान सभा में पेश किया जायेगा तो सभी को उस पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा।

It is being said that an internal whip will be issued to the members of the legislature in this regard. But I want to say that shall not allow any whip to be used. They should remember it that Sheikh Abdullah is such a person who worked for the freedom of the country and devoted his entire life to the cause of the truth and justice.

Most of the honourable members, who have spoken on the Ordinance have sought to contend, that the provisions of the Ordinance are even worse then the laws i.e. MISA which was used during emergency. Under MISA, there used to be punishment from 5 to 7 years. Whereas in the Ordinance, the punishment stipulated is only for a period from 2 months to 3 months. It has also been said that because of this short duration of detention provided in the Ordinance, the detenue will be kept in the jail and after expiry of two-three months will be released and then again will be detained. Such type of trickery is not in the nature of Sheikh Abdullah. The honourable members of this august House should not utter such words which are not justified. These are not our personal affairs. The freedom of all the people, of our country, their progress and their interests are very clear to us—even dearer than our lives. I have seen people here who are not able to work for the country because they prefer their own self-interest. I do not have any grudge against anybody. But whenever we should speak in the House, we should conduct ourselves into a dignified manner. We should subject ourselves to discipline while speaking in this House. That would enhance the respect of our country.

Here my brethern were put in jails for 19 months. But Sheikh Sahib has been victionised for 30 years. Even then, some charges are levelled and certain motives are imputed to Sheigh Sahib. During elections, it was stated that there was nobody with Seikh Abdullah.

Sheikh Abdullah was ill and confined to bed. But whenever I could go, I asked the people about their opinion about him. They replied that they could sacrifice their lives for Sheikh Sahib.

MR. CHAIRMAN : You have taken enough time. Please try to conclude your speech.

श्रीमती अकबर जहां बेगम : मैंने उन सभी आरोपों को बड़े धैर्य से सुना है और इस सदन के सदस्यों के दिमाग में अनेक प्रकार के सन्देह उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। मैं उन सन्देहों को मिटाने के लिए दिल खोल कर बोलना चाहती थी, मुझे उसका अवसर दिया गया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री राम जेठमलानी : (बम्बई—उत्तर-पश्चिम) : सभापति महोदय, देश के विभिन्न भागों में आतंक के उभरते स्वरूप से मैं स्वयं को सार्वजनिक रूप से असम्बद्ध करने के लिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ताकि मेरी दुखद अन्तरात्मा को शान्ति मिल सके। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी मैं सार्वजनिक रूप से इसकी भर्त्सना करने के लिए आया हूं। हमारा विचार था कि देश में इस प्रकार के आतंक का उद्भव इतना जल्दी नहीं होगा। मैं अपने कांग्रेसी मित्रों को बधाई देना चाहता हूं कि निरोधक कानूनों की बुराई के प्रति अचानक ही उनके मन में घृणा उत्पन्न हो गई है। मुझे आशा है कि उनका यह हृदय-परिवर्तन सच्चा होगा और इस सम्बन्ध में जो आंसू वह बहा रहे हैं वह सच्चे आंसू होंगे न कि मगरमच्छी आंसू। यह स्वीकार करना ही होगा कि जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया यह कानून वास्तव में एक बुराई है और उस कानून का विरोध करना सभी का राजनैतिक और नैतिक धर्म है। शेख साहिब किसी समय स्वतन्त्रता सेनानी थे इस कानून को लागू करने के लिए इसे तर्क देने का कोई औचित्य नहीं है। सत्ता का स्वरूप ही ऐसा है कि वह सभी को भ्रष्ट कर देती है जब सत्ता आपके हाथ में आती है आप उसका दुरुपयोग करने का प्रलोभन नहीं संवार सकते।

यह इतिहास का तथ्य है। कांग्रेसी भी कभी स्वतन्त्रता सेनानी थे किन्तु उन्होंने भी निरोधक कानूनों का खुल कर प्रयोग किया और इस देश में लोकतन्त्र का ही सफाया कर दिया। अतः किसी का पिछला इतिहास इस बात की गारन्टी नहीं कि वह भविष्य में अत्याचार नहीं करेगा और लोकतन्त्र को समाप्त नहीं करेगा। मैंने अध्यादेश का अध्ययन किया है और इस अध्ययन से यह पता चलता है कि यह कानून जम्मू और काश्मीर में लोकतन्त्र को समाप्त करने के लिए लागू किया गया है और इससे अधिक राज्य में समाचारों की स्वतन्त्रता को भी समाप्त करने के लिए इसे लागू किया गया है। इसे राज्य में लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान कानून ही पर्याप्त थे। इस संसद को इस समस्या पर विचार करने का पूरा अधिकार है क्योंकि भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार जम्मू और काश्मीर में भी लागू होते हैं और देश के सभी नागरिकों की मौलिक स्वतन्त्रता की रक्षा करना इस संसद का मौलिक कर्त्तव्य है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी समस्त नैतिक शक्ति के साथ इस अनैतिक कानून को रद्द करें। किन्तु मुझे यह देख कर बड़ा दुःख होता है कि जनता सरकार के अन्तर्गत राज्यों में भी इस प्रकार के निरोधक कानूनों का सहारा लिया जा रहा है। अतः मेरा यह अनुरोध है कि इस दोहरे सिद्धान्त को समाप्त किया जाये। मुझे अपने दल के चुनाव घोषणा पत्र के प्रति निष्ठा है और मुझे उस पर गर्व है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि देश के सभी काले कानूनों को रद्द करना होगा और जम्मू और काश्मीर का कानून भी एक काला कानून है। यदि हम इसे रद्द नहीं करेंगे तो हम इसे अपना नैतिक समर्थन प्रदान करेंगे जिसका परिणाम यह हो सकता है कि इस देश में अत्याचार करने के लिए सभी इस कानून को लागू करने का प्रयास करेंगे।

हम लोगों को यह कह रहे हैं कि निरोधक अवधि कम कर के हम लोगों को न्यायिक समीक्षा का अधिकार सौंप रहे हैं किन्तु वकील की हसीयत से मैं यह कहना चाहता हूं कि निरोधक कानून की उपस्थिति में न्यायिक समीक्षा मात्र कपोल कल्पना है अतः यह कहना कि इन कानूनों के सम्बन्ध में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने का अधिकार है लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। अतः मैं गृह मन्त्री महोदय से यह अपील करता हूं कि वह मानवता के नाम पर दल के चुनाव घोषणा पत्र के नाम पर और अपनी नैतिक शक्ति के नाम पर ऐसे कानूनों को रद्द करें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने जो लोक सुरक्षा अध्यादेश प्रख्यापित किया है वह नागरिकों के जनतांत्रिक अधिकारों तथा उनकी नागरिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात है। इसके द्वारा प्रेस स्वतन्त्रता को भी छीना गया है। वस्तुतः इससे उक्त राज्य में वैसा ही आपात काल लागू किया गया है जिसमें हम पहले अपने 19 मास व्यतीत कर चुके हैं। हमारे मन में शेख अब्दुल्ला के प्रति अपार श्रद्धा है जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए और साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध संघर्ष किया और अब भी धर्म-निरपेक्षता के समर्थक हैं। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि संविधान के अनुच्छेद 370 में दिए उपबन्ध के अनुसार जम्मू-काश्मीर को विशेष शक्तियां मिलनी चाहिए परन्तु आज हमारी चिन्ता का विषय मूल अधिकारों, प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक स्वतन्त्रता के विषय में है जिन्हें इस अध्यादेश द्वारा छीन लिया गया है जबकि हाल ही में देश-व्यापी संघर्ष के पश्चात इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सका है। मुझे यह कहने में कोई संकोच

नहीं है कि इसी प्रकार का अध्यादेश मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है जिसमें विचारण बिना निरुद्ध करने की व्यवस्था की गई है । मैं श्री जेठामलानी के इस कथन से सहमत हूं कि निवारक निरोध का विचारण बिना निरोध करने की भारत सरकार की शक्ति का मूल स्रोत संविधान का अनुच्छेद 22 है जिसे हटाया जाना आवश्यक है । प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री ने जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश के इन अध्यादेशों में अवांछनीय तत्व होते हुए भी इन्हें आवश्यक बताया है । मैं उनकी स्थिति को समझता हूं ।

जनता पार्टी के महासचिव और अध्यक्ष दोनों ने ही संविधान में निवारक निरोध और विचारण बिना निरोध की व्यवस्था के विरुद्ध अपना विचार व्यक्त किया है । इसके अतिरिक्त समूची जनता पार्टी सभी काले कानूनों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है । अतः भारत सरकार को ऐसे सभी अध्यादेशों के विषय में एक निश्चयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ।

मैं जम्मू-काश्मीर सरकार और शेरे-कश्मीर से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने राज्य की लोकतन्त्रात्मक, धर्म-निरपेक्ष तथा राष्ट्रवादी ताकतों का सहारा लेने के बजाय ऐसी शक्ति का सहारा क्यों लिया जिसने पिछले कांग्रेसी शासन में आतंक तथा तानाशाही का वातावरण पैदा किया था और जिसकी आज भी सभी लोग भर्त्सना कर रहे हैं ।

डा० कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अध्यादेश की देश भर में सभी क्षेत्रों द्वारा निन्दा की गई है क्योंकि इसने पिछले आम चुनावों के बाद देश में उत्पन्न राजनैतिक वातावरण की उपेक्षा की है, यह अनावश्यक रूप से कठोर कानून है और प्रेस स्वातन्त्रय को समाप्त करने में आंसुका से भी बढ़चढ़ कर है ।

हमें यह बताया गया है कि यह अध्यादेश इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि भारत प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कानूनों की अवधि 27 सितम्बर को समाप्त हो चुकी थी । परन्तु जम्मू-कश्मीर सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का भयंकर विलोप होने वाला था, और राज्य तथा राष्ट्र की सुरक्षा भयंकर खतरे में पड़ने वाली थी तो राज्य सरकार ने उपयुक्त विधेयक का प्रारूप तैयार कर उसे विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया जबकि विधान मंडल का सत्र 8 सितम्बर से 15 अक्तबर तक चलता रहा था । विधान मंडल का सत्र तो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित होने दिया और उसके एक महीने बाद 29 अक्तूबर को यह अध्यादेश जारी कर दिया । इस अध्यादेश को जारी करने में इस प्रकार का जो तरीका अपनाया गया उससे जनता के मन में सरकार के मन्तव्य के प्रति कुछ संशय उत्पन्न हुए हैं ।

मैं 18 वर्ष तक जम्मू-कश्मीर राज्य में सदर-ए-रियासत रहा हूं । अतः राज्य की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को मैं भली प्रकार जानता हूं । मैंने सदर-ए-रियासत के रूप में जो कार्य किया उसमें राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रखा । कभी-कभी राज्य की प्रादेशिक समस्याओं की दुहाई की जाती है परन्तु ये समस्याएं डन्डे के जोर से नहीं वरन् राजनैतिक उपायों द्वारा हल की जा सकती हैं । हमने गजेन्द्र गडकर आयोग निक्युत किया था जिसने प्रादेशिक समस्याओं को हल करने के लिए राजनैतिक उपायों का सुझाव दिया था परन्तु शेख अब्दुल्ला ने, जिन्होंने प्रादेशिक स्वायत्तता का वचन दिया था, इस सिफारिश का उल्लंघन किया ।

इस अध्यादेश को जारी करने का वास्तविक कारण बताना तो कठिन है परन्तु मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर राज्य ने राज्य के सीमा-शुल्क कानून के अन्तर्गत जालन्धर के दो दैनिक समाचारपत्रों का राज्य में लाना वर्जित कर दिया था और उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय को सही नहीं ठहराया और इसकी प्रतिक्रिया के रूप में राज्य सरकार ने इन असाधारण शक्तियां लेना चाहा ? या हो सकता है कि राज्य के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लम्बे समय से चले आ रहे आन्दोलन को दबाने के लिए अथवा राजनैतिक विरोधियों को डराने के लिए ऐसा किया गया हो। यह भी हो सकता है कि शेख अब्दुल्ला को कुमंत्रणा देने वाले तत्वों ने यह सलाह दी हो कि असाधारण शक्तियों के प्राप्त किए बिना उनका प्रभाव घट जायेगा। अतः मैं शेख अब्दुल्ला से अपील करता हूं कि वह इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनायें बल्कि अध्यादेश में उपयुक्त संशोधन करके उसे विधान सभा के सामने रखें

गृह मन्त्री द्वारा यह दृष्टिकोण अपनाया जाना कि संसद इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर के 50 लाख लोग देश के अन्य नागरिकों की तरह ही नागरिक हैं अतः संसद का जोकि राष्ट्र का सर्वोच्च मंच है, न केवल यह अधिकार है वरन् कर्त्तव्य भी है कि वह जम्मू-कश्मीर के इन 50 लाख नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे। इस दिशा में भारत सरकार का रवैया निराशाजनक है। गृह मन्त्रालय को अपने नैतिक बल का प्रयोग करना चाहिए और शैख अब्दुल्ला को समस्या ठीक प्रकार से समझने की और अध्यादेश में उपयुक्त संशोधन करने की सलाह स्पष्ट शब्दों में देनी चाहिए।

श्री पी० के० कोडियन (अडूर) : यदि किसी विधि प्रस्ताव द्वारा नागरिकों की लोकतंत्रात्मक स्वतन्त्रता पर रोक लगाई जाए और प्रेस स्वतन्त्रता का हरण किया जाए तो देश की सभी लोकतन्त्रात्मक शक्तियों द्वारा उसका विरोध किया जाना चाहिए। माननीय गृह मन्त्री ने अपने वक्तव्य से ऐसा आभास दिया है जैसे कि इस अध्यादेश का जारी करना सही और आवश्यक है। मैं उनके इस रुख से सहमत नहीं हूं।

मध्य प्रदेश में भी ऐसा अध्यादेश जारी किया गया है। श्री कंवर लाल गुप्त ने इस सम्बन्ध में एक आदर्श विधान की बात की है परन्तु मैं उससे सहमत नहीं हूं। माननीय गृह मन्त्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी पार्टी तथा सरकार भारतीय जनता को दिए अपने उस वचन को मानती है कि वे सत्तारूढ़ होने पर आंसुका सहित सभी काले कानूनों को समाप्त कर देंगे। राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उपराष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं के संयुक्त अधिवेशन में इस वर्ष आश्वासन दिया था कि ऐसे सभी अधिनियमों को पुनर्विचार कर निरसित कर दिया जायेगा। परन्तु आठ महीने बीत जाने के बाद भी आज आन्तरिक सुरक्षा कानून विद्यमान है।

हम निवारक निरोध के सिद्धान्त का आधारभूत रूप से विरोध करते हैं। अतः माननीय गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह आन्तरिक सुरक्षा कानून तथा अन्य ऐसे कठोर उपायों का अन्त करने के लिए विधान तैयार करें।

SHRI BALDEV SINGH JASROTIA (Jammu) : It has been argued that such conditions were prevailing in Jammu and Kashmir as warranted the issue of this Ordinance and there was no other law to deal with the situation. But there are already two laws in force in Jammu and Kashmir, namely Egress Internal Movement Control Ordinance, 1948 and Enemy Agent Ordinance, 1948 which can be exercised to deal with such situation effectively.

There is, therefore, no justification for promulgation of this Ordinance. In fact, this Ordinance has been issued to check agitation by refugees who have not yet been settled and to deal with unemployed people, ex-servicemen and low paid Government servants who have been agitating for meeting their demands.

In Clause 11 of this Ordinance there is also a reference to require imbalances. If there is any regained imbalance still today, nobody else except Government is responsible for that. It is not proper on the part of the Government there to shut the mouths of the people on this plea.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI CHARAN SINGH) : The Jamnu and Kashmir Ordinance providing for preventive detention has been discussed. I agree that it is an important issue, but so far as the legal position is concerned Article 19 and 35 of the Constitution empower the Government of Jammu & Kashmir to impose restrictions on fundamental rights with the approval of the State Assembly. The Government of India or the Supreme Court cannot intervene in this matter. I would like to make it clear that I am not of this opinion that such a stringent Ordinance should have been issued but I want to state certain facts.

There were three laws already in force in Jammu & Kashmir. One was the Jammu & Kashmir Preventive Detention Act, 1946, the second was Jammu & Kashmir Public Security Act, 1946 said the third was the Emergency Provisions Continuance Ordinance, 1946. These three laws lapsed in May, 1976. The Government of Jammu & Kashmir at that time did not feel the necessity of enacting a legislation since MISA and DIR were already in force.

The term of MISA and DIR expired on 27th September, 1977. So the immediate problem before the State Government was that there were 122 detenue who did not have any connection with Indian politics but who were the supporters of Pakistan and had indulged in espionage and other anti-government activities. All of us will have to agree that Jammu & Kashmir occupies a peculiar position among all the States in India since it is situated on our border and the history of past incidents in this State are known to us. Keeping in mind the attitude which Pakistan have been adopting, no State Government in Jammu & Kashmir and the Government of India can ignore the special position of this State. This was one aspect before Sheikh Abdullah.

The officials of the State Government rang up our officials in the first instance to ascertain whether MISA could be extended for a further period or they could enact any such law. Our officials explained them the legal position. After three day the State officials came here and held discussions with our officials. The details of the provisions of such Ordinance were not discussed. The question before them was as to what would happen to the detenues and how they could prevent infiltration of Pakistanis in certain parts of the State. Some advice was given to them by our officials. I was not aware of it at all and I need not to be aware of it. I came to know about the promulgation of the Ordinance through newspapers.

I agree with the views expressed by Members in regard to the provisions of the Ordinance. There are three aspects in this Ordinance which are very objectionable. These are the powers to forfeit documents and books without allowing the author to move any court; to ban circulation of newspapers which are brought out within the State and if those also which come from outside the State denying their editors and publishers the right to approach a court and to detain a person for two years without referring his case of any board of review and without furnishing him with grounds of detention. There may be some other minor things.

I have written a personal letter to Sheikh Sahib bringing to his notice all these things. There is no dereliction of duty on the part of the Government of India. I have been told on behalf of Sheikh Sahib that when this Ordinance will be placed before the State Assembly the objections which I have pointed out in my personal letter and the opinion expressed in the Press and by various people will be borne in mind.

As regards jurisdiction of Parliament in this matter, there is no provision in our Constitution under which we may compel the State Government to follow our advice on this issue. It is hoped that Sheikh Abdullah, his Cabinet colleagues and even MLAs will respond to moral pressure and bear in mind the people's verdict during the last Lok Sabha poll which has proved that they are against such draconian laws.

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम इस अध्यादेश का विरोध करते हैं और हर परिस्थिति में इसका विरोध करेंगे । मेरा गृह मन्त्री जी से निवेदन है कि वह भारत की राजनीति में प्रमुख स्थान

रखने वाले शेख अब्दुल्ला तक इस सदन के विचार पहुंचायें। मेरा अनुरोध है कि इस सत्र के अन्त तक सभी काले कानून निरसित कर दिए जायें।

आध घण्टे की चर्चा (Half an Hour Discussion)

सोवियत संघ से ऋण रूप में लिये गये गेहूं का वापसी के लिए बातचीत

SHRI YADVENDRA DUTT (Jaunpur) : The discussion is mainly concerned with the circumstances which lead to the additional supply of 28,000 tons of wheat to U.S.S.R. It was stipulated in the agreement that either wheat or any other commodity instead would be supplied and there was no mention of extra wheat or protein content. The Russian experts visited this country and certified our wheat as of good quality but later on that country changed its stand and declared our wheat as lacking wheat protein. It is an insult to the Indian farmer.

In an official publication of the Government of India namely 'the Grain of wheat', it has been said that there are several commercially grown modern Indian varieties of wheat which contain more than 12 per cent protein potential. Our Kalyan Sone variety of wheat contains 13.22 to 13.90 per cent protein which is more than the protein contents of all varieties of American red wheat and Australian wheat. So it is not known as to why our Government accepted the stand taken by the U.S.S.R. that the protein content in Indian wheat is low.

In international convention has laid down that 50 per cent of commodities meant for export will be carried by ships of importing country. May I know as to why the Government accepted the condition of carrying the entire wheat through Russian ships. It is a clear loss of freight on 28,000 tons of wheat.

The hon. Minister should clarify these points otherwise it may be assumed that some other consideration forced the Government to bow down to the pressure of the U.S.S.R.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH) : I regret to say that this issue has been raised in such a manner as if the Soviet Union has tried to deceive us. But it is not so In fact, the attitude of the Soviet Union in this wheat transaction has rather been commendable.

First of all I would like to recall the agreement under which this wheat loan was given to us. It was stipulated in the agreement that we would repay the loan in the form of wheat which should be either of the same quality or of superior quality. I would like to recall also the circumstances prevailing at the time of this wheat loan. There was a shortage of wheat all over the world and its price had gone up very high. At this juncture when there was a condition of starvation the Soviet Union granted us wheat loan without any interest. This wheat was to be returned after two years. But after two years we were not in a position to return wheat. So in 1976 we told the Soviet Union that we were going to repay a part of the loan in cash. But in 1977 we were again in a position to return wheat and therefore we sought a rechange in the term of repayment. We have now returned them more than 55 per cent wheat. Now the prices have also declind by 50 per cent.

It is only the Canadian wheat which is sold with a guarantee of maximum protein content. The wheat stock available with the F.C.I. does not have uniform protein content. The protein content of wheat depends also upon the quantity of fertilizers and irrigation used in cultivation. The conditions for agriculture in India are so different that no guarantee can be given in regard to protein content of wheat, but the wheat, which we returned was guaranteed of its protein content.

You will see that in these circumstances we returned 7½ per cent more wheat.

श्री यादवेन्द्र दत्त : मेरा प्रश्न यह है कि पहले रूस ने हमारे गेहूं को अच्छा बताया परन्तु बाद में उन्होंने प्रोटीन का मामला क्यों उठा दिया। जब यह मामला उठाया गया तो क्या आपने हमारे देश के गेहूं की किसी मानक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जांच करायी ऐसी स्थिति में ही आप कह सकते थे कि हमारे गेहूं में प्रोटीन कम है अथवा नहीं।

SHRI BHANU PRATAP SINGH : While saying that our wheat is good it meant only that it was in good condition. It did not mean that our wheat contains more protein. All the statistics show that as far as protein content is concerned not only our wheat but also wheat of other countries is of lower-quality than that of Canada.

लोक सभा तत्पश्चात् मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1977/22 अग्रहायण 1899 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

[*The Lok Sabha than adjourned, till Eleven of the Clock of Tuesday, December* 13, 1977/*Agrahayana* 22, 1899 (*Saka*).]

986LSS/77—GIPF.